

वार्षिक लेखा

2023 - 2024



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

वार्षिक लेखा 2023 – 2024



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

विषय-सूची

क्र. सं.	लेखों का नाम	पृष्ठ संख्या.	
		से	तक
1.	एनआईआरडीपीआर लेखा	1	38
2.	हितकारी निधि लेखा	39	45
3.	भविष्य निधि लेखा	46	53
4.	एनआईआरडीपीआर चिकित्सा संचित निधि लेखा	54	59
5.	लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	60	64
6.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के लेखों पर भारत के सीएजी की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	65	70
7.	पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर	71	84

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान				
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा				
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	भुगतान	(राशि रुपए में)
				चालू वर्ष 2023-24
				पिछला वर्ष 2022-23
प्रारंभिक शेष				
क) नकद	-	-	I. व्यय	-
ख) बैंक शेष			क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	-
i) चालू खातों में	-	-	वेतन	38,99,98,265
ii) जमा खातों में	-	-	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	20,14,73,146
	-	-	चिकित्सा व्यय	1,06,48,483
i) बचत खातों में	66,56,57,312	2,75,78,86,585	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप)	-
	-	-	यात्रा भत्ता	58,45,036
II. प्राप्त अनुदान			अन्य प्रशासनिक व्यय	14,34,39,521
क) भारत सरकार से	-	-	रखरखाव व्यय	19,33,222
वेतन अनुदान	62,50,25,000	75,83,63,000	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	4,32,09,737
सामान्य अनुदान	22,16,50,000	38,75,20,000	मानदेय	-
ख) राज्य सरकार से	-	-	पूर्व अवधि व्यय	8,55,556
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)	-	-	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि का भुगतान	-
अन्य संस्थानों से प्राप्त एलएससी और पीसी	8,135	-	क) प्रशिक्षण एवं अनुसंधान पर व्यय	-
III. निवेश पर आय				
क) निर्धारित / अक्षय निधि	-	-	III. निवेश पर आय (व्यय)	-
भवन निधि	1,23,28,440	8,80,023	क) चिह्नित / अक्षय निधि	-
विकास निधि	-	7,165	भवन निधि	-
एफसीआरए - दिल्ली	1,05,729	1,03,432	विकास निधि	9,96,00,000
पीएमआरडीएफ - दिल्ली	3,92,846	3,66,347	पूँजी अनुदान - योजना	-
सीईडीएफआई	5,20,017	40,925	एफसीआरए - दिल्ली	95
एसआरएस चेयर	5,54,151	31,95,801	पीएमआरडीएफ - दिल्ली	59
बीमांकिक मूल्यांकन निधि	12,37,550	-	सीईडीएफआई	1,62,416
डूबती/मूल्यहास निधि	5,14,452	-	एसआरएस चेयर	31,71,238
			बीमांकिक मूल्यांकन निधि	-

जारी...

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
(ख) स्वयं की निधि (अन्य निवेश)			(ख) स्वयं की निधि (अन्य निवेश)	-	-
ग) संचित निधि खाता			संचित निधि	-	-
	28,37,51,942	39,40,37,193	IV. ब्याज भुगतान	-	-
	-	-		-	-
IV. प्राप्त ब्याज			III. किए गए निवेश और जमा	-	-
a) बैंक जमा पर			एफडी परामर्शी में निवेश	-	-
अनुदान सहायता खाते पर ब्याज	1,53,035	33,10,459	एफडी के सामान्य खातों में निवेश	1,14,31,99,180	1,52,50,00,000
एसबी खाते पर ब्याज	-	-	निवेश - चिह्नित निधि से	56,03,04,666	1,50,71,54,488
ब्याज आय - मुख्यालय, एनईआरसी और दिल्ली	9,34,91,413	5,77,44,505	(ख) स्वयं की निधि (अन्य निवेश)	-	-
(ख) ऋण, अग्रिम आदि,	-	-		-	-
	-	-	IV. अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय	-	-
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			क) अचल संपत्तियों की खरीद	-	-
VI. उधार ली गई राशि			भवन - जनरल ऑफिस/जीएच, एनईआरसी	7,05,484	92,13,792
	-	-	भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	-	5,57,299
कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)			फर्नीचर एवं फिक्स्चर	86,90,410	12,08,592
वर्तमान देयताएं और प्रावधान अनुसूचियां/समूह			कार्यालय उपकरण	4,47,439	40,15,170
परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	43,74,59,549	59,44,18,182	सौर और नवीकरणीय ऊर्जा	-	5,52,505
परामर्शी परियोजनाएं - एनईआरसी	74,61,600	2,10,06,360	कम्प्यूटर	29,58,560	23,39,965
परामर्शी देयताएं	1,28,076	58,427	एवी उपकरण	14,56,502	6,80,542
देयताएं एवं प्रावधान	5,10,39,665	3,90,52,752	संयंत्र और मशीनरी	25,10,662	23,886
पारामन लेखा	17,64,310	53,83,660	वाहन	-	6,80,200
अंतरण लेखा	18,16,63,957	15,29,60,496	पुस्तकालय पुस्तकें	12,35,466	-
देयताएं एवं प्रावधान - एनईआरसी	1,32,42,873	1,00,00,000		-	-
देयताएं एवं प्रावधान - दिल्ली	29,47,507	1,58,51,581	V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी	-	-
पार्टियों से अग्रिम राशि	1,76,42,035	-	क) भारत सरकार को	-	-
	-	-	वेतन अनुदान	45,67,346	17,79,23,312

जारी...

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
विविध लेनदार	1,50,11,219	1,90,40,150	सामान्य अनुदान	5,44,55,969	20,99,62,287
वर्तमान संपत्ति अनुसूचियाँ/समूह	-	-	ख) राज्य सरकार को	-	-
जमा (संपत्ति)	-	-	ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को	-	-
ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	-	-	VI. वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
परामर्श संपत्तियाँ	4,98,912	4,47,778	VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)	-	-
विविध देनदार	-	-	वर्तमान परिसंपत्ति अनुसूची/समूह	-	-
वर्तमान संपत्तियाँ और अग्रिम	2,67,486	40,88,592	जमा (परिसंपत्ति)	-	-
सामान्य खाता और परियोजना पारगमन खाता	49,48,125	50,41,800	ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	-	-
अंतरण लेखा	4,78,21,228	5,04,90,547	परामर्श परिसंपत्तियाँ	4,19,035	12,33,083
देयताएँ एवं प्रावधान - एनईआरसी	1,52,00,000	7,50,00,000	वर्तमान परिसंपत्तियाँ और अग्रिम	-	-
देयताएँ एवं प्रावधान - दिल्ली	38,42,442	2,20,21,072	सामान्य खाता और परियोजना पारगमन खाता	8,28,580	71,66,112
एमओआरडी से प्राप्य निधि (जनकपुरी किराया)	12,78,061	20,59,927	अंतरण लेखा	-	3,74,26,000
	59,88,125	143,71,500		-	47,57,153
प्रत्यक्ष व्यय समूह			देयताएँ एवं प्रावधान - एनईआरसी	64,58,351	4,19,56,442
स्थापना व्यय	-	-	देयताएँ एवं प्रावधान - दिल्ली	3,18,570	5,77,526
वेतन	-	-	विविध देनदार	-	4,500
चिकित्सा व्यय	31,59,528	6,73,307	विविध लेनदार	37,06,02,484	1,93,86,96,255
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3,571	1,57,746		-	-
	1,69,438	5,92,985			
प्रशासनिक व्यय			वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	-	-
यात्रा भत्ता	-	-	परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	13,17,39,628	16,43,78,392
अन्य प्रशासनिक व्यय	3,249	4,977	परामर्श परियोजनाएँ - एनईआरसी	1,21,11,456	1,65,66,561
रखरखाव व्यय	18,27,957	20,32,120	परामर्श देयताएँ	-	-
प्रशिक्षण और अनुसंधान	-	-	देयताएँ और प्रावधान	70,36,04,138	2,26,99,757
पूर्व अवधि व्यय	1,98,715	5,78,601	पारगमन लेखा	33,50,914	49,19,980
	79,756	-	अंतरण लेखा	8,60,44,062	12,72,61,739
अप्रत्यक्ष आय अनुसूची			देयताएँ और प्रावधान - एनईआरसी	1,29,03,250	-
प्रायोजित कार्यक्रम, मुख्यालय और एनईआरसी से उपयोगकर्ता शुल्क/प्राप्तियाँ	-	-	देयताएँ और प्रावधान - दिल्ली	27,23,507	1,49,42,235
	67,50,746	1,68,79,107		-	-

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
सीपीजीएस पाठ्यक्रमों से शुल्क	1,43,90,923	2,18,94,155	अप्रत्यक्ष आय अनुसूची/समूह	-	-
रॉयल्टी/सदस्यता से आय	-	13,050	प्रायोजित परियोजना से उपयोगकर्ता शुल्क/प्राप्तियाँ	-	-
अन्य आय मुख्यालय और एनईआरसी/दिल्ली	1,38,99,078	27,26,568	सीपीजीएस पाठ्यक्रमों से शुल्क	-	1,200
लाइसेंस शुल्क मुख्यालय और एनईआरसी	13,04,099	7,19,096	ब्याज आय	-	-
विविध प्राप्तियाँ मुख्यालय, एनईआरसी	73,34,868	2,47,54,948	लाइसेंस शुल्क	-	-
पूर्व अवधि आय	44,50,134	-	अन्य विविध आय	11,89,293	5,56,500
	-	-	पूर्व अवधि आय	1,17,693	-
VIII. निवेश			पूँजी खाता	-	-
एफडी परामर्शी में निवेश	-	-	कॉर्पोस फंड	10,945	15,944
एफडी के सामान्य खातों में निवेश	1,37,99,29,153	1,29,83,59,505			
निवेश -चिन्हित निधि से	47,91,22,361	64,39,38,121	VIII. अंतः शेष	-	-
			क) नकद	-	-
			ख) बैंक शेष	-	-
			i) चालू खातों में	-	-
	-	-	ii) जमा खातों में	-	-
	-	-	iii) बचत खातों में	71,58,62,058	66,56,57,312
TOTAL	4,62,62,18,768	7,40,80,72,545	TOTAL	4,62,62,18,768	7,40,80,72,545



(ए.एस.चक्रवर्ती)
वित्तीय सलाहकार प्रभारी



(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

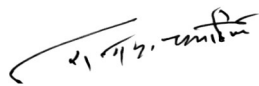
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान				
31 मार्च 2024 को तुलन पत्र				
विवरण		अनु. संदर्भ	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
			₹.	₹.
I	पूंजी एवं देयताएं			
	पूंजी निधि	1	77,90,89,011	79,95,49,846
	संचित निधि (एनआईआरडीपीआर)	1	5,72,21,87,890	5,02,33,95,746
	आरक्षित एवं अधिशेष	2	1,05,93,22,602	1,01,18,89,260
	निर्धारित निधियां	3	46,25,85,085	42,61,09,580
	सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
	असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
	आस्थगित ऋण देयताएँ	6	-	-
	चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	6,12,22,73,881	5,07,94,15,178
कुल योग			14,14,54,58,469	12,34,03,59,610
II	आस्तियां			
	अचल आस्तियां	8	76,79,02,222	78,83,63,055
	चिन्हित /धर्मस्व निधि से निवेश	9	5,76,24,99,970	5,09,85,44,778
	निवेश - अन्य	10	1,70,98,84,097	1,83,97,35,827
	चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	11	5,90,51,72,180	4,61,37,15,950
	विविध व्यय - उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते/समायोजित नहीं किया गया है		-	-
GRAND TOTAL			14,14,54,58,469	12,34,03,59,610

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

24

आकस्मिक देनदारियाँ और लेखों पर नोट्स

25



(ए.एस.चक्रवर्ती)
वित्तीय सलाहकार प्रभारी



(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

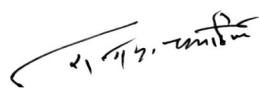
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान			
31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा			
विवरण	अनु.	31-मार्च-2024 ₹.	31-मार्च-2023 ₹.
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी	13	78,05,04,617	77,24,43,149
शुल्क/सदस्यता	14	1,43,91,908	2,18,92,955
निवेश से आय (निधि में हस्तांतरित चिन्हित/ अक्षय निधि से निवेश पर आय)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	36,609	13,050
सामान्य प्राप्तियाँ			
अर्जित ब्याज	17	10,98,71,668	4,61,88,451
अन्य आय	18	10,21,69,181	8,58,98,659
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति पर	19	10,72,674	1,05,877
उपयोगकर्ता शुल्क/प्रायोजित परियोजना प्राप्तियाँ	14-A	9,52,92,780	23,04,24,675
कुल (ए)		1,10,33,39,437	1,15,67,55,062
व्यय			
स्थापना व्यय	20		
वेतन		38,31,59,589	40,29,07,545
पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ		20,01,42,282	20,81,04,320
चिकित्सा व्यय		1,05,58,352	94,22,260
बीमांकिक अंतर		-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21		
यात्रा व्यय		58,23,580	58,01,658
प्रशिक्षण एवं अनुसंधान		4,31,50,444	2,87,89,553
मानदेय			
रखरखाव कार्य		18,98,862	24,16,041
अन्य प्रशासनिक व्यय		13,74,02,910	11,57,69,528
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यहास (वर्ष के अंत में निवल कुल)	8	2,86,15,057	3,23,35,525
कुल (बी)		81,07,51,076	80,55,46,430
व्यय पर आय का आधिक्य शेष (ए-बी)		29,25,88,362	35,12,08,632
जोड़ें: पूर्व अवधि आय - आईजीआर		4,23,81,857	10,28,995
जोड़ें: पूर्व अवधि आय - जीआईए (वास्तविक अंतर)		1,28,80,56,366	-
कम: पूर्व अवधि व्यय		9,18,46,177	1,55,362
कम: पूर्व अवधि व्यय - वास्तविक अंतर		1,19,48,06,931	-
विशेष रिजर्व में हस्तांतरण (अनुसूची 1 संचित निधि)		33,63,73,476	35,20,82,265
जनरल रिजर्व से/में हस्तांतरण		-	-
निवेश पर अर्जित ब्याज और प्राप्य टीडीएस		6,23,17,660	
एमओआरडी से प्राप्त होने वाला किराया		8,63,88,703	-
शेष राशि अधिशेष/(घाटा) होने पर कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया गया		18,76,67,113	35,20,82,265
		33,63,73,476	35,20,82,265

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

आकस्मिक देनदारियाँ और लेखों पर नोट्स

24

25



(ए.एस.चक्रवर्ती)
वित्तीय सलाहकार प्रभारी



(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान					
31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां					
अनु.सं.	विवरण	31-मार्च-2024		31-मार्च-2023	
अनु.1	पूँजी निधि				
	पूँजी निधि - सामान्य				
	वर्ष की शुरुआत में शेष	79,95,49,846	-	85,78,10,740	-
	जोड़ें: संचित/ पूँजी निधि में योगदान	-2,04,60,835		-5,82,60,894	
	जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित शुद्ध आय/ (व्यय) का शेष	-			
	वर्ष के अंत में शेष		77,90,89,011		79,95,49,846
	संचित निधि				
	15.01.01.02 संचित निधि				
	क) वर्ष के प्रारंभ में शेष	4,58,21,29,177		3,77,11,58,426	
	ख) वर्ष की शुरुआत में शेष (अनुदान वसूली का घाटा - एमओआरडी से प्राप्य)	-		44,12,66,569	
	ग) जोड़ें: कॉर्पस/पूँजीगत निधि में योगदान	21,95,40,471		45,88,88,486	
	जोड़ें/(घटाएं): शुद्ध आय का शेष/ (व्यय) आय एवं व्यय खाते से हस्तांतरित	18,76,67,113		3520,82,265	
	संचित निधि		4,98,93,36,761		4,58,21,29,177
	संचित निधि (अनुदान वसूली का घाटा - एमओआरडी से प्राप्य)		44,12,66,569		44,12,66,569
	निवेश पर अर्जित ब्याज और प्राप्य टीडीएस		6,23,17,660		
	एमओआरडी से प्राप्य किराया		8,63,88,703		-
	कॉर्पस निवेश पर प्राप्य अर्जित ब्याज		8,74,61,745		
	कॉर्पस ज़ीरो कूपन बांड पर प्राप्य अर्जित ब्याज		5,54,16,452		-
	संचित निधि		5,72,21,87,890		5,02,33,95,746
	वर्ष के अंत में शेष - पूँजीगत और संचित		6,50,12,76,901		5,82,29,45,592
अनु.2	आरक्षित और अधिशेष				
	पूँजी आरक्षित - (सहायता अनुदान)	-	-	-	-
	पिछले लेख के अनुसार				
	वर्ष के दौरान जोड				
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				

अनु.सं.	विवरण	31-मार्च-2024		31-मार्च-2023	
	मूल्यहास आरक्षित				
	पिछले लेखे के अनुसार	49,07,22,839		47,46,08,766	
	वर्ष के दौरान जोड (ब्याज)	4,74,33,342		1,61,14,073	
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			53,81,56,181		49,07,22,839
	मूल्यहास आरक्षित - एमओआरडी से प्राप्य				
	पिछले लेखे के अनुसार	52,11,66,421		52,11,66,421	
	वर्ष के दौरान जोड	-		-	
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ			-	
			52,11,66,421		52,11,66,421
	पूंजी आरक्षित - (सहायता अनुदान)	-	-	-	-
	पिछले लेखे के अनुसार				
	वर्ष के दौरान जोड				
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	भारत सरकार से प्राप्त उपहार	-	-	-	-
	पिछले लेखे के अनुसार				
	वर्ष के दौरान जोड				
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	कुल		1,05,93,22,602		1,01,18,89,260

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान														
31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां														
अनु.सं.		विवरण	निधि के अनुसार ब्रेकअप										कुल	
अनु. 3	चिह्नित निधि	हैदराबाद					दिल्ली							
	भवन निधि	भवन निधि		सीईडीएफआई		एसआरएससी-एनआईआरडीपीआर		एफसीआरए		पीएमआरडीएफ		31-03-2024	31-03-2023	
	क) प्रारंभिक शेष	17,12,72,707		12,23,05,116		11,52,69,424		38,05,544	-	1,34,56,789	-	42,61,09,580	40,76,63,724	
	ख) निधियों में जोड़	1,31,04,601		1,18,21,114		1,10,51,368		1,05,635		3,92,787		3,64,75,505	2,35,17,591	
	कुल (क+ख)		18,43,77,308		13,41,26,230		12,63,20,792		39,11,179		1,38,49,576	46,25,85,085	43,11,81,315	
	ग) उद्देश्यों के प्रति निधियों का उपयोग/व्यय													
	i) पूंजीगत व्यय			-				-		-		-	49,09,319	
	ii) राजस्व व्यय	-						-		-		-	1,62,416	
	कुल (ग)		-		-		-		-		-	-	50,71,735	
	वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क+ख+ग)		18,43,77,308		13,41,26,230		12,63,20,792		39,11,179		1,38,49,576	46,25,85,085	42,61,09,580	

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान				
31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां				
		समूह	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
अनु.सं.	विवरण	संदर्भ	₹.	₹.
अनु.4	सुरक्षित ऋण और उधार		-	-
	1) केंद्र सरकार		-	-
	2) राज्य सरकार			
	3) वित्तीय संस्थानें		-	-
	क) सावधि ऋण		-	-
	ख) अर्जित ब्याज और देय			
	4) बैंक		-	-
	क) सावधि ऋण		-	-
	- अर्जित ब्याज और देय		-	-
	ख) अन्य ऋण		-	-
	- अर्जित ब्याज और देय		-	-
	5) अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ		-	-
	6) डिबेंचर्स और बांड		-	-
	7) अन्य		-	-
अनु.5	असुरक्षित ऋण और उधार		-	-
			-	-
	1) केंद्र सरकार		-	-
	2) राज्य सरकार		-	-
	3) वित्तीय संस्थानें			
	4) बैंक		-	-
	क) सावधि ऋण		-	-
	ख) अन्य ऋण		-	-
	5) अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ		-	-
	6) डिबेंचर्स और बांड		-	-
	7) सावधि जमा		-	-
	8) अन्य		-	-
अनु.6	आस्थगित ऋण देयताएं			
			-	-
	क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित रखी गई स्वीकृतियां		-	-
	ख) अन्य		-	-
	कुल			

जारी...

अनु.सं.	विवरण	समूह	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
		संदर्भ	Rs.	Rs.
अनु. 7	वर्तमान देयताएं और प्रावधान			
	क) वर्तमान देयताएं			
	1) स्वीकृतियां		-	-
	2) विविध लेनदार			
	क) सामानों के लिए			
	ख) अन्य	L11	-	44,59,358
	3) प्राप्त अग्रिम	A7	-	49,33,977
	4) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं			
	क) सुरक्षित ऋण/उधार			
	ख) असुरक्षित ऋण/उधार			
	5) वैधानिक दायित्व			
	क) अतिदेय			
	ख) अन्य		-	-
	6) अन्य वर्तमान देयताएं			
	परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	L3	1,03,65,36,903	1,10,68,32,143
	परामर्श परियोजनाएँ	L4	3,48,78,552	3,98,80,430
	परामर्शी देयताएँ	L5	1,79,37,564	1,93,01,733
	देयताएँ और प्रावधान	L6	31,06,99,614	31,48,21,957
	पारगमन लेखा	L7	23,11,288	43,29,283
	अंतरण लेखा	L8	4,12,45,532	4,57,66,589
	परामर्शी अंतरण लेखा	L8	10,25,446	10,25,446
	सहायता अनुदान का ब्याज और अव्ययित शेष - एमओआरडी	L9	45,99,23,508	48,26,19,785
	परामर्शी परिसंपत्तियाँ	A10	1,64,800	1,64,800
	परियोजना पारगमन लेखा	A13	-	5,98,33,404
	एमओआरडी से प्राप्य	A11	-	59,83,953
	कुल (क)		1,90,47,23,207	2,08,99,52,858
	ख) प्रावधान			
	1) कराधान के लिए		-	-
	2) उपदान		21,96,22,387	22,58,78,085
	3) सेवानिवृत्ति/पेंशन		3,74,57,00,000	2,56,78,00,000
	4) संचित अवकाश नकदीकरण		20,72,93,445	18,41,30,816
	5) व्यापार वारंटी/दावा		-	-
	6) अन्य			
	क) एवीएफ-निवेशों पर ब्याज		3,10,12,512	1,16,53,419
	ख) एवीएफ- शून्य कूपन ब्याज		1,39,22,330	-
	कुल (ख)		4,21,75,50,674	2,98,94,62,320
	कुल (क+ख)		6,12,22,73,881	5,07,94,15,178

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान													
31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां													
अनुसूची 8: अचल आस्तियां (आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति)													
क्र.सं.	विवरण	मूल्यहास दर	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
			वर्ष के प्रारंभ में लागत / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान कुल जोड़	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन	वर्ष के अंत में वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन सहित	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक कुल	31-03-2024 को	31-03-2023 को		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
			> 180 दिन	< 180 दिन									
1	भूमि	0%	10,76,74,169		-	10,76,74,169	-	-	-	10,76,74,169	10,76,74,169		
2	भूमि पर विकास	0%	5,98,266		-	5,98,266	-	-	-	5,98,266	5,98,266		
3	भवन- कार्यालय और जीएच	10%	25,57,12,483	5,83,926	1,41,405	25,64,37,814	23,08,60,658	25,69,026.00	-	23,34,29,684	2,30,08,130	2,48,51,825	
4	भवन- आवासीय	5%	53,18,921		-	53,18,921	8,06,534	2,25,619.00	-	10,32,153	42,86,768	45,12,387	
5	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	5,89,40,723	9,11,395	20,92,806	6,19,44,924	405,93,467	20,33,905.00	-	4,26,27,372	1,93,17,552	1,83,47,256	
6	कार्यालय उपकरण	15%	6,32,34,398	4,47,622	44,34,275	6,81,16,295	5,67,90,503	13,80,323.00	-	5,81,70,826	99,45,469	64,43,895	
7	कंप्यूटर	40%	11,52,71,259	3,22,135	24,25,947	11,80,19,341	11,19,90,518	19,26,340.00	-	11,39,16,858	41,02,483	32,80,741	
8	वाहन	15%	29,16,150		-	29,16,150	11,21,915	2,69,135.00	-	13,91,050	15,25,100	17,94,235	
9	दृश्य श्रव्य उपकरण	15%	656,26,901	2,40,720	9,64,002	6,68,31,623	5,33,25,493	19,71,673.00	-	5,52,97,166	1,15,34,457	1,23,01,408	
10	संयंत्र एवं मशीनरी	15%	1,45,22,948	7,08,228	24,40,674	1,76,71,850	1,02,47,717	9,69,192.00	-	1,12,16,909	64,54,941	42,75,231	
11	सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा	40%	3,73,800		-	3,73,800	2,60,218	45,433.00	-	3,05,651	68,149	1,13,582	
12	स्वास्थ्य क्लब	15%	18,65,194		-	18,65,194	14,45,643	62,933.00	-	15,08,576	3,56,618	4,19,551	
13	पुस्तकालय पुस्तकें	40%	2,89,95,846	8,21,551	5,03,594	3,03,20,991	2,86,53,319	5,92,574.00	-	2,92,45,893	10,75,098	3,42,527	
14	सीपीजीएस संपत्ति	15%	23,14,805		-	23,14,805	23,14,805	-	-	23,14,805	-	-	
15	आरटीपी आस्तियां		6,53,84,506		-	6,53,84,506	5,79,85,515	3,70,028.00	-	5,83,55,543	70,28,963	73,98,991	
16	एनईआरसी		3,04,30,339	2,56,647	45,520	2,08,59,319	1,56,23,331	8,01,167.00	4,60,690	1,59,63,808	48,95,511	1,48,07,008	
17	दिल्ली आस्तियां		17,91,93,908	67,972	6,18,990	17,98,80,870	15,01,62,376	30,71,856.00	-	15,32,34,232	2,66,46,638	2,90,31,532	
18	भवन	10%	23,01,48,986		-	23,01,48,986	17,23,00,218	57,84,877.00	-	17,80,85,095	5,20,63,891	5,78,48,768	
19	संयंत्र एवं मशीनरी	15%	174,49,073		-	1,74,49,073	1,68,03,762	96,797.00	-	1,69,00,559	5,48,514	6,45,311	
20	योजना पूंजीगत परिसंपत्तियां		982,06,202		-	9,82,06,202	5,26,33,849	69,04,868.83	-	5,95,38,718	3,86,67,484	4,55,72,353	
	कुल		1,34,41,78,877	43,60,196	136,67,213	1,35,23,33,099	1,00,39,19,841	2,90,75,747.00	4,60,690	1,03,25,34,898	31,97,98,201	34,02,59,036	
21	योजना पूंजीगत कार्य		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	कुल योग		13441,78,877	43,60,196	136,67,213	1,35,23,33,099	1,00,39,19,841	2,90,75,747.00	4,60,690	1,03,25,34,898	31,97,98,201	34,02,59,036	
24	मूल्यहास आरक्षित	0%	4481,04,021		-	4481,04,021	-	-	-	-	44,81,04,021	44,81,04,019	
	कुल योग		1,79,22,82,898	43,60,196	1,36,67,213	1,80,04,37,120	1,00,39,19,841	2,90,75,747.00	4,60,690	1,03,25,34,898	76,79,02,222	78,83,63,055	

SCH. NO.	PARTICULARS	GROUP	31-Mar-24	31-Mar-23
		REF.	Rs.	Rs.
अनु.8	अचल संपत्ति और मूल्यहास (परिशिष्ट)	अनु.8	7679,02,222	7883,63,055
अनु.9	चिह्नित निधि से निवेश			
	1) सरकारी प्रतिभूतियों में			
	क) सामान्य निवेश	A4	79,56,41,437	79,56,41,437
	ख) संचित निवेश	A4	4,09,37,07,927	3,84,40,66,327
	2) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		-	-
	3) शेयरस		-	-
	4) डिबेंचर और बांड		-	-
	5) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम		-	-
	6) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)			
	सावधि जमा में निवेश	A4	20,75,50,888	18,26,37,014
	कॉर्पस निवेश - सावधि जमा में	A4	51,83,61,232	27,62,00,000
	कॉर्पस निवेश - अर्जित ब्याज	A4	14,72,38,486	-
	कुल		5,76,24,99,970	5,09,85,44,778
अनु.10	निवेश - अन्य			
	1) सरकारी प्रतिभूतियों में	A4	38,96,40,000	38,96,40,000
	2) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		-	-
	3) शेयरस		-	-
	4) डिबेंचर और बांड		-	-
	5) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम		-	-
	6) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	A4	1,32,02,44,097	1,45,00,95,827
	कुल		1,70,98,84,097	1,83,97,35,827

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

		समूह संदर्भ	31-मार्च-2024 ₹.	31-मार्च-2023 ₹.
अनु. 11	वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम			
	क) वर्तमान संपत्तियाँ			
	1) सूची			
	क) भण्डार एवं पुर्जे			
	ख) फुटकर औजार			
	ग) स्टॉक-इन-ट्रेड			
	i) तैयार माल	ए5	33,89,764	23,17,090
	ii) कार्य प्रगति पर है		-	-
	iii) कच्चा माल		-	-
	2) विविध देनदार			
	क) छह माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण		-	-
	ख) अन्य	ए7	17,140	-
	3) उपलब्ध नकद शेष		-	-
	4) बैंक शेष			
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ			
	- चालू लेखों पर	ए8	7,31,825	66,56,57,315
	- जमा लेखों पर (मार्जिन मनी शामिल)		-	-
	- बचत लेखों पर	ए8	71,51,30,233	-
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ			
	- चालू लेखों पर		-	-
	- जमा लेखों पर (मार्जिन मनी शामिल)		-	-
	- बचत लेखों पर		-	-
	5) डाकघर बचत लेखा		-	-
	कुल (क)		71,92,68,962	66,79,74,405
	ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ			
	1) ऋण			
	क) कर्मचारी	ए6	2,51,115	10,80,013
	ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएँ		-	-
	ग) अन्य			
	2) नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ			
	क) पूँजी खाते पर	ए6	-	9,64,307
	ख) पूर्वभुगतान	ए6	35,99,573	3,84,99,167
	ग) अन्य			
	i) कर्मचारी	ए6	63,05,404	75,18,529
	ii) अन्य	ए6 एवं एल11	4,18,38,297	3,63,15,822
	3) अर्जित आय			
	क) निर्धारित/ अक्षय निधि से निवेशों पर	ए5	4,23,26,559	7,76,95,060
	ख) निवेश पर - अन्य	ए5	10,03,88,307	5,97,56,937
	ग) ऋण और अग्रिम पर	ए6	-	29,930
	घ) अन्य	ए5	2,12,436	
	4) प्राप्य दावे (एमओआरडी से प्राप्य)	ए6 एवं ए10	4,87,33,75,961	3,60,41,52,405
	5) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			
	क) टीडीएस प्राप्य	ए5	59,08,944	48,98,121
	ख) उपलब्ध टिकट/फ्रेकिंग	ए5	34,803	84,178
	ग) परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	एल3	4,99,62,449	5,46,04,146
	घ) परामर्श परियोजनाएँ	एल4	1,14,71,192	1,18,69,214
	ड.) देयताएँ और प्रावधान	एल6	4,24,10,007	12,88,968
	च) पारगमन लेखा	एल7	20,58,643	16,08,134
	छ) अंतरण लेखा	एल8	53,33,840	4,18,65,942
	ज) विविध लेनदार	एल11	-	30,84,983
	झ) परामर्शी परिसंपत्तियाँ	ए10	4,25,689	4,25,689
	कुल (ख)		5,18,59,03,218	3,94,57,41,545
	कुल (क+ख)		5,90,51,72,180	4,61,37,15,950

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

आय एवं व्यय लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनु.सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
		₹.	₹.
अनु. 12	बिक्री/सेवाओं से आय	-	-
	1) बिक्री से आय		
	क) तैयार माल की बिक्री	-	-
	ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
	ग) कबाड़ की बिक्री	-	-
	2) सेवाओं से आय		
	क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क		-
	ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएँ	-	-
	ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
	घ) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति)	-	-
	ड.) अन्य	-	-
	कुल	-	-
अनु. 13	अनुदान/सब्सिडी (एमओआरडी से)		
	1) केंद्र सरकार		
	10.02 वेतन अनुदान		
	10.02.01.01.01 भारत सरकार से प्राप्त अनुदान - वेतन	62,04,57,654	58,04,39,688
	10.03 सामान्य अनुदान		
	10.03.01.01.01 भारत से प्राप्त अनुदान - सामान्य	15,80,20,678	19,20,03,461
	2) राज्य सरकारें	-	-
	3) सरकारी एजेंसियाँ	-	-
	4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय	-	-
	5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
	6) अन्य	20,26,285	-
		78,05,04,617	77,24,43,149
अनु. 14A	प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्तियाँ		
	संस्थागत/सम्मेलन कक्ष शुल्क/संकाय लागत/अन्य	9,52,92,780	23,04,24,675
		9,52,92,780	23,04,24,675
अनु. 14	शुल्क/सदस्यता (सीपीजीएस पाठ्यक्रम से)		
	1) प्रवेश शुल्क		
	2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता	1,37,75,822	2,13,43,060
	14.01.00.00.18 पीजीडीआरडीएम शुल्क बैंक लेनदेन	1,24,860	1,27,944
	14.01.00.00.01 पत्रिका की सदस्यता	4,91,226	4,21,951
	14.01.00.00.19 डीईसी दूरस्थ मोड बैंक लेनदेन	-	-
	3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
	4) परामर्श शुल्क	-	-
	5) अन्य	1,43,91,908	2,18,92,955
	कुल		

जारी..

अनु.सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
		₹.	₹.
अनु. 15	निवेश से आय (चिह्नित/ अक्षय निधि से)		
	1) ब्याज		
	क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
	ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-
	2) लाभांश		
	क) शेयरों पर	-	-
	ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
	3) किराया	-	-
	4) अन्य	-	-
अनु. 16	रॉयल्टी/सदस्यता से आय		
	1) रॉयल्टी से आय		
	2) प्रकाशनों से आय		
	एनआईआरडी प्रकाशनों की बिक्री	36,609	13,050
	3) अन्य	-	-
		36,609	13,050
अनु. 17	अर्जित ब्याज		
	1) सावधि जमा पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	14.01.00.00.12 लघु एवं दीर्घावधि जमा पर ब्याज	9,35,98,189	4,32,19,671
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	एपीएसईबी के पास जमा पर ब्याज	-	-
	2) बचत लेखों पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	14.01.01.00.04 एसबी खाते पर ब्याज	1,38,87,170	9,98,281
	14.04.00.00.06 एसबी खाते पर ब्याज - एनईआरसी	18,05,797	6,84,890
	14.05.00.00.02 एसबी खाते पर ब्याज - दिल्ली	2,47,310	2,56,898
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) डाकघर बचत लेखों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	14.01.00.00.15 एपीएसईबी के पास जमा पर ब्याज	2,13,881	-
	3) ऋण पर		
	क) कर्मचारी/स्टाफ		
	14.05.00.00.01 कर्मचारी ऋण पर ब्याज - दिल्ली	-	3,41,098
	घ) अन्य		
	14.01.01.00.01 ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	1,19,321	6,87,613
	4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
		10,98,71,668	4,61,88,451

जारी...

अनु.सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
		₹.	₹.
अनु. 18	अन्य आय		
	1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
	क) स्वामित्व वाली संपत्ति		
	ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ		
	2) निर्यात लाभ की प्राप्ति		
	3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
	14.01.00.00.03 स्टाफ बस शुल्क (एरगिड्डा)	3,61,689	4,16,409
	14.01.00.00.03 स्टाफ बस उपयोगकर्ता शुल्क (सिकंदराबाद)	6,44,416	7,43,371
	14.01.00.00.04 एनआईआरडीपीआर वाहनों का किराया	-	1,164
	14.01.00.00.09 आरटीपी प्राप्ति	23,17,621	14,81,168
	14.01.00.00.20 खेल परिसर की वसूली	52,812	40,665
	एन0006 आरटीपी उत्पादन गतिविधियों की प्राप्ति	-	2,67,300
	14.04.00.01.01 छात्रावास प्राप्ति एनईआरसी	15,00,881	10,01,406
	14.01.00.00.27 हेल्थ क्लब (प्राप्ति)	82,841	-
	4) विविध आय		
	14.01.00.00.05 निविदा प्रपत्रों की बिक्री	-	14,093
	14.01.00.00.10 कबाड़ की बिक्री	10,30,021	6,266
	14.01.00.00.25 गैराज शुल्क	21,175	13,810
	14.01.02.00.08 - कूड़ा संग्रहण शुल्क (प्राप्ति)	56,270	61,957
	14.02 लाइसेंस शुल्क		
	14.02.00.00.01-नियमित कर्मचारी एलआईसी शुल्क	17,56,627	19,07,577
	14.02.00.00.02 - परियोजना स्टाफ और सीपीजीएस छात्र एलआईसी शुल्क	31,46,258	18,90,044
	14.02.00.00.03 - ठेकेदार, विक्रेता और एसबीआई एलआईसी शुल्क	6,16,473	9,45,165
	14.02.00.00.04 एसबीआई लाइसेंस और अन्य शुल्क	1,74,288	-
	एन0006 एनआरएलएम एमओआरडी को जनकपुरी भवन का पट्टा	1,43,71,500	1,43,71,500
	एन0006 एमओआरडी को आईएचसी कार्यालय स्थान का पट्टा	4,06,98,432	
	14.03 विविध प्राप्ति		
	14.01.00.00.07 आरटीआई प्राप्ति	712	396
	14.01.00.00.26 - आवेदन शुल्क - प्राप्ति	3,94,284	3,74,716
	14.03.00.00.02 - विविध प्राप्ति	-33,43,082	1,68,16,191
	एन0006 एन- विविध प्राप्ति	3,46,286	16,06,017
	एन0006 ऑफिस स्पेस रखरखाव के लिए परियोजना से प्राप्ति	64,39,500	43,29,202
	एन0006 एसआईआरडी/ईटीसी/अन्य एजेंसियों से रीफंड	5,274	-
	14.04 गुवाहाटी की प्राप्ति		
	14.04.00.00.03 कार्यक्रम स्थल से प्राप्ति - एनईआरसी	2,89,274	89,98,279
	14.04.00.00.04 लाइसेंस शुल्क - एनईआरसी	4,18,868	4,08,900
	14.04.00.00.05 विविध प्राप्ति - एनईआरसी	39,772	18,37,990
	14.04.00.00.07 - प्रायोजित प्रशिक्षण - एनईआरसी	30,69,732	-
	14.04.00.01.02 भवन का किराया - एनईआरसी	2,90,160	-
	14.05 दिल्ली की प्राप्ति		
	14.05.00.00.03 - ग्रेच्युटी - अन्य संस्थान ग्रेच्युटी परामर्शी - अन्य निवेश	-	9,048
	14.05.00.00.04- अवकाश वेतन परामर्शी - अन्य निवेश	-	13,535
	14.05.00.00.05 विविध प्राप्ति दिल्ली	7,600	79,826
	वर्ष-2022-2023 के लिए मूल्यहास - आस्थगित राजस्व- (सीएबी के लिए एस-12/ सामान्य प्रारूप के अनुसार)	2,86,15,057	3,23,35,525
	7 सीपीसी बकाया -30% आईजीआर से पूरा किया गया	-12,35,560	-40,72,861
	पूर्व अवधि आय	4,23,81,857	
		14,45,51,038	8,58,98,659

जारी...

अनु.सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
		₹.	₹.
अनु. 19	तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) एवं कार्य प्रगति पर		
	क) अंतःशेष	33,89,764	23,17,090
	- तैयार माल		
	- कार्य प्रगति पर		
	ख) घटाए : प्रारंभिक स्टॉक	23,17,090	24,22,967
	- तैयार माल		
	- कार्य प्रगति पर		
	निवल वृद्धि / (कमी) (क-ख)	10,72,674	-1,05,877
अनु. 20	स्थापना व्यय		
	क) वेतन और मजदूरी		
	01 संस्थान का वेतन		
	01.01. हैदराबाद	29,98,50,455	28,80,27,925
	01.02. एनईआरसी- गुवाहाटी	4,93,92,658	4,24,88,055
	01.03. दिल्ली	-	4,64,22,634
	ख) भत्ते और बोनस		
	ग) भविष्य निधि के लिए अंशदान		
	i) हैदराबाद	3,21,63,278	1,98,32,715
	ii) एनईआरसी- गुवाहाटी		
	iii) दिल्ली	49,243	4,44,402
	घ) अन्य निधि के लिए योगदान		
	ड.) कर्मचारी कल्याण व्यय		
	03 चिकित्सा		
	03.01. हैदराबाद	90,04,465	76,95,359
	03.02. एनईआरसी- गुवाहाटी	14,51,968	12,04,250
	03.03. दिल्ली	1,01,919	5,22,651
	च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ पर व्यय		
	i) हैदराबाद	19,10,55,903	17,87,54,823
	ii) एनईआरसी- गुवाहाटी	90,86,379	1,56,31,693
	iii) दिल्ली	-	1,37,17,804
	छ) अन्य		
	i) अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	17,03,955	56,91,814
	ii) बीमाकिक अंतर		
	क) ग्रेच्युटी	-	-
	ख) छुट्टी नकदीकरण	-	-
	ग) पेंशन	-	-
	07. अन्य प्रशासनिक व्यय		
	07.01. हैदराबाद	10,82,98,132	9,36,14,645
	07.02. एनईआरसी- गुवाहाटी	1,36,66,621	74,57,201
	07.03. दिल्ली	1,53,24,955	1,46,97,682
		73,11,49,931	73,62,03,653
अनु.21	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
	क) मरम्मत और रखरखाव		
	08. रखरखाव व्यय		
	08.01. हैदराबाद	18,98,862	24,16,041
	08.02. एनईआरसी- गुवाहाटी	-	-
	08.03. दिल्ली	-	-
	ख) यात्रा एवं वाहन व्यय		
	04 यात्रा व्यय		
	04.01. हैदराबाद	46,20,123	49,17,744

जारी...

अनु.सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
		₹.	₹.
	04.02. एनईआरसी - गुवाहाटी	5,42,722	8,28,851
	04.03. दिल्ली	6,60,735	55,063
	ग) अन्य		
	05 प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	3,87,00,196	2,43,42,742
	05.01. to 05.09 हैदराबाद	37,72,454	30,51,463
	05.10. एनईआरसी- गुवाहाटी	3,31,732	12,78,603
	05.11. दिल्ली	3,46,062	1,16,745
	05.12 संकाय विकास योजना		
	एस2075 12 छात्रों को छात्रवृत्ति	88,242	
	एस2075 7 स्टेशनरी और टेलीफोन शुल्क	24,960	
	कुल	5,09,86,088	3,70,07,252
अनु. 22	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	-	-
	क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		
	खसंस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी		
		-	-
अनु. 23	ब्याज		
	क) निश्चित ऋण पर		
	ख) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)		
	ग) अन्य		
		-	-
अनु.8	मूल्यहास		
	पूँजीगत परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	2,86,15,057	3,23,35,525
	कुल	2,86,15,057	3,23,35,525

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान			
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			
तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां			
क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
अनुसूची	(एल3) परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान		
	सीगार्ड परियोजनाएं	25,47,807	24,80,646
1	15.01.03.01.07 एस1612 मेडागास्कर में सीगार्ड की स्थापना	68,67,345	66,86,319
2	15.01.03.01.11 सीसी रोड की गुणवत्ता पर तीसरे पक्ष का मूल्यांकन	-95,057	-95,057
3	15.01.03.01.12 आन्ध्र प्रदेश (एसएसी इसरो) में स्पेक लाइब्रेरी जनरल और कंपनी	56,67,319	77,60,938
4	15.01.03.01.13 टिहरी गढ़वाल के लिए एपीआईबी परियोजना उत्तराखंड	89,95,880	87,58,746
5	15.01.03.01.14 ग्रामीण सड़क परियोजना पीएमजीएसवाई में भू-संसूचना	45,30,163	44,10,746
6	15.01.03.01.17 ग्रामीण सड़क एसएफए और पीएमजीएसवाई II से परामर्श	51,75,787	50,39,352
7	15.01.03.01.31 ढाका में सिर्पाप आईसीटी केंद्र की स्थापना	-1,983	-
8	15.01.03.01.33 सीगार्ड परियोजना प्रबंधन शुल्क	2,19,041	2,13,267
9	15.01.03.01.40 - पीएमकेएसवाई पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीगार्ड)	2,24,12,645	2,19,72,135
10	15.01.03.01.44 मनरेगा में भू-कार्यान्वयन	8,87,956	8,64,550
11	15.01.03.01.45 ईपीआरआईएस- इसरो परियोजना	-44,502	-44,502
12	15.01.03.03.67 राष्ट्रीय भू व्यवसायिक योजना वित्तीय सहायता	-1,31,633	-1,31,633
13	15.01.03.03.87 एपीपी आधारभूत संरचना पी एवं एम मनरेगा स्थानिक का विकास	1,53,895	1,49,838
14	सी1721 स्थानीय प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन एवं परिवर्तन का पता लगाना	-2,73,175	-2,71,192
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	5,74,57,838	5,83,36,538
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	5,71,84,663	5,80,65,346
	उप कुल		
	डीडीयू जीकेवाई परियोजनाएं		
15	डीडीयू जीकेवाई-एसजीएसवाई विशेष परियोजनाएं	4,28,92,297	-
16	15.01.03.02.01 सावधि जमाओं पर डीडीयू जीकेवाई ब्याज	1,32,40,031	1,53,62,162
17	15.01.03.02.02 एसजीएसवाई बीपीएल यूथ होशंगाबाद-एमपी-एआईएससीटी	50	50
18	15.01.03.02.03 एनआरओ-डीडीयूजीकेवाई	-	-1,04,02,753
19	15.01.03.02.04 - कोर शिक्षा एवं टेक्नोलॉजी लिमिटेड (एसजीएसवाई)	15,87,244	15,87,244
20	15.01.03.02.07 - राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (झारखंड)	6,983	6,983
21	15.01.03.03.66 आईसीसी प्रभाग के लिए सलाहकार की नियुक्ति	-1,64,325	-1,64,325
22	डीडीयूजीकेवाई - सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,80,74,300	-
23	डीडीयू जीकेवाई - शून्य कूपन ब्याज	5,85,876	-
24	एस0221 रूढ़सेटी के तहत आरसेटी के लिए ईआरपी का विकास	34,59,248	35,37,706
25	एस2163 टाउन स्कूल शिक्षा पहल	-	-
26	एस2309 प्रीमियर शील्ड प्राइवेट लिमिटेड (एसजीएसवाई-II एसपी)	-	113,78,937
27	एस2336 ईगल हंटर सोल्यूशंस	47,021	47,021
28	एस2341 चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,	-	-
29	एस2369 मास इन्फोटेक सोसायटी (एसजीएसवाई)	-	-
30	एस2382-इंडिया कैन एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड (एसजीएसवाई/एसडीपी)	1,46,52,868	2,22,96,724
31	एस2421-आईकेवाईए ह्यूमन कैपिटल सॉल्यूशंस लिमिटेड (एसजीएसवाई) (एचआर)	-7,735	-7,735
32	एस2521-एनआईआईटी युवाज्योति लिमिटेड-असम	-3,123	-3,123
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-1,75,183	-1,05,77,936
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	9,45,45,918	5,42,16,827
	उप कुल	9,43,70,736	4,36,38,892

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
	सामान्य		
33	एस1603 अतिविस्तृत क्षेत्रों में जल संसाधनों का प्रबंधन	-18,123	-18,123
34	15.01.01.03.03.01 यूनिसेफ इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म फॉर स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन	-	-
35	15.01.01.03.03.02 -सासंद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	-	1,98,664
36	सी0121 पोषण, बाल संरक्षण, वॉश और स्वास्थ्य कार्य योजनाएँ	11,29,986	30,66,246
37	सी0122 मोबाइल एप्लिकेशन भुवन पीएमजेवीके फ़ो जियो-टैग	2,93,605	2,89,633
38	सी0221 14 वेबसाइटों में तृतीय पक्ष ऑडिट आयोजित करना	-930	-930
39	सी0222 आरजीएनआईवाईडी	-2,474	8,71,485
40	सी0321 आपातकालीन प्रतिक्रिया को गाँव के परिप्रेक्ष्य में एकीकृत करना	-96,768	14,53,983
41	सी0322 आईसीआरआईएसएटी जलागम प्रभाव अध्ययन	3,57,647	4,32,209
42	सी0421 कौशलपूर्ण आजीविका एवं वित्तीय समावेशन	6,81,515	3,52,265
43	पी0033 पी-एक्शन अनुसंधान परियोजना	1,24,118	1,20,846
44	एस0521 इंडिया@75 आज़ादी का अमृत महोत्सव	-50,327	-50,327
45	एस0621 एनएसएपी की योजनाओं के लिए पायलट आधार पर लेखापरीक्षा	4,49,427	4,37,580
46	एस0721 आरएस एवं जीआईएस अनुप्रयोग पर कार्यशाला	-19,838	-18,988
47	एस0821 कीट प्रबंधन पाठ्यक्रम	16,00,897	11,82,933
48	एस0921 (जेजेएम) के क्षमता निर्माण के लिए प्रमुख संसाधन केंद्र (केआरसी)	6,51,663	2,48,453
49	एस0922 भू-मनरेगा गतिविधियाँ चरण- II	64,22,132	119,11,585
50	एस1021 जीआईएस और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी	-1,74,230	-1,71,280
51	एस1121 (जीपीडीपी) की स्थिति, प्रक्रियाएं, तैयारी में समस्याएं	10,04,618	17,69,789
52	एस1221 जीआईएस और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी	2,13,675	21,485
53	एस1222 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0	-1,07,910	44,95,241
54	एस1321 आरडी की सर्वोत्तम पद्धतियों का परिचयात्मक दौरा	7,71,322	7,50,990
55	एस1421 योजना I-एमईएसए का उप-घटक सामाजिक लेखापरीक्षा	43,57,379	-21,20,020
56	एस1422 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का प्रशिक्षण अध्ययन दौरा	1,12,754	-3,22,070
57	एस1522 नई पीढ़ी की जलागम परियोजनाओं के लिए डीपीआर	2,46,293	2,61,866
58	एस1523 मणिपुर एसआरएलएम ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के लिए डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम पर अभिमुखीकरण	17,31,107	-
59	एस1608 ई-एनेबलमी द्वारा पीआरआई के माध्यम से भारत में परिवर्तन	-47,12,135	2,04,11,335
60	एस1622 वाईएसआर पेंशन कनुका का आकलन	13,60,310	7,19,418
61	एस1810-आंतरिक लेखापरीक्षा- सीआईएआरडी	-30,30,622	10,12,082
62	एस2233 एनआरओ-डीडीयूजीवेवाई एमओआरडी	-	-7,42,566
63	एस2722 पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों का परिचयात्मक दौरा	-6,62,679	-6,62,679
64	एस2822 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के लिए ई-डीपीआर	8,78,427	
65	एस3022 जम्मू - कश्मीर के पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों का परिचयात्मक दौरा	1,93,214	3,59,445
66	15.01.03.03.03 सिडबी द्वारा पीएसआईजी पीआर, एमएसई द्वारा एक्सेस की आसानी	3,738	3,639
67	15.01.03.03.04 यूबीए विलेज आईआईटी दिल्ली के लिए परिदृश्य लेखन	-9,91,180	4,29,614
68	15.01.03.03.05 ई प्रमाणन कार्यक्रम सिंजेंटा फाउंडेशन	5,63,843	5,48,980

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
69	15.01.03.03.14 रणनीतिपरक संचार आ.प्र, टीएस, कर्नाटक यूनिसेफ	-1,51,854	-1,51,854
70	15.01.03.03.20 एनएमडीसी सीएसआर कार्यक्रम	-19,16,455	-19,16,455
71	15.01.03.03.22 राष्ट्रीय पोषण - सीएचआरडी	17,49,880	17,03,752
72	15.01.03.03.24 संस्थान द्वारा अपनाए गए यूबीएए योजना वीसी	2,31,968	6,68,754
73	15.01.03.03.26 - जीएमआरवी फाउंडेशन की सीएसआर पहल का तृतीय पक्ष मूल्यांकन	1,26,135	1,22,810
74	15.01.03.03.28 सैनटरी नेपकिन टीएस (बीडीएल) पर सीएसआर जागरूकता	1,55,811	1,55,811
75	15.01.03.03.30-एसएचजी बीसी पाथवेज़ परियोजना	-21,629	-21,629
76	15.01.03.03.32 एपी-नाबार्ड में एफपीओ/पीओपीआई के लिए आरएसए	70,98,959	69,11,828
77	15.01.03.03.34 एनआईआरडीपीआर में सीआरसी-सीजीएस की स्थापना	-51,804	-51,804
78	15.01.03.03.35 जीपीडीपी ग्वालियर के माध्यम से बाल हितैषी जीपी पर राष्ट्रीय सम्मेलन	1,18,926	1,15,791
79	15.01.03.03.36 कुपोषण को तोड़ना, खाद्य सुरक्षा-सीएस	9,00,703	8,76,960
80	15.01.03.03.37 सतत विकास जीपीडीपी 10 संकुल एपी के लिए एआर	5,71,550	5,56,484
81	15.01.03.03.38 प्रयोगशाला उत्पादकता - सीडब्ल्यूई - रीडिंग विश्वविद्यालय	17,68,087	17,21,480
82	15.01.03.03.43 एमएसएमई उद्यमिता कौशल 2.35 करोड़	-44,899	-
83	15.01.03.03.44 पंचायत उद्यम सुइट (पीईएस) आवेदन	10,02,704	9,76,273
84	15.01.03.03.46 पंचत सर्विस डिलिवरी पर जीपीडीपी प्रभाव	7,78,166	1,40,964
85	15.01.03.03.48 भारत पंचायत आईपीकेपी का क्रमिकीकरण	1,03,43,349	1,00,63,256
86	15.01.03.03.50 झारखंड में निर्वाचित महिला पीआरआई का प्रशिक्षण	43,00,596	41,87,231
87	15.01.03.03.54 एकीकृत कार्य योजना ओडिशा सरकार	-19,900	-19,900
88	15.01.03.03.56 आरटीपी परियोजनाएं	-1,61,07,601	-1,74,46,201
89	15.01.03.03.57 आईपीआरपी और लेखा परीक्षकों के लिए एसटीपी (एनआरएलएम)	9,74,138	9,48,459
90	15.01.03.03.58 एनआरएलएम - सीजीएसआरएलएम	12,15,732	11,83,685
91	15.01.03.03.59 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सीबी एवं टी	-49,646	-49,646
92	15.01.03.03.61 पीआर सांख्यिकी पर एचबी का प्रकाशन	16,62,737	16,18,907
93	15.01.03.03.62 निदेशक महिला बाल कल्याण विभाग	2,12,882	2,07,270
94	15.01.03.03.69 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 एपी केएन	1,69,240	1,64,778
95	15.01.03.03.70 आन्ध्र प्रदेश में मनरेगा अनुसंधान अध्ययन	7,00,081	6,81,626
96	15.01.03.03.71 झारखंड जेएसएलपीएस के लिए प्रेरण और आदान प्रदान	28,52,118	27,76,935
97	15.01.03.03.72 10, 29-10-18 को आरडी के अंतराष्ट्रीय ऑडिट पर सीपी	-3,170	-
98	15.01.03.03.76 समय एवं कार्य - पीआर कार्यकर्ताओं के लिए अध्ययन	-1,030	-1,030
99	15.01.03.03.77- जैव-विविधता शासन पर तीसरा टीओटी	-0	-0
100	15.01.03.03.78 राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश- मनरेगा के लिए सीयूएम अध्ययन दौरा	11,92,842	11,61,398
101	15.01.03.03.81 5राज्यों में एनएसएपी के तहत अनुसूचितों के लिए पायलट सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन	-46,981	-46,981
102	15.01.03.03.82 सतत विकास में जल संसाधन प्रबंधन	-19,08,700	-19,08,700
103	15.01.03.03.83 त्रिपुरा के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए परिचयात्मक दौरा	10,41,131	10,13,687

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
104	15.01.03.03.84 जीपीडीपी की तैयारी में पीआर का सीबी एवं प्रबंधन	5,76,491	5,61,295
105	15.01.03.03.90- ओडीएफ सततता स्वच्छ भारत मिशन	9,86,671	9,60,662
106	15.01.03.03.92पीवीटीजी स्टाफ 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,21,422	1,18,221
107	15.01.03.03.93 एसएलएसीसी में सीबी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	-0	-0
108	सी0420 एसटीपी कौशल आजीविका और वित्तीय समावेशन-सीआईसीटीएबी	49,378	48,077
109	सी0422 पोषण सलाहकार के रूप में पीआरआई का क्षमता निर्माण	44,28,879	-
110	सी0520 कृषि एफपीओ में समावेशी विकास - सीआईसीटीएबी	-1,71,110	2,42,633
111	सी0522 जागरूकता निर्माण और स्वच्छता नैपकीन की आपूर्ति	-10,74,045	69,36,867
112	सी0620 आंध्र प्रदेश में नाबार्ड के किसान उत्पादक संगठनों का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	4,72,759	4,60,297
113	सी1802 एपीपीआई कार्यशाला (सीएसआर/पीपीपी) के अनुदान प्राप्त भागीदार	-93,200	-
114	एस0124-राज्य, केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्राम सभाओं में कम भागीदारी पर अध्ययन	11,96,669	-
115	एस0223 आदिवासी किसानों के लिए प्राकृतिक खेती	-1,83,260	-
116	एस0224 केवीआईसी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	9,02,482	-
117	एस0321 मीडिया एवं प्रचार-प्रसार तथा 'कार्यात्मक अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन' का मूल्यांकन	-6,57,185	-6,57,185
118	एस0323 एसएचजी ऋण उपयोग और एसएचजी के नकदी प्रवाह - सीपीएमई	30,217	-
119	एस0421 पंचायत लद्दाख की क्षमताएं बढ़ाने वाला एसटीपी	46,40,572	45,18,246
120	एस0623-सीएनआरएमसीसीडीएम-ओडिशा-मछुआरा विभाग एसटीपी	-12,60,047	-
121	एस0720 एवी लैब और एवी स्टूडियो	1,32,46,878	9,46,778
122	एस0723 इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम सह एक्सपोजर विजिट	10,38,194	-
123	एस0820 - सीपीजीएस - व्यवहार्य जलवायु परिवर्तन में नवाचार	1,19,297	1,16,152
124	एस0822- एजीईवाई अध्ययन	6,95,684	6,79,952
125	एस0823 कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीएम-अजय)	3,04,451	-
126	एस0920 मध्य प्रदेश में पेसा का कार्यान्वयन एवं मॉड्यूल	-63,025	-63,025
127	एस1020 एनआईआरडीपीआर में सिडॉफ केंद्र की स्थापना	10,83,285	10,54,729
128	एस-1022 एमकेएसपी पर शोध अध्ययन	9,09,135	8,85,170
129	एस1120 प्राकृतिक संसाधन और जलवायु पर अंतर्राष्ट्रीय ई- प्रशिक्षण कार्यक्रम	50,651	49,316
130	एस1123 कौशल भारत प्रशिक्षण सह हैंड होल्डिंग सत्र	-1,983	-
131	एस1220 जम्मू-कश्मीर के डीडीसी सदस्यों के लिए एसटीपी मार्च 2021 सीपीआर	-29,890	-29,890
132	एस1220 जम्मू-कश्मीर, केन्द्रशासित प्रदेश के लिए जम्मू में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	-7,615	-7,615
133	एस1223 गरीबी पर असमानता का आकलन	1,261	-
134	एस1322 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रेरणादायी विचार	-2,37,431	-2,33,241
135	एस1323 आईसीसी गतिविधियों पर एसटीपी - एसबीएम-जी - सीआरआईई	21,821	-
136	एस1423 झारखंड ब्लॉक प्रमुख एक्सपोजर विजिट	-8,90,769	-
137	एस1605 उन्नत भारत पर सीएचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम	-69,423	-69,423
138	एस1723 उत्तराखंड के पीआरआई के लिए 3एफ के हस्तांतरण पर अध्ययन	8,27,056	-
139	एस1823(ए) मालदीव गणराज्य के स्थानीय सरकार प्राधिकरण बैच-III	5,94,089	-
140	एस1825 परामर्श-सह- मार्गदर्शन केंद्र-वैशाली-कपार्ट	-2,63,559	5,86,828
141	एस1832 नशीली दवाओं के दुरुपयोग और रोकथाम पर कार्यशाला	19,189	18,683
142	एस1833 उत्तराखंड के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण परिचयात्मक दौरा	48,64,211	47,35,989
143	एस1901 परिचयात्मक दौरा- केरल के पीआरआई - डीएलजी -किला	5,484	2,13,661

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
144	एस1902 एसएलएसीसी-एलटीएसए से ग्रामीण आजीविका प्रभाग-एमओआरडी	0	0
145	एस1904 यूपीएसैक की प्रगति पर प्रभाव अध्ययन -सीएफआईई	5,20,545	5,06,823
146	एस1906 एपीआरआईजीपी दस्तावेजीकरण-एपीआरआई-डब्ल्यूडी एवं सीडब्ल्यू - सीएचआरडी	85,753	83,492
147	एस1907 लेह के नवनिर्वाचित सरपंचों के लिए एक्सपोजर और सीबी	-18,14,456	-18,14,456
148	एस1908 कर्नाटक के मैसूर जिला परिषद चुनाव प्रतिनिधित्व के लिए जागरूकता कार्यक्रम जीपीडीपी	4,33,304	4,21,882
149	एस1909 आरजीएसए के तहत एमओपीआर में एनपीएमयू की स्थापना	2,40,031	1,94,574
150	एस1910 एसटीपी एमपी मिड कैरियर एडमिन ऑफिसर्स -सीजीजीपीए	-61,917	-
151	एस1911 नवनिर्वाचित स्टाफ पीएसआरएलएम-एनआरएलएम का परिचयात्मक दौरा	8,60,162	8,60,162
152	एस1913झारखंड के 133 ग्राम पंचायतों में एआर सतत विकास जीपीडीपी	42,55,881	41,43,695
153	एस1914 ओडीएफ ठोस एवं तरल अपशिष्ट का सतत प्रबंधन -मध्यप्रदेश	5,93,360	5,77,719
154	एस1915 आईएमपीआरआईएसएस - महाराष्ट्र और तेलंगाना में एनएसए का प्रदर्शन	3,43,402	5,56,762
155	एस1916 यूबीए-एमएचआरडी-सीपीएमई पर मूल्यांकन	36,16,123	38,60,689
156	एस1917 सीजीएसआरएलएम-एनआरएलएम के एसपीएम डीपीएम बीपीएम वाईपी के लिए एसटीपी	26,38,813	25,69,254
157	एस1920 जिम्बाब्वे के ईडी के लिए एसटीपी - रूरल टेक मार्च	-25,636	-25,636
158	एस1921 उत्तराखंड के जिला परिषद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण सह प्रदर्शन	3,72,031	3,62,224
159	एस1922एसटीपी पीआरआई - त्रिशूर - केआईएलए - फरवरी 2020	2,79,913	3,33,006
160	एस1923 लद्दाख के बीडीसी अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण सह परिचयात्मक दौरा	3,25,270	3,25,270
161	एस2022 मत्स्य विभाग को मछली बीज गिनने की मशीन की आपूर्ति	-53,904	7,54,750
162	एस2023 पत्ते की प्लेट और कप बनाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	2,937	-
163	एस2025 सहकारी संस्थाओं को एकीकृत करना	-4,15,091	-
164	एस2026 स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व विकास	39,685	-
165	एस2030 मनरेगा पर डोमेन योग्यता संबंधित प्रशिक्षण	15,16,542	-
166	एस2032 सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	-3,69,402	-
167	एस2034 भूस्थानिक प्रौद्योगिकियाँ डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0	5,11,500	-
168	एस2035 नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम पर जागरूकता पैदा करना	8,90,990	-
169	एस2122 डाक कर्मचारियों का प्रशिक्षण - नरेगा (सीडब्ल्यूईपीए)	4,65,375	4,21,009
170	एस2239-सिर्डाप प्रशिक्षण कार्यक्रम- 2022-23	-1,23,834	-1,23,834
171	एस2300 पीईएसए (सीईएसडी) के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल	-3,965	-
172	एस2324 एपी एसएसए आरवीएम डीआईएसई 5% नमूना जांच - सीईएसडी	-3,965	-
173	एस2362 क्षमता निर्माण -ग्राम पंचायत-(सीईएसडी)	-29,269	-
174	एस2428-केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए)	5,08,359	5,11,211
175	एस2516 220 आईएवाई के प्रशिक्षण और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,20,50,939	1,17,31,256
176	एस2523 लक्ष्य	4,35,068	4,35,068
177	एस2527 एसएजीवाई (सामान्य खाते से व्यय)	-97,745	-
178	एस2541 रुरबन मिशन (एसपीएमआरएम)	9,89,928	10,91,121
179	एस2589 जल संसाधन के दोहन का प्रबंधन	-2,51,864	-2,51,864
180	एस2822 अनुप्रयोग अनुकूलन, तकनीकी सहायता	-	-22,350

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
181	एस2822 प्राप्तियां	-	9,00,777
182	एस2922 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत जलागम विकास घटकों के विभिन्न पहलू	1,54,842	1,50,760
183	एस3122 ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइटों पर लेखापरीक्षा आयोजित करना	9,51,110	9,18,680
184	एस3222 पंजीकरण विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन दौरा	1,94,618	-3,99,226
185	एस3422 राजस्व अधिकारियों के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और उपयोग	-8,21,486	-15,92,831
186	एस3522 गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका ग्राम पंचायतें	-38,866	-38,866
187	एस3622 बीआरडीओ का प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन दौरा	-1,35,577	-8,19,857
188	एस3722 जन योजना अभियान-2022 पर झारखंड की राज्य संसाधन टीम	4,67,124	4,54,810
189	एस3822 वाश पोर्टफोलियो का मूल्यांकन (पीएसबी)	-50,495	6,01,256
190	एस3922 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के लिए ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन	1,19,080	1,15,941
191	एस4022 मनरेगा परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पर अध्ययन	-24,66,800	-35,90,919
192	एस4322 सेवा स्तर बेंचमार्क पर एक हैडबुक	-2,500	-250
193	एस4422 जलागम विकास में क्यूजीआईएस ऐप	2,76,101	3,32,612
194	एस4522 संघवाद को मजबूत बनाने पर एसटीपी - सिडार्ट, जय	2,27,490	2,21,493
195	एस4722 क्षमता निर्माण ओडीएफ प्लस पर प्रदर्शन सह प्रशिक्षण	-76,857	2,575
196	एस4822 स्वच्छ भारत मिशन - जी चरण - II	-	-9,192
197	एस4922 स्वास्थ्य पर पीआरआई पदाधिकारी और एनआरएलएम अधिकारी	-19,65,324	-16,53,906
198	एस5022 एनआईआरडी में मालदीव के क्षमता निर्माण ग्राहक	-5,01,552	-6,60,169
199	एस5122 05-07 सितंबर, 2022 तक वर्मी कम्पोस्ट और जैव-उर्वरकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	98,945	96,337
200	एस5222 जम्मू और कश्मीर पंचायती राज संस्थाओं का परिचयात्मक दौरा	25,94,996	25,26,591
201	एस5322 योजनाओं और कार्यक्रमों में अनुसंधान केंद्र (सीआरआईएसपी)	2,896	2,896
202	एस5422 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एनआरएम और जलवायु परिवर्तन एएआरडीओ जनवरी 2023	-6,10,305	-5,21,670
203	एस5622 नीम पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व	-13,35,826	2,51,174
204	एस5722 प्राकृतिक खेती पर आईटीडीए मन्त्रौर	19,691	-2,77,531
205	एस5822 अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस)	-64,828	-
206	एस5922 लाभार्थी सर्वेक्षण, आईएएडी	-90,467	-
207	एस6022 वंचित वर्ग और आर.डी. योजनाओं की पहुंच	-17,079	-
208	एस6122 वाटरशेड और स्प्रिंगशेड प्रबंधन पीएमकेएसवाई	1,84,11,625	3,16,57,237
209	एस6222- परियोजना उन्नति का मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन	14,83,414	20,18,094
210	15.01.03.03.41 यूएनडीपी पुरानी परियोजना	-9,17,637	-9,17,637
211	15.01.03.03.45 - यूएनडीपी-13	36,41,064	36,41,064
212	निष्क्रिय निर्धारित निधियाँ	18,10,48,187	18,08,36,120
213	पी0006(ए)- अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम -2022-23	10,78,927	29,53,050
214	पी0006 पी-प्रायोजित अनुसंधान परियोजना - एनईआरसी	6,70,230	6,70,230
215	पी0006 पी-प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (भुगतान) - एनईआरसी	96,30,128	96,30,128
216	सरस - आईआईटीएफ 2021 - नई दिल्ली	-95,240	-95,240
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-4,76,35,312	-3,95,96,996
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	35,25,48,009	38,01,63,253
	उप कुल	30,49,12,696	34,05,66,257

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
	परियोजना बैंक लेखा		
1	सीएडीएपी एस2035 नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करना	-	-
2	डीएपी-एनएपीडीडीआर एस2033	-	-
3	डीडीयू जीकेवाई	64,27,030	461,18,265
4	मनरेगा	42,24,94,512	53,49,71,564
5	एमकेएसपी	1,01,54,092	97,88,018
6	एनआरएलएम आरसी	2,11,46,844	1,59,54,540
7	एनआरओ-डीडीयूजीकेवाई (एस2233) एमओआरडी	1,24,39,230	-
8	पीएफएमएस0923 नीति आयोग	-6,37,944	-
9	पीएफएमएस3617 एस0520 250 मॉडल जीपी क्लस्टर	71,67,265	-41,58,022
10	पीएफएमएस3825	10,057	10,057
11	पीएफएमएस796	3,83,144	3,83,144
12	पीएफएमएस9179	11,762	11,762
13	आरसेटी-एनआईआरडीपीआर	65,14,146	68,49,410
14	एसएजीवाई-सांसद आदर्श ग्राम योजना	-12,40,835	-
15	एसओईपीआर - सीपीआर	4,52,08,293	-
16	संयुक्त राष्ट्र महिलाएं	28,765	28,765
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-18,78,779	-41,58,022
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	53,19,85,139	61,41,15,525
	उप कुल	53,01,06,360	60,99,57,503
	कुल योग	98,65,74,455	1,05,22,27,997
	(एल4) परामर्शी परियोजनाएं		
	एनआईआरडीपीआर - आरसी		
1	एटीएमए-सिक्किम-आरसी	1,52,427	1,52,427
2	असम में पीएमएजीवाई का आधारभूत सर्वेक्षण	-1,62,196	-1,62,196
3	कैप बिल्ड एचएच ओपी IX क्षेत्र एनईआई आरजीएसए - क्षेका	14,11,788	14,11,788
4	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण -एनईसी_एनआरएलएम-आरसी	18,93,387	18,93,387
5	क्षमता निर्माण आरजीएसए एसआईआरडी- असम - आरसी	-6,26,696	-6,26,696
6	सी-गार्ड आधारभूत संरचना विकास (एनईसी)-आरसी	-12,04,822	-12,04,822
7	असम-क्षे.का द्वारा चीन मलेशिया का परिचयात्मक दौरा	-16,65,212	-16,65,212
8	परामर्शी-कृषि योजना-अरुणाचल-आरसी	18,86,250	18,86,250
9	परामर्शी-असम-एसआरएलएम-होम स्टे प्रशिक्षण -आरसी	3,80,252	3,80,252
10	परामर्शी जागरूकता क्षमता निर्माण ईआरएससीए त्रिपुरा -क्षेका	-1,51,056	-1,51,056
11	परामर्शी - बेसिन विकास प्रशिक्षण - मेघालय	18,23,710	18,23,710
12	परामर्शी- बीएलएस-पीएमएजीवाई-असम-आरसी	16,81,567	16,81,567
13	परामर्शी-कैम्पा प्रोजेक्ट-आरसी	-1,30,175	-5,91,775
14	परामर्शी - ईपीआरआईएस परियोजना - इसरो - आर.सी.	-15,806	-15,806
15	परामर्शी - इवोल्यूशन आईडब्ल्यूएमपी बी-II और III नागालैंड - आरसी	5,31,504	5,31,504
16	परामर्शी - इवोल्यूशन आईडब्ल्यूएमपी / पीएमकेएसवाई - नागालैंड - आरसी	-1,68,249	-1,68,249
17	परामर्शी - इवोल्यूशन ऑफ आईडब्ल्यूएमपी - त्रिपुरा बी-I- आरसी	92,203	92,203
18	परामर्शी - पीईआर की असम के लिए परिचयात्मक दौरा - अंडमान-निकोबार द्वीप- आर.सी.	81,786	81,786
19	परामर्शी - दक्षिण कोरिया और जापान के लिए परिचयात्मक दौरा - आर.सी.	6,70,597	6,70,597
20	परामर्शी-खाद्य प्रसंस्करण-एमएसआरएलएस-मेघालय-आरसी	40,953	40,953

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
21	परामर्शी- जीआईएस प्रतिधारण मानचित्रण - क्षेका	5,10,475	5,10,475
22	परामर्शी -हेस्को परियोजना - आर.सी.	6,666	6,666
23	परामर्शी- आईसीसीओए एफपीओ प्रशिक्षण -आरसी	28,647	57,500
24	परामर्शी-कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर परियोजना का प्रभाव आकलन	4,20,266	4,20,266
25	परामर्शी- निरामय परियोजना- आर.सी.	5,88,851	5,88,851
26	परामर्शी एनआरएलएम आरसी एनईआरसी बैंक लेनदेन - आरसी	-29,58,201	-29,58,201
27	परामर्शी - एनआरएलएम आरसी एनईआरसी परियोजना	39,24,971	86,80,552
28	परामर्शी - पारिश्रमिक 10% सभी परियोजनाएं - आर.सी.	-6,88,680	-6,88,680
29	परामर्शी - आरआरसी - एमजीएनआरईजीएस असम - आरसी	59,117	59,117
30	परामर्शी - मेघालय के लिए ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे - आर.सी.	-13,81,660	-12,72,082
31	परामर्शी-अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए एसएपी और डीएपी	31,27,584	31,27,584
32	परामर्शी-असम के एसएचजी अंडर लूम्स	1,00,000	1,00,000
33	परामर्शी-असम के एसएचजी अंडर लूम्स -आरसी	-25,348	-25,348
34	परामर्शी - एसएलएनए - त्रिपुरा - आरसी	1,03,480	1,03,480
35	परामर्शी- ईएफआई के लिए पारंपरिक और एनएचवी फसलों की भूमिका पर अध्ययन	-4,54,031	-4,54,031
36	परामर्शी - अध्ययन - एमजीएनआरईजीएस - पी एंड आरडी असम - आरसी	1,42,724	1,42,724
37	परामर्शी-समय और गति अध्ययन नागालैंड	6,58,810	6,58,810
38	परामर्शी - समय और गति अध्ययन - टीएमएस अरुणाचल-आरसी	22,98,222	24,63,457
39	परामर्शी- जेंडर बजट के तहत प्रशिक्षण भारत सरकार	5,59,971	6,12,180
40	परामर्शी - जल संसाधन विभाग मेघालय - आर.सी.	-33,438	-33,438
41	डीडीयू जीकेवाई-आरसी	-63,384	-63,384
42	बीआरजीएफ-मेघालय-आरसी का मूल्यांकन अध्ययन	37,487	37,487
43	एसआईआरडी राजस्थान द्वारा परिचयात्मक दौरा	73,934	73,934
44	मछली और अंजीर किसान (मेघालय) -आरसी	25,77,107	25,77,107
45	जीआईएस-मैप-आईडब्ल्यूएमपी-असम-आरसी	1,09,239	1,09,239
46	आईडब्ल्यूएमपी - पीएमकेएसवाई विकास - बी-1-त्रिपुरा - क्षेका	2,80,000	2,80,000
47	आईडब्ल्यूएमपी-कोकराझहर-आरसी	93,787	93,787
48	आईडब्ल्यूएमपी-प्रशिक्षण एसएलएनए असम-आरसी	11,22,817	11,22,817
49	आईडब्ल्यूडब्ल्यूपी विकास परियोजना नागालैंड-आरसी	7,49,990	7,49,990
50	सोलर हीटिंग सिस्टम के लिए एमएनआरई - आरसी	3,99,969	3,99,969
51	एनईसी-क्षमता निर्माण -एनआरएलएम तीसरा चरण-आरसी	-16,20,075	-16,20,075
52	एनईसी-एमएपी-आरसी	-1,21,048	-1,21,048
53	एनईसी - झूम कृषि भू- स्थानीय तकनोलॉजी - आरसी	1,28,073	1,28,073
54	एनएफडीबी-बील मछली प्रशिक्षण -आरसी	1,14,783	1,14,783
55	एनएफडीबी- कथोरा-नलहारी-आरसी में मछलीपालन विकास	31,171	31,171
56	वर्षा जल संचयन-आरसी	-1,115	-1,115
57	एसएमई पर एसटीपी और दक्षिण कोरिया एवं जापान को परिचयात्मक दौरा - असम सरकार - आर.सी.	12,71,697	12,71,697
58	मेघालय के लिए जल संसाधन पर एसटीपी - आर.सी.	1,69,655	1,69,655
59	टीएसआई-बीआरजीएफ.-मेघालय-आर.सी.	6,39,036	6,39,036
60	ग्राम अभिग्रहण -हतीउथा-आरसी	15,656	15,656
61	व्यावसायिक प्रशिक्षण -डब्ल्यूजीएच-मेघालय-आरसी	23,92,943	23,92,943
62	वेस्ट गारो हिल्स-मेघालय प्रशिक्षण एवं परिचयात्मक दौरा -आरसी	14,95,000	14,95,000
63	15.01.02.02.15 अतिथि वक्ताओं को मानदेय	-	-46,000
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-1,14,71,192	-1,18,69,214
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	3,48,78,552	3,98,80,430
	कुल योग	2,34,07,360	2,80,11,216

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
अनुसूची	(एल5) परामर्शी देनदारियाँ		
1	विविध प्राप्तियां-एनईआरसी	3,80,060	3,80,088
2	निवेश-हितकारी निधि पर 25% ब्याज	-	13,20,320
3	निवेश-विकास निधि पर 75% ब्याज	39,17,139	39,17,139
4	सी0269 सामान्य और परामर्श के बीच स्थानांतरण	1,22,64,674	1,22,64,674
5	सी0272 कर्मचारियों को परामर्शी मानदेय	10,92,855	10,92,855
6	सी0282 आयकर	3,900	3,900
7	सी0448-एसबी खाते पर ब्याज	-	43,821
8	15.02.02.04.03 सुरक्षा जमा-आरसी	2,78,936	2,78,936
	कुल	1,79,37,564	1,93,01,733
अनुसूची	(एल6) देयताएं और प्रावधान		
	मुख्यालय -हैदराबाद		
1	15.01.02.04.03 - आयकर (ठेकेदार)-94J-0.5%	3,128	3,128
2	15.01.02.04.03 - आयकर (ठेकेदार)-94J-10%	10,86,641	-7,30,131
3	15.01.02.04.03- आयकर ठेकेदार - 94C - 2%	-85,146	1,09,860
4	15.01.02.04.04 - टीडीएस वेतन 92बी	2,85,259	-4,99,146
5	धारा - 94क्यू 0.1%	4,868	-
6	स्क्रेप की बिक्री पर टीसीएस- 1%	8,083	-
7	15.01.02.04.03 टीडीएस किराया - 94आई - 10%	20,000	-
8	15.01.02.04.05 - बिक्री कर / वैट	1,54,109	1,54,109
9	15.01.02.04.06 - सेगनरेज	8,525	8,512
10	15.01.02.04.07 डीडीयूजीकेवाई से निगरानी शुल्क	-3,54,73,908	90,23,570
11	15.01.02.04.08 - अवर्गीकृत आरटीजीएस रसीदें	3,57,18,837	3,77,00,525
12	15.01.02.04.10 - जीएसटी प्रेषण	25,284	25,284
13	15.01.02.04.11 जीएसटी के तहत टीडीएस	3,27,743	1,40,608
14	15.01.02.04.12 श्रम उपकर	95,420	59,846
15	15.01.02.04.14 - बकाया देयताएँ	68,49,519	2,25,97,322
16	सामुदायिक हॉल सावधानी जमा	3,000	-
17	जीएसटी देय खाता	5,32,327	1,00,557
18	प्रोजेक्ट रोकी गई राशि	1,66,82,230	1,76,30,048
19	प्रतिपूर्ति व्यय देय	2,07,822	24,82,572
20	एस0010 एस-सुरक्षा जमा	18,10,674	29,53,712
21	एस0011 एस-बयाना जमा	7,93,718	8,43,363
22	एस0022 एस -स्टाफ कार्टर किराया जमा	3,39,080	2,40,944
23	एस0423 कैरियर पोर्टल आवेदन शुल्क से सीआईसीटी राजस्व	7,68,999	3,74,715
24	एस2119 आर-सेटी (आरटीपी)	46,08,317	55,81,059
25	एस2233 - सामान्य निवेश (दीर्घकालिक)	17,31,40,000	17,31,40,000
26	इस पर 10% की दर से अधिभार	318	-
27	एनआईआरडीपीआर द्वारा रोकी गई विक्रेता राशि	12,93,420	7,25,331
28	विक्रेता जीएसटी रोकी गई	14,55,109	4,50,176
29	रोकी गई योजना कैपिटल सोलर - प्रीमियर इंजीनियर्स लिमिटेड	4,46,505	4,46,505
24	देय शैक्षणिक प्रतिनियुक्ति वेतन (ए)	74,11,907	1,37,864

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
25	देय शैक्षणिक नियमित वेतन (ए)	82,24,383	51,44,698
26	देय गैर-शैक्षणिक प्रतिनियुक्ति वेतन (ए)	6,42,808	6,33,915
27	देय गैर-शैक्षणिक प्रतिनियुक्ति वेतन (बी)	11,62,937	1,27,134
28	देय गैर-शैक्षणिक नियमित वेतन (ए)	10,89,878	24,01,517
29	देय गैर-शैक्षणिक नियमित वेतन (बी)	52,83,519	21,09,797
30	देय गैर-शैक्षणिक नियमित वेतन (सी)	51,42,696	39,21,205
31	देय गैर-शैक्षणिक नियमित वेतन सी (आरसी)	32,73,705	19,33,972
32	देय परियोजना स्टाफ वेतन	569	319
33	देय पेंशन	1,25,16,188	1,02,56,412
34	सीपीएफ दिल्ली/सीजीसी का प्रेषण	3,75,793	7,76,176
35	एनपीएस/एलआईपी दिल्ली/सीजीसी का प्रेषण	-	1,03,962
36	एनआईआरडीपीआर पीएफ खाते में प्रेषण	-59,691	-59,691
37	जीएसटी के तहत टीडीएस देय	9,027	-
38	उत्तर पूर्व तकनीकी आवेदन और पहुंच केंद्र	105,29,747	-
39	रोकी गई ग्रेच्युटी राशि	3,00,000	-
40	15.01.02.02.15 अतिथि वक्ताओं को मानदेय	-45,750	-
41	आयकर - 94जे 10%	61,441	-
	एनईआरसी - गुवाहाटी		
42	15.02.02.04.01 - सुरक्षा जमा - एनईआरसी	6,83,266	8,62,411
43	15.02.02.04.02 - बयाना राशि जमा - एनईआरसी	4,17,619	4,85,679
44	15.02.02.04.04 एनईआरसी जनरल खाता और एनईआरसी परामर्शी खाते के बीच	-48,12,039	1,00,00,000
45	एनईआरसी-एनआरएलएम-कर, जीएसटी और अन्य बकाया	69,081	-
46	एनईआरसी स्टाफ की वसूली	-19,33,473	-
47	एनईआरसी कर, जीएसटी और अन्य बकाया	5,34,586	-
48	एनईआरसी वेतन और पेंशन देय	46,15,291	
	एनआईआरडी - दिल्ली		
49	15.03.02.01.01 ठेकेदार से जमा राशि	57,000	57,000
50	15.03.02.01.05-दिल्ली शाखा उचंत	7,17,077	10,78,151
51	दिल्ली स्टाफ वसूली	9,12,162	-
			-
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-4,24,10,007	-12,88,968
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	31,06,99,614	31,48,21,957
	कुल योग	26,82,89,607	31,35,32,989
	(एल7) पारगमन लेखा		
1	आयकर (वेतन)	-4,21,079	28,34,101
2	15.01.02.05.02 - कर्मचारियों की एलआईसी प्रीमियम रसीद	-16,481	1,58,466
3	15.01.02.05.04 जीआईएस - एलआईसी ऑफ इंडिया	-1,76,343	-1,63,394
4	15.01.02.05.05 - परोपकारी निधि वेतन	15,07,355	-
5	15.01.02.05.06 - व्यावसायिक कर	12,094	15,002
6	15.01.02.05.09 - खेल और मनोरंजन क्लब एसआरसी - एनआईआरडी	33,577	14,654
7	15.01.02.05.16 - डाक जीवन बीमा योजना	193	6,905

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
8	15.01.02.05.17- एसबीआई द्वारा एनआईआरडीपीआर कर्मचारियों को बैंक ऋण	2,45,158	10,37,295
9	15.01.02.05.19 - कर्मचारियों से बीबीबीबी स्कूल फीस वसूली	-9,550	-9,550
10	15.01.02.05.20 - उचंत - केबल टीवी कनेक्शन	47,691	-
11	15.01.02.05.22 - अजित हजरा के मकान में एनईआरसी	-	500
12	15.01.02.05.43 हेल्थ कॉर्पस फंड	3,50,550	-
13	15.01.02.05.49 सीएओ, कपार्ट, नई दिल्ली	-	1,500
14	15.01.02.05.53 अमेरिकी प्रशासन मिजोरम सरकार	4,680	4,680
15	15.01.02.05.59 एसबी पशुचिकित्सक विश्वविद्यालय तिरुपति-वाईवी रमन रेड्डी	-10,232	-10,232
16	15.01.02.05.60 सेंट.झारखंड विश्वविद्यालय - किरण जलेम	-	-
17	15.01.02.05.61 - पीएओ एमओआरडी - एफए	-	20,120
18	15.01.02.05.62 एसआईआरडी भुवनेश्वर	-	25,000
19	15.01.02.05.63 जीपीएफ सदस्यता पुनर्प्राप्ति	-	-
20	15.01.02.05.64 सीपीएफ सदस्यता पुनर्प्राप्ति	-	-
21	15.01.02.05.65 जीपीएफ और सीपीएफ अग्रिम वसूली	-	-
22	15.01.02.05.66 एनपीएस सदस्यता वसूली	-	-
23	15.01.02.05.70 -डीडीओजीएडी	-	14,620
24	15.01.02.05.71 उप पीएओ डब्ल्यूआरडी - जी उमा देवी	-	10,707
25	15.01.02.05.72 पीएओ मुख्यालय डीओटी नई दिल्ली - एम शंकर राम	-	15,060
26	15.01.02.05.76- प्रबंधक-आरआईएनएल-डीएफ-वसूली	400	24,303
27	15.01.02.05.67 जीएसटी सामान्य प्रेषण	-14,24,958	-14,24,958
28	15.01.02.05.68 जीएसटी डीडीयूजीकेवाई प्रेषण	-	-
29	15.01.02.05.69 बासी चेक	1,09,590	1,46,370
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-20,58,643	-16,08,134
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	23,11,288	43,29,283
	कुल योग	2,52,645	27,21,149
अनुसूची	(एल8) हस्तांतरण लेखा		
1	15.01.02.06.01 - मुख्यालय और गुवाहाटी के बीच अंतरण	-	-
2	15.01.02.06.02 - सामान्य और परामर्शी के बीच अंतरण	-10,00,000	-10,00,000
3	15.01.02.06.04 सामान्य लेखा और सावधि निधि के बीच अंतरण	2,32,69,718	-1,99,75,401
4	15.01.02.06.05 -सामान्य और हितकारी निधि के बीच अंतरण	16,66,001	-7,80,131
5	15.01.02.06.06 सामान्य और जीपीएफ लेखे के बीच अंतरण	-	-124,98,653
6	15.01.02.06.21 - बिल्लिंग निधि को अंतरण	400	400
7	15.01.02.06.29 डीडीयूजीकेवाई531 खाते से एसबी 313 खाते के बीच अंतरण	1,62,66,189	1,62,66,189
8	15.01.02.06.32 सामान्य और चिकित्सा कॉर्पस के बीच अंतरण	-42,96,984	-75,74,901
9	15.01.02.06.35 टीए वसूलियां	43,224	-
10	एस2270 एस2270 सामान्य खाते से विभिन्न बैंक खातों की ओर अंतरण	-3,000	-3,000
11	सामान्य और कॉर्पस खातों के बीच अंतरण	-33,856	-33,856
12	सामान्य और आरएसईटीआई खाते के बीच अंतरण	-	-
13	पीएफ से यूबीआई - जनरल के बीच अंतरण (सावधि उद्देश्य)	-	2,95,00,000
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-53,33,840	-4,18,65,942
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	4,12,45,532	4,57,66,589
	कुल योग	3,59,11,692	39,00,647

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
अनुसूची	(एल8) परामर्शी हस्तांतरण लेखा		
1	15.01.02.06.33 परामर्शी - सामान्य निधि में अंतरण	4,16,658	4,16,658
2	15.01.02.06.34 जेड0029-परामर्शी हस्तांतरण लेखा	6,08,788	6,08,788
	कुल	10,25,446	10,25,446
अनुसूची	(एल9) सहायता अनुदान पर ब्याज एवं अप्रयुक्त शेष - ग्रामीण विकास मंत्रालय		
1	15.01.01.04.01 योजना अनुदान (पूँजी)	43,77,86,812	43,77,86,812
2	सहायता अनुदान - अप्रयुक्त शेष	1,02,84,068	1,72,69,243
3	एमओआरडी को देय योजना पूँजी अनुदान ब्याज	1,18,52,628	2,75,63,729
	कुल	45,99,23,508	48,26,19,784
	(एल11) विविध लेनदार		
1	एएओ टीएसएसपीडीसीएल, ईआरओ, गगनपहाड़	-	8,10,702
2	अभिषेक अनंत	-	3,400
3	अंजन कुमार भंज	-	8,275
4	असरारुल हक	-	10,000
5	बी डी वी के मूर्ति	-	2,000
6	चंदेश्वर पांडे	-	2,00,000
7	सीएच राधिका रानी	-	20,000
8	सी कथिरेसन	-	6,000
9	दिल्ली केन्द्र अनुदान देय	-	41,000
10	डी नाग राजू	-	1,350
11	जी वी के लोही दास	-	14,638
12	जगन चुंचु	-	15,000
13	जे पी बडोनी, जूनियर सहायक	-	7,823
14	जे वानिश्री	-	20,000
15	करमजीत सिंह	-	9,680
16	के प्रभाकर	-	66,636
17	मेसर्स मारुति एंटरप्राइजेज	-	4,972
18	एम वेंकट रविबाबू	-	31,592
19	राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड	-	1,26,036
20	एन वी माधुरी	-	25,000
21	कार्यालय स्थान/किराया/रखरखाव एनआईआरडी जनरल को देय	-	12,87,900
22	पीएफएमएस-3617 एस0520 टीए बिल देय	-	-
23	पी वी दयानंद	-	10,000
24	राजेश कुमार सिन्हा	-	-
25	रविन्द्र एस गवली	-	-
26	एस1608 देय टीए/मानदेय बिल	-	-17,977
27	सिमरन इन्फोटेक	-	4,85,285
28	एसआईआरडी, मणिपुर	-	1,93,500
29	एस किशोर कुमार	-	2,000
30	एस के सत्यप्रभा	-	84,395
31	एस रघु, सहायक निदेशक	-	-440
32	श्री साई स्वयं सहायता समूह	-	29,400

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
33	सुभाष चंद्र महतो	-	12,000
34	एस वी सुवर्चला	-	-122
35	टीवेव टेक्नोलॉजीस	-	-30,66,444
36	यू हेमंत कुमार	-	20,000
37	उत्तराखंड सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता एजेंसी (यूएसएएटीए)	-	8,68,400
38	वेलेटिना जी	-	100
39	वी जी नित्या	-	42,274
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-	-30,84,983
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	-	44,59,358
	कुल योग	-	13,74,375
अनुसूची	(ए4) सावधि जमाओं में निवेश		
	सामान्य		
1	09.01.01.03.01 सावधि और अल्पावधि जमा	1,30,37,73,965	1,44,22,55,331
2	बैंक शुल्क सामान्य निधि निवेश	-	-16,146
3	09.01.01.05.02 उच्च न्यायालय के साथ एफडी	42,47,677	-
4	सामान्य निधि - कर्मचारियों को आईएसी मानदेय	-	-
	उप कुल	1,30,80,21,642	1,44,22,39,185
	चिह्नित निधि		
4	09.01.01.01.02 - सावधि जमाओं में हितकारी निधि निवेश	17,20,88,124	16,00,00,000
5	09.01.01.01.08 सामान्य - जी-सेक और एसडीएल निवेश	17,31,40,000	17,31,40,000
6	09.01.01.01.10 एसआरएससी - जी-सेक और एसडीएल निवेश	10,45,00,000	10,45,00,000
7	09.01.01.01.11 एसआरएससी-एफडी	58,99,522	37,92,236
8	09.01.01.01.12 सीएफआईआई-एफडी	63,22,933	40,64,406
9	09.01.01.01.13 सीएफआईआई-जी-सेक और एसडीएल निवेश	11,20,00,000	11,20,00,000
10	09.01.01.01.14 मूल्यहास रिजर्व निवेश जी-सेक और एसडीएल	47,46,00,000	47,46,00,000
11	09.01.01.01.15 सिंकिंग फंड -एफडीआर	1,14,56,136	63,47,088
12	09.01.01.01.16 एक्युरियल मूल्यांकन - जी-सेक और एसडीएल	32,10,41,437	32,10,41,437
13	09.01.01.01.17 बीमांकिक मूल्यांकन - सावधि	2,40,06,628	1,62,89,926
	09.01.01.01.12 कॉर्पस फंड निवेश		
14	09.01.01.01.05 कॉर्पस सरकारी प्रतिभूतियाँ- निवेश	4,09,37,07,927	3,84,40,66,327
15	09.01.01.01.07 एफडी और एसडी में कॉर्पस निवेश	51,83,61,232	27,62,00,000
16	कॉर्पस- निवेश पर अर्जित आय	3,07,07,563	62,73,700
17	09.01.01.01.06 कॉर्पस सरकारी प्रतिभूतियाँ- अर्जित ब्याज	5,88,01,971	-
18	15.01.01.02.05 कॉर्पस फंड ब्याज प्राप्य पीएफसी	23,12,500	-
19	कॉर्पस - शून्य कूपन ब्याज प्राप्य	554,16,452	-
	उप कुल	6,04,78,31,502	5,50,23,15,120
	कुल योग	7,35,58,53,144	6,94,45,54,305

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
	(ए5) चालू परिसंपत्तियाँ		
1	09.01.01.04 - चालू परिसंपत्तियाँ और अग्रिम		
2	09.01.01.04.03 समापन स्टॉक	33,89,764	23,17,090
3	09.01.01.04.04 अर्जित आय	4,72,02,546	3,71,54,568
4	09.01.01.04.05 पूर्व-भुगतान व्यय	9,40,620	15,00,652
5	09.01.01.04.06 उपलब्ध टी-स्टाम्प	33,297	82,672
6	09.01.01.04.10 आस्थगित राजस्व व्यय - ईऑफिस मंट	40,97,380	40,97,380
7	सायब्रोआम सोपोस फ़ायरवॉल डेफ़ एक्सप 22-23 23-24	-	4,13,000
8	परियोजनाओं और अन्य निधियों पर अर्जित ब्याज	1,87,45,655	1,68,06,312
9	बीमांकिक मूल्यांकन - उपाजित ब्याज	36,18,969	39,32,390
10	एवीएफ फंड - शून्य कूपन ब्याज प्राप्य	1,39,22,330	-
11	बिलडिंग फंड - अर्जित ब्याज	57,12,176	49,36,015
12	सी आरसीडीबी - अर्जित ब्याज	12,59,214	12,46,432
13	सीआरसीडीबी - शून्य कूपन ब्याज प्राप्य	48,57,008	-
14	डीडीयूजीकेवाई - अर्जित ब्याज	53,76,634	18,63,667
15	डीडीयूजीकेवाई - शून्य कूपन ब्याज प्राप्य	5,85,876	-
16	डूबती/मूल्यहास निधि-अर्जित ब्याज	42,57,043	51,72,389
17	डूबती निधि - शून्य कूपन ब्याज प्राप्य	2,05,81,574	-
18	एसआरएससी - अर्जित ब्याज	11,27,782	11,62,966
19	एसआरएससी - शून्य कूपन ब्याज प्राप्य	45,31,762	-
20	टीडीएस प्राप्य 2020-21	-	8,78,453
21	टीडीएस प्राप्य 2021-22	2,520	5,52,517
22	टीडीएस प्राप्य - 2022 - 2023	34,67,151	34,67,151
23	टीडीएस प्राप्य 2023-24	18,86,870	-
24	09.01.01.01.06 कॉर्पस सरकारी प्रतिभूतियाँ- अर्जित ब्याज	-	5,89,03,558
25	रक्षा मंत्रालय पर अर्जित ब्याज-सामान्य	1,09,36,297	-
26	सीपीडब्ल्यूडी-डिपॉजिट-वर्क्स-एचवाईडी	73,12,880	-
27	सुरक्षा जमा पर प्राप्त ब्याज	2,12,436	-
28	टीडीएस जीएसटी ईसीएल 2021-22	85,820	-
29	टीडीएस जीएसटी ईसीएल 2022-23	4,62,655	-
	कुल योग	16,46,06,259	14,44,87,212
अनुसूची	(ए6) ऋण एवं अग्रिम		
	हैदराबाद		
	अन्य अग्रिम		
1	डिसेंट ट्रेवल्स को अग्रिम	-	9,43,757
2	एसआईआरडी को अग्रिम	26,65,868	24,56,338
3	प्रिज्म हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को अग्रिम	-	49,41,547
4	टीएसआईआरडी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अग्रिम	2,88,399	-
5	निदेशक, एसआईआरडी, मणिपुर को अग्रिम	1,61,052	-
6	आईएमपीएआरडी, जम्मू (एसआईआरडी) को अग्रिम	92,864	-
7	एसआईआरडी, श्रीनगर को अग्रिम	1,01,530	-
8	एसआईआरडी - टीसीएफ को अग्रिम	76,089	-
9	मेस कमेटी को अग्रिम	2,13,771	-

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
	कर्मचारी अग्रिम		
	अनुबंध/परियोजना कर्मचारियों को अग्रिम		
10	किशोर कुमार एस	-	-15
11	राजेश कुमार सिन्हा		-33,062
12	रवीन्द्र एस गवली	-	-10,305
13	5007 - एम नवीन कुमार - टूर एडवांस	7,500	-
14	5014-एस रविंदर गौड़ - टूर एडवांस	6,700	-
15	5015 - ए बुजंग रेड्डी - टूर एडवांस	1,53,500	-
16	5023-मोहम्मद खान-टूर एडवांस	-13,084	-
17	5027 - डी. मदन कुमार - टूर एडवांस	25,400	-
18	5031-पीयूष कुमार - टूर एडवांस	24,000	-
19	5032-टी. जगदीश्वर रेड्डी-टूर एडवांस	18,000	-
20	5034-बी. जीवन रेड्डी - टूर एडवांस	7,500	-
21	5052-एम कुमार स्वामी-टूर एडवांस	54,000	-
22	5079 - बीनू कुमार जी एस - टूर एडवांस	21,750	-
23	5084 - ज्योति रंजन माथा - टीए एडवांस	45,000	-
24	5095-रांगेय राघव-टूर एडवांस	66,450	-
25	5097 - सस्ती रॉय - टूर एडवांस	25,000	-
26	5107 - किरण कुमार सिंह के - टूर एडवांस	15,000	-
27	5204-आर शशिधर-टूर एडवांस	11,000	-
28	5242 - सुश्री अपर्णा टी पी - टूर एडवांस	71,000	-
29	5295-दंबरुधर गराडा टीए एडवांस	20,000	-
30	5312-पवन कुमार कोनंकी_टूर एडवांस	24,000	-
31	5350-अबी अब्राहम-टूर एडवांस	25,000	-
32	5357-एच शशिरेखा-टूर एडवांस	50,000	-
33	5364-मो. मुजम्मिल फारूक-टूर एडवांस	25,000	-
34	5551 राघवेंद्र उपाध्याय_टूर एडवांस	15,000	-
35	5630 - प्रियांशु - टूर एडवांस	6,200	-
36	5631-प्रिंसी-टूर एडवांस	25,000	-
37	5632-मो. सलमान-ता एडवांस	30,000	-
38	5655-जोन्स थॉमस ओज़ाथिल-टूर एडवांस	37,500	-
39	5656-सुनील कुमार पाथे -टूर एडवांस	10,500	-
40	5687-प्रकाश कुमार पांडे-टूर एडवांस	65,000	-
41	5709-एल सुधाकर रेड्डी-टूर एडवांस	30,000	-
	कर्मचारियों को अग्रिम		
	अग्रदाय अग्रिम		
42	659 - डॉ. यू हेमंथा कुमार - अग्रदाय अग्रिम	10,000	-
43	747 - डॉ. एम वेंकट रविबाबू - अग्रदाय अग्रिम	25,000	-
44	816 - अभिषेक अनंत - अग्रदाय अग्रिम	-1,807	-
	एलटीसी एडवांस		
45	464 - एम श्रीविजय लक्ष्मी एलटीसी एडवांस	14,400	-
46	604 - एस किशोर कुमार एलटीसी एडवांस	5,400	-

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
47	617-संजय कुमार शर्मा-एलटीसी एडवांस	9,000	-
48	627 - डॉ.सीएच. राधिका रानी - एलटीसी एडवांस	-63,000	-
49	743 - डॉ.दिगंबर अब्राजी. सी एलटीसी एडवांस	36,000	-
50	769 - रुचिरा भट्टाचार्य एलटीसी एडवांस	11,300	-
51	811- ब्रिग्भान एलटीसी एडवांस	24,300	-
52	844 - मोहिनी नेहरा - एलटीसी एडवांस	-10,800	-
53	शैक्षणिक कर्मचारियों को एलटीसी एडवांस	39,152	-10,348
54	गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को एलटीसी एडवांस	-3,368	1,05,705
	आधिकारिक अग्रिम		
55	519 - ई रमेश हिंदी अनुवादक आधिकारिक अग्रिम	43,250	-
56	580-वी श्रीनिवास जेई आधिकारिक अग्रिम	24,500	-
57	586 - एन सैमुअल आधिकारिक अग्रिम	2,53,930	-
58	604 - एस किशोर कुमार आधिकारिक अग्रिम	33,450	-
59	605 - कृष्णा सीएच बेहरा आधिकारिक अग्रिम	77,980	-
60	621- एन वी माधुरी-आधिकारिक अग्रिम	-10,300	-
61	701-असरारुल हक आधिकारिक अग्रिम	-5,000	-
62	736 सीएच वीएन कार्तिक कृष्ण आधिकारिक अग्रिम	3,885	-
63	746 -सी कथिरेसन, आधिकारिक अग्रिम	-14,000	-
64	770 - राकेश आधिकारिक अग्रिम	833	-
	टी ए एडवांस		
65	516-बी सुशील कुमार एमटीएस टीए एडव	43,000	-
66	658-जी वी के लोहिस दास टूर एडवांस	52,000	-
67	659 यू हेमंथा कुमार टीए एडव	26,000	-
68	719 - आर रमेश - टूर एडवांस	4,952	-
69	720-डॉ. राज कुमार पम्मी-टूर एडवांस	12,467	-
70	723 डॉ. पी. अनुराधा-टूर एडवांस	68,400	-
71	752-सत्य रंजन महाकुल टीए अग्रिम	10,000	-
72	765-डॉ. अंजन कुमार भांजा टूर अग्रिम	30,000	-
73	शैक्षणिक स्टाफ के लिए टीए अग्रिम	-2,79,472	-1,85,910
74	गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को टीए अग्रिम	-2,47,000	-3,56,200
75	नियमित कर्मचारियों को टीए अग्रिम	10,000	10,000
76	डीडीयू-जीकेवाई स्टाफ को टीए अग्रिम	2,95,385	12,20,726
77	परियोजना स्टाफ को अग्रिम भुगतान	-3,67,400	3,49,150
78	09.01.01.06.01 कर्मचारियों को अग्रिम	26,68,680	34,97,785
79	09.01.01.06.02 मोटर वाहन अग्रिम (प्राप्ति)	-1,17,448	-1,17,448
80	09.01.01.06.03 पी-एचबीए (प्राप्तियां)	4,56,112	5,66,112
81	09.01.01.06.05 अस्थायी अग्रिम	-12,000	-12,000
82	09.01.01.06.06 अग्रदाय	1,48,295	2,09,570
83	09.01.01.06.07- उच्चत - पर्सनल कंप्यूटर अग्रिम	1,08,581	1,13,181
84	अकादमिक स्टाफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण अग्रिम	-	8,12,200
85	डीडीयूजीकेवाई स्टाफ को अग्रिम	-	15,000
86	अनुसंधान के लिए क्षेत्र अग्रिम	-	43,000
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-11,44,679	-7,25,288
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	90,60,825	1,52,84,071
	कुल योग	79,16,146	1,45,58,783

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
	एनईआरसी-गुवाहाटी		
42	09.02.01.06.01 मोटर वाहन अग्रिम (प्राप्तियां) - एनईआरसी	-	-425
43	हितकारी निधि से विवाह ऋण - एनईआरसी	-	2,58,000
44	एनईआरसी-एनआरएलएम कर्मचारी अग्रिम	70,460	-
45	पी0003 पी-एचबीए (प्राप्तियां) - एनईआरसी	-	-56,070
46	आरसी - विविध अग्रिम - एनईआरसी	-	-63,602
47	आरसी - एनईआरसी - उचंत	98,98,398	2,98,50,645
48	एस0104 एस-व्यक्तिगत कंप्यूटर अग्रिम - एनईआरसी	1,76,440	3,06,880
49	09.02.01.06.02 - कर्मचारी अग्रिम - एनईआरसी	13,42,271	-
50	09.02.01.06.03 अन्य अग्रिम - एनईआरसी	37,94,500	-
51	09.02.01.06.04 जीपीएफ अग्रिम - एनईआरसी	3,90,000	-
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-	-1,20,097
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	1,56,72,069	3,04,15,525
	कुल योग	1,56,72,069	3,02,95,428
	दिल्ली		
52	09.03.01.06.01 कर्मचारी ऋण	2,51,115	8,22,013
53	09.03.01.06.02 - दिल्ली - सीपीडब्ल्यूडी - जमा	-	9,64,307
54	09.03.01.06.03 - दिल्ली - जमा - अन्य	6,52,922	7,27,197
55	09.03.01.06.05 - दिल्ली - कर्मचारियों से प्राप्तियां	5,76,100	5,76,100
56	09.03.01.06.06 - दिल्ली - स्टाफ को दिए जाने वाले अग्रिम पर अर्जित ब्याज	-	29,930
57	09.03.01.06.07 - डाक टिकट- फ्रेंकिंग	1,506	1,506
58	09.03.01.06.01 - अन्य ऋण एवं अग्रिम दिल्ली	56,717	-
59	दिल्ली सेंट्रल बैंक द्वारा किए गए भुगतान के प्रति एमओआरडी से प्राप्य	-	2,41,326
60	प्राप्य टीडीएस 2023-24 - दिल्ली	3,928	-
	कुल योग	15,42,288	33,62,379
	(ए7) विविध देनदार		
1	एसबीआई एनआईआरडीपीआर शाखा	17,140	-
2	उत्तर पूर्व तकनीकी आवेदन और पहुंच केंद्र	-	-40,88,592
	कुल	17,140	-40,88,592
	(ए8) बैंक शेष		
	09.01.01.07 बैंक लेखा - हैदराबाद		
1	09.01.01.07.01 एनआईआरडी जीपीएस-एक्सिस -921010026156285	-	50,14,951
2	09.01.01.07.01 एनआईआरडी जीपीएस-एसबीआई -62491365119	27,47,21,272	12,93,67,484
3	09.01.01.07.02 एनआईआरडी जनरल बचत - 52040475313	12,21,42,835	14,79,65,127
4	09.01.01.07.03 बीएफ-यूबीआई- 125510100109584	-	-
5	09.01.01.07.04 बीएफ-एसबीआई-52040475211	44,47,174	42,35,999
6	09.01.01.07.06 सीएफ - एसबीआई - 62112588084	3,72,16,208	4,18,06,601
7	09.01.01.07.07 डीएफ-यूबीआई- 125510100109593	-	-
8	09.01.01.07.08 डीएफ-एसबीआई - 52040475255	-	5,16,952
9	09.01.01.07.09 एनआईआरडी जनरल पीएफएमएस 3276 - SBI 52040475062	7,31,825	3,20,83,672

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
10	09.01.01.07.10 सीएफआईई - एसबीआई - 62094863681	38,92,465	33,77,881
11	09.01.01.07.11 परामर्श-यूबीआई-125510100109609	-	-
12	09.01.01.07.12 परामर्श-एसबीआई - 52040475346	24,13,768	23,00,365
13	09.01.01.07.13 डीडीयूजीकेवाई एसबीआई- पीएफएमएस 821 - 62431332037	1,26,08,275	5,09,93,622
14	09.01.01.07.14 डीईसी-पीजीडीसीगार्ड एसबीआई 62350105231	-	-
15	09.01.01.07.15 डीईसी पीजीडीएसआरडी - एसबीआई - 62114579633	1,73,943	1,67,662
16	09.01.01.07.16 पीजीडीआरडीएम - एसबीआई - 62052905893	1,24,62,613	2,28,26,656
17	09.01.01.07.17 मनरेगा - पीएफएमएस 9219 - 624766174622	6,33,88,978	1,21,773
18	09.01.01.07.18 एमकेएसपी एसबीआई 62185305487	99,87,359	97,89,018
19	09.01.01.07.19 एनआईआरडी जनरल यूबीआई - 125510100109566	95,690	80,634
20	09.01.01.07.20 एनआरओ डीडीयूजीके एसबीआई पीएफएमएस 796 - 38831856272	1,30,65,826	3,62,32,654
21	09.01.01.07.21 जीआईए एसबीआई पीएफएमएस 3825 - 38831858496	9,55,660	4,92,28,564
22	09.01.01.07.22 पीएमजीएसवाई एसबीआई पीएफएमएस 9179 - 38831859885	-	-
23	09.01.01.07.23 आरजीएसए एसबीआई पीएफएमएस 3617 - 38831861328	1,51,74,925	58,85,906
24	09.01.01.07.24 एनआरएलएम आरसी - एसबीआई - 62431461891	2,04,96,382	1,57,03,043
25	09.01.01.07.25 आरसेटी - यूबीआई -125510100109857	-	-
26	09.01.01.07.26 आरएसईटीआई -एसबीआई -पीएफएमएस 9181 - 62094415164	64,69,584	68,48,761
27	09.01.01.07.27 एसआरएस चेयर - एसबीआई- 62221101177	42,61,635	40,14,858
28	09.01.01.07.28 यूएनवुमेन-एसबीआई - 62487461885	-	-
29	09.01.01.07.29 प्रायोजित पीआरओ 1 खाता - 39192410848	-	-
30	09.01.01.07.30 आरबीआई/पीएफएमएस टीएसए 10670501002	-	44,855
31	एसओईपीआर -एस1623 एसबीआई -41978408489	4,66,06,885	-
	उप कुल	65,13,13,301	56,86,07,038
	09.02.01.07 बैंक लेखा - गुवाहाटी		
31	09.02.01.07.01 एनईआरसी परामर्श पीएनबी - 19070100000382	3,05,85,388	3,44,37,208
32	09.02.01.07.02 एनईआरसी सामान्य सीए पीएनबी - 1907012100000012	1,31,41,380	4,18,48,020
33	09.02.01.07.03 एनईआरसी एनआरएलएम आरसी पीएनबी - 4652000100041001	-0	-
	उप कुल	4,37,26,768	7,62,85,228
	09.03.01.07 बैंक लेखा - दिल्ली		
34	09.03.01.07.01 - दिल्ली - ईपीएफ खाता सं.3612899954	1,037	983
35	09.03.01.07.01 - दिल्ली-सामान्य खाता 3815818168	15,96,703	21,35,922
36	09.03.01.07.02-एफसीआरए - खाता सं.1498010000 27100	39,10,904	38,05,269
37	09.03.01.07.03 - पीएमआरडीएफ - सीबीआई - 3341604957	1,38,49,340	1,34,56,553
38	09.03.01.07.04 कपार्ट को सहायता -3057561005	14,64,005	13,66,322
	उप कुल	2,08,21,989	2,07,65,049
	कुल योग	71,58,62,058	66,56,57,315
	(ए9) जमाएँ		
1	09.01.01.05.01 एलडीओ उत्तर दिल्ली के पास जमा	18,94,586	18,94,586
2	09.01.01.05.01 टेलीफोन और अन्य जमाएँ	4,88,675	4,88,675
3	09.01.01.05.03 एपीएसईबी के पास जमा (आरआरएस 345)	20,67,759	19,40,270

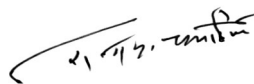
क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2024 (₹.)	31 मार्च, 2023 (₹.)
4	09.01.01.05.04 सस्थागत बेरिंग सेक डेप एपीएसईबी (आरआरएस 538)	5,72,700	5,09,200
5	09.01.01.05.05 जी.एम. टेलीफोन के साथ जमा	3,74,496	3,74,496
6	09.01.01.05.06 सपना एंटरप्राइज के पास जमा राशि	7,200	7,200
7	09.01.01.05.07 टी1120-एपीडीडीसी के पास जमा	6,240	6,240
8	09.01.01.05.08 अन्य एजेंसियों के पास जमा	9,70,500	9,70,500
9	09.01.01.05.09 सीएच. एस पी, सीटीपी टेलीफोन कार्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद के पास जमा	10,000	10,000
10	09.01.01.05.10 एपीसीपीडीसीएल (अरावली अतिथि गृह) के पास जमा	4,64,203	4,64,203
11	एनईआरसी छात्रावास नवीनीकरण के लिए सीपीडब्ल्यूडी जीएचवाई के पास जमा	21,78,939	21,78,939
	कुल	90,35,298	88,44,309
	(ए10) परामर्शी आस्तियां		
1	09.01.01.08 - परामर्शी आस्तियां		
2	09.01.01.08.01 अग्रिम- या.भ / महंगाई भ - आरसी	3,00,221	3,00,221
3	09.01.01.08.02 हितकारी निधि से परामर्श खाते में	29,168	29,168
4	09.01.01.08.05 ईएमडी -आरसी	96,300	96,300
5	09.01.01.08.06 विविध अग्रिम -आरसी	-1,64,800	-1,64,800
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-1,64,800	-1,64,800
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	4,25,689	4,25,689
	कुल योग	2,60,889	2,60,889
	(ए11) एमओआरडी से प्राप्य		
1	09.01.01.12 एमओआरडी से प्राप्य निधि		
2	09.01.01.12.02 संचित- एमओआरडी से प्राप्य	44,12,66,569	44,12,66,569
3	09.01.01.12.03 कर्मचारी हितकारी - बीमांकिक - एमओआरडी से प्राप्त	3,83,65,26,346	2,64,17,19,415
4	09.01.01.12.04 मूल्यहास आरक्षित - एमओआरडी से प्राप्य	52,11,66,421	52,11,66,421
5	09.01.01.12.05 एमओआरडी से प्राप्य	7,44,16,625	-59,83,953
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-	-59,83,953
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	4,87,33,75,961	3,60,41,52,405
	कुल	4,87,33,75,961	59,81,68,452
	(ए12) अंतरण लेखा		
1	09.01.01.11 - अंतरण लेखा		
2	09.01.01.11.01 मुख्यालय और दिल्ली केन्द्र के बीच अंतरण	-	47,52,153
	कुल	-	47,52,153
	(ए13) परियोजना पारगमन लेखा		
1	09.01.01.09 सामान्य लेखा और परियोजना पारगमन लेखा	-	-
2	09.01.01.09.02 सीएफआईई	-	-
3	09.01.01.09.04 एसआरएस चेर- ग्रामीण मजदूर	-	-
4	09.01.01.09.06 एनआरएलएम संसाधन कक्ष	54,69,746	157,39,805
5	एस2528-सामान्य खाते से मनरेगा-एएपी-प्रशिक्षण क्षमता-निर्माण-परिचय	13,396	-598,33,404
6	पीएफएमएस3617 एस0520 250 मॉडल जीपी क्लस्टर	-	-
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-	-5,98,33,404
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	54,83,142	157,39,805
	कुल	54,83,142	-4,40,93,599

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान				
हितकारी निधि				
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2023-24	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्त एवं भुगतान लेखा		पिछला वर्ष 2022-23
		चालू वर्ष 2023-24	भुगतान	
I) प्रारंभिक शेष			I) व्यय	
क) हाथ में नकद	-	-	क) स्थापना व्यय	-
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	88,800
i) चालू खाते	-	-		
ii) जमा खाते	-	-		
iii) बचत खाते	13,36,506		II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किए गए भुगतान (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतानों के विवरण के साथ निधि का नाम दर्शाया जाना चाहिए)	-
II) प्राप्त अनुदान				
क) भारत सरकार से	-	-	III) किए गए निवेश एवं जमा	
ख) राज्य सरकार से	-	-	क) निर्धारित / दान निधियों से	-
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)			ख) स्वनिधि से (निवेश - अन्य)	-
एनआईआरडी सामान्य खाते से स्थानांतरण	-	16,48,258		
III) निवेशों से आय			IV) स्थिर परिसंपत्तियों एवं प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों पर व्यय	
क) निर्धारित / दान निधियाँ			क) अचल संपत्तियों की खरीद	-
ख) स्व निधि	-	8,02,701	ख) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय	-
IV) प्राप्त ब्याज			V) अधिशेष राशि / ऋण की वापसी	
क) बैंक जमा पर	63,520	5,639	क) भारत सरकार को	-
ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	-	ख) राज्य सरकार को	-
			ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	-
V) अन्य आय (विवरण दें)				
कर्मचारियों से सदस्यता शुल्क - एनईआरसी	5,940	15,545	VI) वित्तीय शुल्क (ब्याज)	-
कर्मचारियों से सदस्यता शुल्क - दिल्ली केंद्र	-	1,000	VII) अन्य भुगतान (विवरण दें)	
			ऋण और अग्रिम	8,75,000
VI) उधार ली गई राशि	-	-	VIII) अंतिम शेष	16,50,000
			क) हाथ में नकद	-
VII) अन्य प्राप्तियाँ (यदि कोई हो)			ख) बैंक शेष	-
विवाह ऋण की वसूली	1,84,611	1,70,067	i) चालू खाते	-
			ii) जमा खाते	-
			iii) बचत खाते	13,36,506
कुल	15,90,577	30,75,306	कुल	30,75,306

र. ग. चक्रवर्ती

(ए.एस.चक्रवर्ती)
वित्तीय सलाहकार प्रभारी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान			
हितकारी निधि			
31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय खाता			
विवरण	अनुसूची	31-मार्च-24	31- मार्च- 23
		रु.	रु.
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय		-	-
अनुदान/सब्सिडी		-	-
शुल्क/सदस्यता	5	1,10,020	1,59,591
निवेश से आय (निर्धारित/दान निधियों से निवेश पर आय, जिसे निधियों में स्थानांतरित किया गया)	6	14,71,773	10,61,442
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		-	-
प्राप्त ब्याज	7	3,98,481	1,86,999
अन्य आय		-	-
समाप्त उत्पाद और प्रगतिरत कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/(घटाव)		-	-
कुल (क)		19,80,274	14,08,032
व्यय			
स्थापना व्यय		-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	8	-	2,28,387
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय		-	-
ब्याज		-	-
मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध कुल)		-	-
कुल (ख)		-	2,28,387
आय पर व्यय की अधिकता का शेष (क-ख)		19,80,274	11,79,645
जोड़ें: पिछली अवधि की आय		44,007	-
घटाएँ: पिछली अवधि के व्यय		-	-
विशेष आरक्षित में स्थानांतरण			
सामान्य आरक्षित से/में स्थानांतरण			
कर्पस/पूंजी कोष में ले जाई जाने वाली अधिशेष/(घाटा) राशि		20,24,281	11,79,645
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ			
संभावित देयताएँ और खातों के लिए नोट्स			

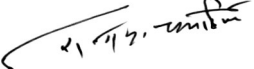

 (ए.एस.चक्रवर्ती)
 वित्तीय सलाहकार प्रभारी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

हितकारी निधि

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

विवरण		अनु.संदर्भ	31-मार्च-2024 (₹.)	31-मार्च-2023 (₹.)
I	पूंजी और देयताएं			
	संचित /पूंजी निधि	1	2,26,89,700	2,06,65,419
	आरक्षित एवं अधिशेष		-	-
	चिह्नित निधि		-	-
	सुरक्षित ऋण और उधार		-	-
	असुरक्षित ऋण और उधार		-	-
	आस्थगित ऋण देयताएँ		-	-
	वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	2	-	7,81,330
	कुल योग		2,26,89,700	2,14,46,749
II	आस्तियां			
	सावधि जमा		-	-
	चिह्नित /अक्षय निधि से निवेश		-	-
	निवेश - अन्य	3	1,56,50,493	1,50,00,000
	वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	4	70,39,207	64,46,749
	विविध व्यय		-	-
	कुल योग		2,26,89,700	2,14,46,749
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
	आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25		
ध्यान दें: वार्षिक लेखा, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरण के अनुसार हैं				


(ए.एस.चक्रवर्ती)
वित्तीय सलाहकार प्रभारी


(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान			
हितकारी निधि			
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			
आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियां			
अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2024 (₹.)	31-मार्च-2023 (₹.)
अनु. 5	शुल्क/सदस्यता		
	1) प्रवेश शुल्क	-	-
	2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता		
	दिल्ली केंद्र से सदस्यता	-	1,000
	कर्मचारियों से सदस्यता -एनईआरसी	5,940	15,545
	कर्मचारियों से सदस्यता -एनआईआरडी	1,04,080	1,43,046
	कर्मचारियों से सदस्यता -मुख्यालय	-	-
	3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
	4) परामर्शी शुल्क	-	-
	5) अन्य	-	-
	कुल	1,10,020	1,59,591
अनु. 6	निवेश से आय (चिह्नित /अक्षय निधि से)		
	1) ब्याज		
	क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	14,71,773	10,61,442
	ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-
	2) लाभांश		
	क) शेयरों पर	-	-
	ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
	3) किराया	-	-
	4) अन्य	-	-
		14,71,773	10,61,442
अनु. 7	अर्जित ब्याज		
	1) सावधि जमा पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	2) बचत खातों पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	3,36,574	5,639
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) डाकघर बचत खातों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	3) ऋण पर		
	क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
	ख) अन्य	61,907	1,81,360
	ऋण एवं अग्रिम	-	-
	4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
		3,98,481	1,86,999

जारी...

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
		(₹.)	(₹.)
अनु. 8	स्थापना व्यय		
	क) वेतन और मजदूरी	-	-
	ख) भत्ते और बोनस	-	-
	ग) भविष्य निधि में योगदान	-	-
	घ) अन्य निधि में योगदान	-	-
	ड.) कर्मचारी कल्याण व्यय		
	मृत कर्मचारियों के परिवार को सहायता	-	25,000
	कर्मचारी कल्याण	-	1,43,387
	कैंटीन के लिए अनुदान	-	60,000
	च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर व्यय और सेवांत लाभ	-	-
	छ) अन्य	-	-
		-	2,28,387

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान			
हितकारी निधि			
31 मार्च 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां			
अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
अनु.1	पूँजी निधि / संचित निधि		
	पूँजी निधि - सामान्य		
	वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,06,65,419	1,94,85,774
	जोड़ें: संचित/ पूँजी निधि में योगदान	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	20,24,281	11,79,645
	वर्ष के अंत में शेष	2,26,89,700	2,06,65,419
अनु - 2	वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
	क) वर्तमान देयताएं		
	1) स्वीकृतियां	-	-
	2) विविध लेनदार		
	क) सामान के लिये		
	ख) अन्य	-	-
	3) प्राप्त अग्रिम	-	-
	4) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं		
	क) सुरक्षित ऋण/उधार	-	-
	ख) असुरक्षित ऋण/उधार	-	-
	5) वैधानिक देयताएं		
	क) अतिदेय	-	-
	ख) अन्य	-	-
	6) अन्य वर्तमान देयताएं		
	चिकित्सा संचित निधि खाते में देय	-	-
	कुल (क)	-	-
	ख) प्रावधान	-	-
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	-	-
अनु-3	चिह्नित निधि से निवेश		
	1) सरकारी प्रतिभूतियों में	1,50,00,000	1,50,00,000
	2) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
	3) शेयर	-	-
	4) डिबेंचर और बांड	-	-
	5) सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
	6) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-
	सावधि जमा में निवेश	-	-
	सावधि जमा में -संचित निवेश	-	-
	शून्य कूपन ब्याज प्राप्य	6,50,493	
	कुल	1,56,50,493	1,50,00,000
अनु - 4	वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम		
	क) वर्तमान संपत्ति		
	1) सूची		
	क) भण्डार एवं पुर्जे	-	-
	ख) डीले उपकरण	-	-
	ग) बिक्री के लिए माल		

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
	i) तैयार माल	-	-
	ii) कार्य प्रगति पर	-	-
	iii) कच्चा माल	-	-
2)	विविध लेनदार		
	क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण	-	-
	ख) अन्य	-	-
3)	नकद शेष	-	-
4)	बैंक शेष		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खातों पर	-	-
	- जमा खातों पर (मार्जिन मनी शामिल)	-	-
	- बचत खातों पर (ऑटोस्वीप-एफडी-एमओडी सहित)	7,15,577	13,36,505
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खातों पर	-	-
	- जमा खातों पर (मार्जिन मनी शामिल)	-	-
	- बचत खातों पर	-	-
5)	डाकघर बचत खाते	-	-
	कुल (क)	7,15,577	13,36,505
	ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ		
1)	ऋण		
	क) कर्मचारी	-	-
	ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य इकाइयाँ	-	-
	ग) अन्य	29,05,067	34,71,850
2)	नकद या वस्तु के रूप में या मूल्य प्राप्त करने के लिए अग्रिम एवं वसूली योग्य अन्य राशियाँ		
	क) पूंजी खाते पर	-	-
	ख) पुनर्भुगतान	-	-
	ग) अन्य		
	i) कर्मचारी	-	-
	ii) अन्य	-	-
3)	अर्जित आय		
	क) चिह्नित/अक्षय निधि से निवेश पर	-	-
	ख) निवेश पर - अन्य	1,21,403	1,61,458
	ग) ऋण और अग्रिम पर	-	-
	घ) अन्य	-	-
4)	प्राप्य दावे	-	-
5)	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		
	क) हितकारी निधि से प्राप्य	-	-
	ख) स्टाम्प/फ्रैंकिंग	-	-
	ग) एनआईआरडी जनरल खाते से प्राप्य	-	-
	घ) कर्मचारियों के लिए अग्रिम	-	-
	ड.) परामर्शी निवेश पर प्राप्य 25% ब्याज - एमओ-बी/एस	-	14,76,936
	च) भविष्य निधि खाते से प्राप्य	1,23,804	-
	छ) एनआईआरडी सामान्य खाता और हितकारी निधि खाते के बीच अंतरण	31,73,356	(7,81,330)
	कुल (ख)	63,23,630	43,28,914
	कुल (क+ख)	70,39,207	56,65,419

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान					
भविष्य निधि					
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा					
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2023-24	पिछले वर्ष 2022-23	भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पिछले वर्ष 2022-23
I) प्रारंभिक शेष			I) व्यय		
क) नकद	-	-	क) स्थापना व्यय	-	-
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय		
i) चालू खाता	-	-	बैंक प्रभार	7,500	-
ii) जमा खाता	-	-			
iii) बचत खाता	5,62,75,929	89,40,412	II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि का भुगतान		
			(फंड का नाम या प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दिखाया जाना चाहिए)	-	-
II) प्राप्त अनुदान					
क) भारत सरकार से	-	-	III) किया गया निवेश और जमा		
ख) राज्य सरकार से	-	-	क) चिह्नित/ अक्षय निधि से	-	-
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)	-	-	ख) स्वयं के निधि से (निवेश-अन्य)		
			जी-सेक्शन / एससीएल में निवेश	10,29,00,000	-
III) निम्न से निवेशों पर आय			IV) अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
क) चिह्नित/ अक्षय निधि	-	-	क) अचल संपत्तियों की खरीद	-	-
ख) स्वयं का निधि			b) प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय	-	-
सावधि एवं अल्पावधि जमा	8,00,00,000	-			
IV) इन पर प्राप्त ब्याज			V) अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
क) बैंक जमा पर			क) भारत सरकार से	-	-
एसबी खाते पर ब्याज	30,16,318	3,17,996	ख) राज्य सरकार से	-	-
निवेश पर ब्याज	64,90,361	90,43,039	ग) निधि के अन्य प्रदाताओं के लिए	-	-
सावधि जमा पर ब्याज	60,44,062	16,13,463			
विशेष जमा योजना पर ब्याज	9,79,163	-	VI) वित्त शुल्क (ब्याज)	-	-
ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	-			

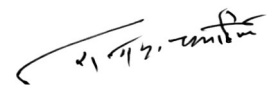
जारी...

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2023-24	पिछले वर्ष 2022-23	भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पिछले वर्ष 2022-23
V) अन्य आय (निर्दिष्ट करें)	-	-	VII) कोई अन्य प्राप्तियाँ		
			नई पेंशन योजना (मुख्यालय)	2,03,88,422	98,47,023
VI) उधार ली गई राशि	-	-	नई पेंशन योजना (एनईआरसी)	9,94,071	8,51,453
			सामान्य खाता और भविष्य निधि खाते के बीच अंतरण	2,00,00,000	50,000
			सीपीएफ	1,88,63,551	3,99,17,060
VII) कोई अन्य प्राप्तियाँ			जीपीएफ	2,16,20,942	4,07,74,260
नई पेंशन योजना (मुख्यालय)	160,49,964	107,27,900	प्रबंधन अंशदान - एनपीएस	2,90,67,906	1,07,29,385
नई पेंशन योजना (एनईआरसी)	15,93,289	21,28,636	प्रबंधन अंशदान - सीपीएफ	87,10,484	-
अधिशेष	-	5,43,559	VIII) अंतःशेष		
सामान्य खाता और भविष्य निधि खाते के बीच अंतरण	-	207,87,545	क) नकद	-	-
सीपीएफ	92,08,793	163,16,657	ख) बैंक शेष		
जीपीएफ	212,92,118	219,79,682	i) चालू खाता	-	-
प्रबंधन अंशदान - एनपीएस	289,40,381	196,70,464	ii) जमा खाता	-	-
प्रबंधन अंशदान - सीपीएफ	1,61,260	-	iii) बचत खाता	76,37,962	5,62,75,929
एनआईआरडीपीआर से प्राप्य	-	54,01,616			
भविष्य निधि से यूबीआई - सामान्य के बीच अंतरण (एफडी उद्देश्य)	-	409,74,141			
भविष्य निधि खाता और हितकारी निधि खाते के बीच अंतरण	1,23,804	-			
विभिन्न खातों में अंतरण	15,396	-			
कुल	2301,90,838	1584,45,110	TOTAL	23,01,90,838	15,84,45,110

रा. नि. प्र. चक्रवर्ती

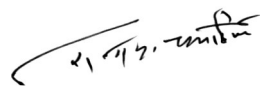
(ए.एस.चक्रवर्ती)
वित्तीय सलाहकार प्रभारी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान			
भविष्य निधि			
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा			
विवरण	अनु.	31-मार्च-2024	31-मार्च-2024
		(₹.)	(₹.)
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय		-	-
अनुदान/सब्सिडी		-	-
शुल्क/सदस्यता	5	-	-
निवेश से आय (निधि में हस्तांतरित चिह्नित/ अक्षय निधि से निवेश पर आय)	6	1,68,56,335	1,51,47,989
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		-	-
अर्जित ब्याज	7	1,04,75,325	5,95,492
अन्य आय		-	-
तैयार माल/ कार्य प्रगति के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)		-	-
कुल (क)		2,73,31,660	1,57,43,481
व्यय			
स्थापना व्यय		-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	8	7,500	-
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय		-	-
ब्याज	9	1,68,36,540	1,47,54,319
मूल्यहास (वर्ष के अंत में निवल कुल)		-	-
कुल (ख)		1,68,44,040	1,47,54,319
व्यय पर आय का आधिक्य शेष (क-ख)		1,04,87,620	9,89,162
जोड़ें: पिछली अवधि की आय		1,71,971	-
घटाएँ: पिछली अवधि के खर्च		-	-
विशेष रिज़र्व में अंतरण		-	-
सामान्य रिज़र्व से/में अंतरण		1,06,59,591	9,89,162
शेष राशि अधिशेष/(घाटा) होने पर कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया गया			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ			
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियाँ			



(ए.एस.चक्रवर्ती)
वित्तीय सलाहकार प्रभारी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान				
भविष्य निधि				
31 मार्च 2024 को तुलन पत्र				
विवरण		अनु.संदर्भ	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
			रु.	रु.
	पूंजी और देयताएं			
I	संचित /पूंजी निधि	1	6,45,87,105	7,17,34,422
	आरक्षित एवं अधिशेष		-	-
	चिह्नित निधि		-	-
	सुरक्षित ऋण और उधार		-	-
	असुरक्षित ऋण और उधार		-	-
	आस्थगित ऋण देयताएँ		-	-
	वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	2	24,98,12,873	24,04,04,850
कुल योग			31,43,99,978	31,21,39,272
II	आस्तियां			
	सावधि जमा		-	-
	चिह्नित /अक्षय निधि से निवेश	3	27,92,66,153	25,17,91,024
	निवेश - अन्य		-	-
	वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	4	3,51,33,825	6,03,48,249
	विविध व्यय		-	-
कुल योग			31,43,99,978	31,21,39,273
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां		25		
ध्यान दें: वार्षिक लेखा, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरण के अनुसार हैं				



(ए.एस.चक्रवर्ती)
वित्तीय सलाहकार प्रभारी



(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान			
भविष्य निधि			
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			
आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियां			
अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
		रु.	रु.
अनु. 5	शुल्क/सदस्यता		
	1) प्रवेश शुल्क	-	-
	2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता		
	कर्मचारियों से सदस्यता	-	-
	पेंशनभोगियों से सदस्यता	-	-
	3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
	4) परामर्शी शुल्क	-	-
	5) अन्य	-	-
	कुल	-	-
अनु. 6	निवेश से आय (चिह्नित /अक्षय निधि से)		
	1) ब्याज		
	क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	1,68,56,335	1,51,47,989
	ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-
	2) लाभांश		
	क) शेयरों पर	-	-
	ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
	3) किराया	-	-
	4) अन्य	-	-
		1,68,56,335	1,51,47,989
अनु. 7	अर्जित ब्याज		
	1) सावधि जमा पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	72,68,016	2,77,496
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	2) बचत खातों पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	32,07,309	3,17,996
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) डाकघर बचत खातों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	3) ऋण पर		
	क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
	ख) अन्य	-	-
	4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
		1,04,75,325	5,95,492
अनु. 8	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
	बैंक शुल्क	7,500	-
		7,500	-
अनु. 9	ब्याज		
	जीपीएफ/सीपीएफ पर दिया गया ब्याज	1,68,36,540	1,47,54,319
		1,68,36,540	1,47,54,319

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान			
भविष्य निधि			
31 मार्च 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां			
अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
अनु.1	पूंजीगत निधि / संचित निधि		
	पूंजीगत निधि - सामान्य		
	वर्ष की शुरुआत में शेष	7,17,34,422	3,53,39,935
	जोड़ें: संचित/पूंजी निधि में योगदान	(1,78,06,908)	3,54,05,325
	जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	1,06,59,591	9,89,162
	वर्ष के अंत में शेष	6,45,87,105	7,17,34,422
अनु. - 2	वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
	क) वर्तमान देयताएं		
	1) स्वीकृतियां	-	-
	2) विविध लेनदार		
	क) सामान के लिए	-	-
	ख) अन्य	-	-
	3) प्राप्त अग्रिम	-	-
	4) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं		
	क) सुरक्षित ऋण/उधार	-	-
	ख) असुरक्षित ऋण/उधार	-	-
	5) वैधानिक देयताएं		
	क) अतिदेय	-	-
	ख) अन्य	-	-
	6) अन्य वर्तमान देयताएं		
	सीपीएफ	7,88,36,349	8,30,14,455
	जीपीएफ	8,60,88,150	8,10,52,097
	प्रबंधन अंशदान - सीपीएफ	6,59,54,249	5,81,86,729
	प्रबंधन अंशदान - एनपीएस	44,02,802	1,32,43,651
	नई पेंशन योजना (एमओ)	1,31,48,380	16,78,339
	नई पेंशन योजना (एनईआरसी)	8,53,743	2,54,525
	सामान्य लेखा और भविष्य निधि के बीच अंतरण	-	29,75,054
	भविष्य निधि लेखा और हितकारी निधि लेखे के बीच अंतरण	1,23,804	-
	विभिन्न खातों के बीच अंतरण	15,396	-
	जीपीएफ अग्रिम देय-एनईआरसी-गुवाहाटी	3,90,000	-
	कुल (क)	2498,12,873	2404,04,850
	ख) प्रावधान		
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	24,98,12,873	24,04,04,850

जारी...

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
अनु.-3	चिह्नित निधि से निवेश		
	1) सरकारी प्रतिभूतियों में	26,09,00,000	15,80,00,000
	2) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		-
	विशेष जमा योजना - दिल्ली	1,37,91,024	1,37,91,024
	3) शेयर	-	-
	4) डिबेंचर और बांड	-	-
	5) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम	-	-
	6) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
	सावधि जमा में निवेश	-	8,00,00,000
	संचित निवेश - सावधि जमा में	-	-
	शून्य कूपन ब्याज प्राप्य	45,75,129	-
	कुल	27,92,66,153	25,17,91,024
अनु. - 4	वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम		
	क) वर्तमान संपत्ति		
	1) सूची		
	क) भण्डार एवं पुर्जे	-	-
	ख) ढीले उपकरण	-	-
	ग) बिक्री के लिए माल		
	i) तैयार माल	-	-
	ii) कार्य प्रगति पर	-	-
	iii) कच्चा माल	-	-
	2) विविध देनदार		
	क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण	-	-
	ख) अन्य	-	-
	3) नकद शेष	-	-
	4) बैंक शेष		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खातों पर	-	-
	- जमा खातों पर (मार्जिन मनी शामिल)	-	-
	- बचत खातों पर		-
	ईओबी दिल्ली - 27111	9,78,800	7,58,226
	एसबीएच एनआईआरडी - 75233 (ऑटोस्वीप एफडी-एमओडी सहित)	66,59,161	555,17,703
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खातों पर	-	-
	- जमा खातों पर (मार्जिन मनी शामिल)	-	-
	- बचत खातों पर	-	-
	5) डाकघर बचत खाते	-	-
	कुल (क)	76,37,961	5,62,75,929

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
	ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ		
	1) ऋण		
	क) कर्मचारी	-	-
	ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य इकाइयाँ	-	-
	ग) अन्य	-	-
	2) नकद या वस्तु के रूप में या मूल्य प्राप्त करने के लिए अग्रिम एवं वसूली योग्य अन्य राशियाँ		
	क) पूंजी खाते पर	-	-
	ख) पुनर्भुगतान	-	-
	ग) अन्य		
	i) कर्मचारी	-	-
	ii) अन्य	-	-
	3) अर्जित आय		
	क) चिह्नित /अक्षय निधि से निवेश पर	-	-
	ख) निवेश पर - अन्य	-	-
	ग) ऋण और अग्रिम पर	-	-
	घ) अन्य	35,86,456	36,03,603
	4) प्राप्य दावे	-	-
	5) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		
	क) हितकारी निधि से प्राप्य	-	-
	ख) दिल्ली सीपीएफ परिशोधन	6,40,688	4,68,717
	ग) एनआईआरडीपीआर से प्राप्य	-	-
	घ) सामान्य खाता और भविष्य निधि के बीच अंतरण	232,68,720	
	ड.) भविष्य निधि से यूबीआई सामान्य के बीच अंतरण (एफडी उद्देश्य)	-	-
	च) स्टाम्प/फ्रैंकिंग की उपलब्धता	-	-
	कुल (ख)	2,74,95,864	40,72,320
	कुल (क+ख)	3,51,33,825	6,03,48,249

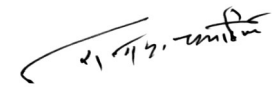
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान चिकित्सा संचित निधि					
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तिर्वा एवं भुगतान लेखा					
प्राप्तिर्वा	चालू वर्ष 2023-24	पिछले वर्ष 2022-23	भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पिछले वर्ष 2022-23
I) प्रारंभिक शेष			I) व्यय		
क) नकद	-	-	क) स्थापना व्यय	33,02,447	12,37,256
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	-	-
i) चालू खाता	-	-			
ii) जमा खाता	-	-			
iii) बचत खाता	72,86,421	16,82,935	II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के लिए किए गए भुगतान (फंड का नाम या प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दिखाया जाना चाहिए)	-	-
II) प्राप्त अनुदान			III) किए गए निवेश और जमा		
क) भारत सरकार से	-	-	क) चिह्नित/ अक्षय निधि से	-	-
ख) राज्य सरकार से	-	-	ख) स्वयं के निधि से (निवेश-अन्य)	-	-
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)	-	-	IV) अचल संपत्तियों और प्रगति पर पूंजीगत कार्य पर व्यय		
III) निम्न से निवेशों पर आय			क) अचल संपत्तियों की खरीद	-	-
क) चिह्नित/ अक्षय निधि से	-	34,96,174	ख) प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय	-	-
ख) स्वयं के निधि से	-	-	V) अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
IV) इन पर प्राप्त ब्याज			क) भारत सरकार से	-	-
क) बैंक जमा पर	4,06,396	25,893	ख) राज्य सरकार से	-	-
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ग) निधि के अन्य प्रदाताओं के लिए	-	-
V) अन्य आय (निर्दिष्ट करें)					
पेंशनभोगियों से सदस्यता	1,96,150	1,56,802			
कर्मचारियों से सदस्यता	-	4,32,000			
एनआईआई/आरडी सामान्य खाता और चिकित्सा संचित निधि के बीच अंतरण	-	68,477			
चिकित्सा व्यय-सदस्य	31,279	1,152	VI) वित्त शुल्क (ब्याज)		
VI) उधार ली गई राशि	-	-	VII) अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)	-	-
			शुल्क और कर	18,655	-
VII) कोई अन्य प्राप्तिर्वा			VIII) अंतःशेष		
सावधि जमा की परिपक्वता	-	26,60,244	क) नकद		
			ख) बैंक शेष		
			i) चालू खाता		
			ii) जमा खाता		
			iii) बचत खाता		
कुल	79,20,246	85,23,677	कुल	79,20,246	85,23,677



(ए.एस.चक्रवर्ती)

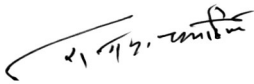
वित्तीय सलाहकार प्रभारी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान			
चिकित्सा संचित निधि			
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा			
विवरण	अनु.	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
		रु.	रु.
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय		-	-
अनुदान/सब्सिडी		-	-
शुल्क/सदस्यता	5	5,46,700	15,51,422
निवेश से आय (निधि में हस्तांतरित चिह्नित/ अक्षय निधि से निवेश पर आय)	6	63,77,681	41,91,929
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		-	-
अर्जित ब्याज	7	4,71,581	25,893
अन्य आय		-	-
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति पर		-	-
कुल (क)		73,95,962	57,69,244
व्यय			
स्थापना व्यय	8	37,85,567	32,49,196
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		-	-
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय		-	-
ब्याज		-	-
मूल्यहास (वर्ष के अंत में निवल कुल)			
कुल (ख)		37,85,567	32,49,196
व्यय पर आय का आधिक्य शेष (क-ख)		36,10,395	25,20,048
विशेष रिजर्व में अंतरण		-	-
सामान्य रिजर्व से/में अंतरण		-	-
शेष राशि अधिशेष/(घाटा) होने पर कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया गया		36,10,395	25,20,048



(ए.एस.चक्रवर्ती)
वित्तीय सलाहकार प्रभारी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान				
चिकित्सा संचित निधि				
31 मार्च 2024 को तुलन पत्र				
विवरण		अनु.संदर्भ	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
			रु.	रु.
	पूँजी और देयताएं			
I	संचित /पूँजी निधि	1	6,90,08,654	6,53,98,259
	आरक्षित एवं अधिशेष		-	-
	चिह्नित निधि		-	-
	सुरक्षित ऋण और उधार		-	-
	असुरक्षित ऋण और उधार		-	-
	आस्थगित ऋण देयताएँ		-	-
	वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	2	40,00,557	75,87,818
कुल योग			7,30,09,211	7,29,86,077
II	आस्तियां			
	सावधि जमा		-	-
	चिह्नित /अक्षय निधि से निवेश	3	6,78,18,800	6,50,00,000
	निवेश - अन्य		-	-
	वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	4	51,90,411	79,86,077
	विविध व्यय		-	-
कुल योग			7,30,09,211	7,29,86,077
नोट: वार्षिक लेखे केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरण के प्रारूप के अनुसार हैं।				


 (ए.एस.चक्रवर्ती)
 वित्तीय सलाहकार प्रभारी


 (जी नरेन्द्र कुमार)
 महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान			
चिकित्सा संचित निधि			
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			
आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियां			
अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2024 रु.	31-मार्च-2023 रु.
अनु.5	शुल्क/सदस्यता		
	1) प्रवेश शुल्क		
	2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता		
	कर्मचारियों से सदस्यता	3,50,550	11,19,422
	पेंशनभोगियों से सदस्यता	1,96,150	4,32,000
	3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
	4) परामर्शी शुल्क	-	-
	5) अन्य	-	-
	कुल	5,46,700	15,51,422
अनु. 6	निवेश से आय (चिह्नित /अक्षय निधि से)		
	1) ब्याज		
	क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	63,77,681	41,91,929
	ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-
	2) लाभांश		
	क) शेयरों पर	-	-
	ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
	3) किराया	-	-
	4) अन्य	-	-
		63,77,681	41,91,929
अनु. 7	अर्जित ब्याज		
	1) सावधि जमा पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	2) बचत खातों पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	4,71,581	25,893
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) डाकघर बचत खातों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	3) ऋण पर		
	क) कर्मचारी/स्टाफ		
	ख) अन्य		
	4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
		4,71,581	25,893
अनु.8	स्थापना व्यय		
	क) वेतन और मज़दूरी	-	-
	बी) भत्ते और बोनस	-	-
	ग) भविष्य निधि में योगदान	-	-
	घ) अन्य निधि में योगदान	-	-
	ड.) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
	03 चिकित्सा	-	-
	03.01. हैदराबाद	37,85,567	32,49,196
	च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ पर व्यय	-	-
	छ) अन्य	-	-
		37,85,567	32,49,196

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान			
चिकित्सा संचित निधि			
31 मार्च 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां			
अनु.सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
अनु.1	पूँजीगत निधि / संचित निधि		
	पूँजीगत निधि - सामान्य		
	वर्ष की शुरुआत में शेष	6,53,98,259	6,38,79,800
	जोड़ें: संचित/पूँजी निधि में योगदान	-	(10,01,589)
	जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	36,10,395	25,20,048
	वर्ष के अंत में शेष	6,90,08,654	6,53,98,259
अनु - 2	वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
	क) वर्तमान देयताएं		
	1) स्वीकृतियां	-	-
	2) विविध लेनदार		
	क) सामान के लिए	-	-
	ख) अन्य	-	-
	3) प्राप्त अग्रिम	-	-
	4) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं		
	क) सुरक्षित ऋण/उधार	-	-
	ख) असुरक्षित ऋण/उधार	-	-
	5) वैधानिक देयताएं		
	क) अतिदेय	-	-
	ख) अन्य	54,123	-
	6) अन्य वर्तमान देयताएं		
	एनआईआरडी सामान्य खाते में देय	39,46,434	75,87,818
	कुल (क)	40,00,557	75,87,818
	ख) प्रावधान		
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	40,00,557	75,87,818
अनु-3	चिह्नित निधि से निवेश		
	1) सरकारी प्रतिभूतियों में	6,50,00,000	6,50,00,000
	2) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
	3) शेयर	-	-
	4) डिबेंचर और बांड	-	-
	5) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
	6) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-
	सावधि जमा में निवेश	-	-
	संचित निवेश - सावधि जमा में	-	-
	शून्य कूपन ब्याज प्राप्य	28,18,800	-
	कुल	6,78,18,800	6,50,00,000
अनु - 4	वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम		
	क) वर्तमान संपत्ति		
	1) सूची		
	क) भण्डार एवं पुर्जे	-	-
	ख) ढीले उपकरण	-	-
	ग) बिक्री के लिए माल		

अनु.सं.	विवरण	31-मार्च-2024	31-मार्च-2023
	i) तैयार माल	-	-
	ii) कार्य प्रगति पर	-	-
	iii) कच्चा माल	-	-
	2) विविध देनदार		
	क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण	-	-
	ख) अन्य	-	-
	3) नकद शेष	-	-
	4) बैंक शेष		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खातों पर	-	-
	- जमा खातों पर (मार्जिन मनी शामिल)	-	-
	- बचत खातों पर	45,99,144	72,86,421
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	- चालू खातों पर	-	-
	- जमा खातों पर (मार्जिन मनी शामिल)	-	-
	- बचत खातों पर	-	-
	5) डाकघर बचत खाते	45,99,144	72,86,421
	कुल (क)		
	ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ		
	1) ऋण		
	क) कर्मचारी	-	-
	ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य इकाइयाँ	-	-
	ग) अन्य	-	-
	2) नकद या वस्तु के रूप में या मूल्य प्राप्त करने के लिए अग्रिम एवं वसूली योग्य अन्य राशियाँ		
	क) पूंजी खाते पर	-	-
	ख) पुनर्भुगतान	-	-
	ग) अन्य		
	i) कर्मचारी	-	-
	ii) अन्य	-	-
	3) अर्जित आय		
	क) चिह्नित /अक्षय निधि से निवेश पर	5,91,267	6,99,656
	ख) निवेश पर - अन्य	-	-
	ग) ऋण और अग्रिम पर	-	-
	घ) अन्य	-	-
	4) प्राप्य दावे	-	-
	5) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		
	क) हितकारी निधि से प्राप्य	-	-
	ड.) स्टाम्प/फ्रैंकिंग	-	-
	कुल (ख)	5,91,267	6,99,656
	कुल (क+ख)	51,90,411	79,86,077

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए

लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची - 24 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और

अनुसूची - 25 - आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां

अनुसूची - 24 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

क) लेखाकरण करार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत करार और लेखांकन की संग्रहण पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

ख) संस्थान के लेखे

संस्थान निम्नलिखित लेखों का रखरखाव करता है:

- i) एनआईआरडीपीआर खाता
- ii) हितकारी निधि खाता
- iii) भविष्य निधि खाता
- iv) एनआईआरडीपीआर चिकित्सा संचित निधि खाता

संस्थान के लेखों को महानिदेशक द्वारा संकलित, तैयार और अनुमोदित किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित तीन विवरण दर्शाए जाते हैं और संकलित वार्षिक लेखे को लेखापरीक्षा हेतु संस्थान के लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत किए जाते हैं।

- i) प्राप्ति और भुगतान लेखा
- ii) आय और व्यय लेखा
- iii) तुलन पत्र

संघ ज्ञापन के पैरा XVII (ii) के अनुसार- संस्थान के लेखों का लेखा-परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनकी ओर से अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा तथा ऐसे लेखा-परीक्षण के संबंध में किया गया कोई भी व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को देय होगा।

2. सरकारी अनुदान: संस्थान को केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। सहायता अनुदान (सामान्य और वेतन) का लेखांकन संस्थान की लेखा प्रणाली के अनुरूप उपार्जन आधार पर किया जाता है। वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की गई सीमा तक अनुदान को पूंजी निधि में जोड़ा जाता है। अंतिम वर्ष में अनुदानों का अप्रयुक्त शेष को चालू देयताओं के तहत - तुलन पत्र में अप्रयुक्त अनुदान शेष के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। निधियों को सामान्य और वेतन के अंतर्गत अलग-अलग प्राप्त किया जाता है और उनका अलग-अलग लेखा किया जाता है।

3. परिसंपत्तियों का मूल्यांकन: अचल परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और वर्ष के अंत में तुलन पत्र

में मूल्यहास के शुद्ध के रूप में में दिखाया जाता है।

4. मूल्यहास:

अनुदान-सहायता से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को एनआईआरडीपीआर की तुलन पत्र शीट की अनुसूची 8 " अचल परिसंपत्तियों" के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए उस पर मूल्यहास एनआईआरडीपीआर के आय और व्यय खाते में लगाया गया था।

भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों के लिए खातों के एकरूप प्रारूप के अंतर्गत वित्तीय विवरण अनुसूची 8 अचल संपत्तियां बिंदु संख्या:5 के संकलन के लिए टिप्पणियों और निर्देशों के अनुसार, "संपत्तियों के मूल्य पर मूल्यहास प्रदान किया जाना चाहिए और इसे विभेदित राजस्व आय के रूप में माना जाना चाहिए और परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर आय और व्यय खाते में मान्यता दी जानी चाहिए, अर्थात् ऐसे अनुदानों को अवधि और अनुपात में आय में आबंटित किया जाना चाहिए, जिसमें मूल्यहास लगाया जाता है", तदनुसार संस्थान ने वर्ष के दौरान आय और व्यय लेखों में मूल्यहास को विभेदित राजस्व आय के रूप में माना है और पूंजीगत निधि में इसी के अनुरूप कटौती की है।

संस्थान की कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर अधिनियम में निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में परिसंपत्तियों के मूल्य पर मूल्यहास की 100% लागू दर प्रदान की जाती है।

1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच अर्जित परिसंपत्तियों के लिए लागू दर के अनुसार पूर्ण मूल्यहास प्रदान किया जाता है और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक की अवधि के लिए मूल्यहास की लागू दर का 50% प्रदान किया जाता है।

5,000 रुपये या उससे कम लागत वाली परिसंपत्तियों को राजस्व व्यय माना जाता है (पुस्तकालय पुस्तकों को छोड़कर)।

5. दवाइयों, स्टेशनरी, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल्स आदि के अंतः स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

6. संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं और प्रकाशनों के अंतः स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बिक्री मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

7. अनुसूची एल3 परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान, एल4 परामर्शी परियोजनाएं, उनसे संबंधित अनुसूचियां और खातों में दिखाई देने वाले प्रायोजित और परामर्श परियोजना खातों को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

8. प्रायोजित और परामर्शी परियोजना लेनदेन में परिसंपत्तियों की खरीद के लिए किए गए भुगतान शामिल हैं, जिन्हें संबंधित परियोजना के लिए व्यय के रूप में लिया जाता है और खरीदी गई ऐसी परिसंपत्तियों को अनुसूची 8 अचल संपत्तियों में नहीं लिया जाता है। प्रायोजित और परामर्शी परियोजना खातों के शेष को अनुसूची एल: 3 के तहत चालू देनदारियों के तहत प्रदर्शित किया जाता है।

9. जीएफआर-2017 के नियम-229 (vi) के अनुसार: स्वायत्त निकाय का शासी निकाय वर्ष में कम से कम एक बार उपयोगकर्ता शुल्क/आंतरिक राजस्व सृजन के स्रोतों की समीक्षा करेगा। तदनुसार, एनआईआरडीपीआर ने उपयोगकर्ता शुल्क तय करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क समिति का गठन किया है और समिति की सिफारिश के अनुसार ही शुल्क लिया जा रहा है।

10. पीजी पाठ्यक्रमों (नियमित और दूरस्थ) की फीस - नकद आधार पर ली जाती है।

11. सेवानिवृत्ति लाभ: कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई गणना के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं और अनुसूची 7 (बी) प्रावधानों के तहत दिखाए जाते हैं।

12. वित्तीय प्रबंधन: संस्थान के वित्त का नियंत्रण और प्रबंधन, जहाँ भी लागू हो, संस्थान के वित्तीय उपनियमों और सामान्य वित्तीय

नियमों के प्रावधानों और स्वायत्त संगठनों पर लागू होने वाले भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

13. निवेश को लागत पर प्रदर्शित किया जाता है और निवेश पर अर्जित ब्याज को चालू परिसंपत्तियों के तहत दिखाया जाता है। खरीद की तारीख से 31.03.2024 तक शून्य कूपन बांड पर अर्जित ब्याज को लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर एकमुश्त उपाय के रूप में वर्ष के दौरान प्राप्य के रूप में मान्यता दी गई है।
 14. आयकर: आयकर निदेशक (छूट), हैदराबाद के दिनांक 20.09.2007 के आदेश संख्या No.DIT(E)/12A/HYD/21(04)/07-08 के तहत दिनांक 01.04.2007 से प्रभावी धारा 12ए के अंतर्गत संस्थान को आयकर से छूट दी गई है। इसके अलावा एनआईआरडी को आयकर निदेशक (छूट), हैदराबाद के आदेश संख्या DIT(E)/HYD/80G/17(06)/09-10 दिनांक 17.07.2009 के अनुसार दिनांक 01.04.2009 से 31.3.2011 तक एनआईआरडी को दिए गए दान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के तहत मंजूरी दी गई है। धारा 80जी(5)(vi) के तहत छूट को आदेश संख्या DIT (E)/HYD/80G/-20(05)-- 11-12 दिनांक 26.08.2011 के तहत अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग के दस्तावेज़ पहचान संख्या AAAAN4871BE2021101 दिनांक 06-04-2022 के तहत, निर्धारण वर्ष 2022-23 से निर्धारण वर्ष 2026-2027 की अवधि के लिए धारा 12ए के तहत छूट प्रदान की गई है और दस्तावेज़ पहचान संख्या AAAAN4871BF2021101 के तहत निर्धारण वर्ष 2022-23 से निर्धारण वर्ष 2026-2027 की अवधि के लिए धारा 80जी के तहत छूट प्रदान की गई है।
- बिल्लिंग फंड, सीईडीएफआई, एसआरएससी-एनआईआरडीपीआर, एफसीआरए और पीएमआरडी देनदारियों के लेखे को भी "चिह्नित निधि" के तहत दर्ज किया गया है। इनमें से प्रत्येक निधि का तुलन पत्र में देयताओं के तहत अनुसूची 3 "चिह्नित निधि" के तहत प्रदर्शित किया गया है। परिणामस्वरूप संबंधित निधियों की प्राप्तियां और भुगतान केवल संबंधित निधियों के माध्यम से ही किए जाते हैं और एनआईआरडीपीआर के आय और व्यय खाते के माध्यम से नहीं किए जाएंगे।
15. मूल्यहास रिजर्व को अर्जित ब्याज सहित अनुसूची 2 रिजर्व और अधिशेष के तहत दर्ज किया गया है।
 16. कॉर्पस फंड को देयताओं के तहत अनुसूची 1 के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।
 17. अनुसूचियों को वार्षिक लेखा 2023-24 में केंद्रीय स्वायत्त निकायों (स्वायत्त निकायों के लिए एक समान प्रारूप) के लिए वित्तीय विवरणों के प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत की गई हैं।

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएँ और लेखों पर टिप्पणी

18. लेखा टिप्पणियाँ
 - i. सामान्य लेखा - आय और व्यय लेखा और तुलन पत्र में आंकड़ों को एनआईआरडीपीआर के लिए समग्र रूप से प्रदर्शित किए गए हैं (एनआईआरसी गुवाहाटी और दिल्ली केंद्र सहित)। संस्थान प्रायोजक एजेंसियों के साथ एनआईआरडीपीआर द्वारा सहमत नियमों और शर्तों पर परामर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध अध्ययन, परियोजनाएँ आदि लेता है। संस्थान प्रायोजक एजेंसी से शुल्क लेता है, ऐसे कार्यक्रमों / परियोजनाओं की लागत के लिए शुल्क लेता है और ऐसे परामर्श कार्यों पर होने वाली व्यय पर उसी से खर्च किया जाएगा।
 - ii. जीएफआर 2017 नियम संख्या 230 (12)(ii) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि "अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं या संगठनों को अपने या सरकारी खाते पर देयता उठाने के बजाय कर्मचारियों के लिए बाजार में उपलब्ध पेंशन या ग्रेच्युटी योजनाओं या समूह बीमा योजनाओं या गृह निर्माण ऋण या वाहन ऋण योजनाओं आदि का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए"। चूंकि संस्थान को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित

किया जाता है (जिसमें वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी शामिल हैं), इसलिए मंत्रालय से सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता के वित्तपोषण हेतु अलग से अनुदान जारी करने का अनुरोध किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सेवानिवृत्ति लाभों यानी ग्रेच्युटी, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के लिए आवश्यक प्रावधान का बीमांकिक मूल्यांकन एक प्रमाणित बीमांकिक (भारतीय जीवन बीमा निगम) के माध्यम से किया गया। 31 मार्च 2023 तक अनुमानित देयता 417.26 करोड़ रुपये थी। 31-03-2023 की तुलना में 31-03-2022 तक बीमांकिक मूल्यांकन में अंतर वृद्धि 119.48 करोड़ रुपये है और इसे वर्ष के दौरान प्रावधानों में जोड़ा गया है और पूर्व अवधि खर्चों के तहत दिखाया गया है।

iii. सरलता/उपचार में आसानी के लिए निम्नलिखित खाता शेष को एक साथ रखा गया है:

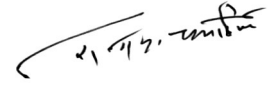
विवरण	राशि (रु.)
देयताएं और प्रावधान	
(वार्षिक लेखा 2020-21-7.(L6)	
कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रदर्शनी, फरह, मथुरा	3,845
सरस आजीविका 2019	3,568,306
सरस आजीविका 2019 इंडिया गेट	6,740,255
सरस-आईआईटीएफ 2019 (14802288-7628406) -सूरजकुंड मेला	1,48,02,288
ग्रामीण विकास मंत्रालय को देय कुल राशि (ए)	2,51,14,694
वर्तमान परिसंपत्तियाँ और अग्रिम	
- ऋण और अग्रिम – कर्मचारी	
दिल्ली - एमओआरडी से प्राप्य (वार्षिक लेखा 2020-21)	1,31,42,616
सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए एमओआरडी से प्राप्य जनकपुरी भवन पर लाइसेंस शुल्क - नई दिल्ली।	83,83,375
इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थान के उपयोग के लिए मई 2022 से मार्च 2024 तक 33,91,536/- रुपये प्रति माह की दर से लाइसेंस शुल्क	7,80,05,328
एमओआरडी से कुल प्राप्य (बी)	9,95,31,319
एमओआरडी से एनआईआरडीपीआर द्वारा प्राप्य शुद्ध (ए - बी = सी) - एससीएच-ए11	7,44,16,625

iv. मई 2022 से मार्च, 2024 तक इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थान के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में एमओआरडी से 33,91,536/- रुपये प्रति माह की दर से 7,80,05,328/- रुपये की राशि प्राप्त होने वाली है। उपरोक्त में से 4,06,98,432/- रुपये चालू वर्ष की आय (वित्त वर्ष-23-24) के तहत दिखाए गए हैं और 3,73,06,896/- रुपये आय और व्यय लेखे में पूर्व अवधि की आय (मई-22 से मार्च-2023) के रूप में दिखाए गए हैं और इसी राशि को अनुसूची-11-चालू संपत्ति (पत्र संख्या: एनआईआरडीपीआर/दिल्ली/3-18-89-प्रशासन(11209) दिनांक 18 नवंबर, 2022 के आधार पर) में ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।

v. एनआईआरडीपीआर नीति के अनुसार: सभी समाप्त हो चुकी सुरक्षा जमा राशियाँ और दावा न की गई ईएमडी को विविध प्राप्ति में परिवर्तित कर प्राप्ति पक्ष में जमा कर दिया जाएगा। (जमाकर्ताओं/ठेकेदारों से भविष्य में कोई भी दावा संबंधित लेखा अधिकारी से पूरी तरह से सत्यापन के बाद निदेशक, वित्त-सह-वित्तीय सलाहकार द्वारा अधिकृत किया जाएगा) वर्ष 2023-24 के दौरान, 3 वर्षों से अधिक समय से दावा न की गई ईएमडी राशि 1,01,880/- रुपये और 3 वर्षों से अधिक

समय से दावा न की गई एसडी राशि 15,33,270/- रुपये को उपरोक्त नीति के अनुसार एनआईआरडीपीआर की विविध प्राप्ति में अंतरित कर दिया गया है। पिछले वर्षों के दौरान विविध प्राप्ति में अंतरित की गई 1,71,100/- रुपये की अदावाकृत ईएमडी जमा राशि और 6,09,834/- रुपये की अदावाकृत एसडी राशि का भुगतान पार्टियों के दावे पर चालू वर्ष 2023-24 के दौरान विविध प्राप्ति से किया जाता है।

- vi. जहां भी संभव हो, सीएंडएजी की लेखापरीक्षा के अवलोकन के आधार पर अनुसूचियों/ लेखों को पुनः समूहीकृत/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है। आंकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किए गए हैं।
- vii. परियोजनाओं/कार्यक्रमों के शेष से संबंधित तीसरे पक्ष और परिसंपत्तियों से प्राप्तियां पुष्टि के अधीन हैं।
- viii. परियोजनाओं और योजना पूंजी के शेष पर वर्ष 2023-24 के लिए बचत बैंक दर ब्याज परियोजना खातों में जमा किया गया।
- ix. अनुसूची 8 में वर्ष के दौरान कटौती के रूप में दिखाई गई 98,73,187/- की राशि: क्रम संख्या 16 एनईआरसी परिसंपत्तियों के तहत अचल संपत्तियां वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए 92,13,792/- की राशि के राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण के सुधार की ओर है और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनईआरसी परिसंपत्तियों में गलत तरीके से बुक की गई मुख्यालय की परिसंपत्तियों से संबंधित 6,59,395/- की राशि को सुधारा गया है और मुख्यालय के फर्नीचर और फिक्सचर के तहत दिखाया गया है।



(ए.एस.चक्रवर्ती)
वित्तीय सलाहकार प्रभारी

No.DGA(C)/CEA/NIRD&PR/SAR 2023-24 / 2024-25

Date: 12.12.2024

सेवा में
सचिव,
भारत सरकार,
शिक्षा मंत्रालय,

महोदय,

विषय: Separate Audit Report on the Accounts of the National Institute of Rural Development and Panchayat Raj (NIRD & PR), Hyderabad, for the year 2023-24.

Separate Audit Report on the Accounts of the National Institute of Rural Development and Panchayat Raj (NIRD & PR), Hyderabad for the year 2023-24, Annexure thereof and one copy of the Annual Accounts for the year 2023-24, are forwarded herewith for placing before both the Houses of Parliament.

The dates of presentation of Separate Audit Report in both the Houses of Parliament may please be intimated.

Receipt of this letter along with the enclosures may kindly be acknowledged.

भवदीय,

संल:यथोपरि

Sd/-

Principal Director of Audit

No.DGA(C)/CEA/NIRD&PR/SAR 2023-24 / 2024-25

Date: 12 .12.2024

Copy to Shri G. Narendra Kumar, Director General, National Institute of Rural Development & Panchayati Raj, Hyderabad along with one copy of Annual Accounts for the year 2023-24 (English version), with a request to furnish Hindi version of the approved Annual Accounts 2023-24 (2 sets), to this Office.



DIRECTOR/CENTRAL EXPENDITURE AUDIT
O/o DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL)

भारत के महालेखाकार एवं लेखा परीक्षक की राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के खातों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होने के लिए।

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के संलग्न बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाता और प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता का लेखा परीक्षा किया है, जो महालेखाकार एवं लेखा परीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत किया गया। लेखा परीक्षा का कार्य 2024-25 वर्ष तक के लिए सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी केवल हमारी लेखा परीक्षा निष्कर्षों के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक अभिप्राय व्यक्त करना है।

2. इस स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के महालेखाकार एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ केवल लेखांकन व्यवहार के बारे में हैं, जैसे वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण मानदंड आदि। वित्तीय लेन-देन पर नियमों, कानून एवं विनियमों (उचितता और नियमितता) का पालन तथा दक्षता और प्रदर्शन संबंधित पहलुओं पर किए गए लेखा परीक्षा निष्कर्ष, यदि कोई हों, तो उन्हें अलग से निरीक्षण रिपोर्टों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
3. हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि लेखा परीक्षा की योजना बनाई जाए और उसे इस प्रकार संपन्न किया जाए कि वित्तीय विवरण किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि या मिथ्या विवरण से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में शामिल राशियों और प्रकटीकरण का परीक्षण आधारित प्रमाणों के माध्यम से मूल्यांकन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिप्राय के लिए एक पर्याप्त आधार प्रदान करती है।
4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:

हमने सभी आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

- i. इस रिपोर्ट द्वारा संबोधित बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाता वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।
- ii. हमारे विचार में, संस्थान ने संस्थान के वित्तीय उपनियम 31 के तहत आवश्यक सही लेखा पुस्तकें और अन्य संबंधित अभिलेख बनाए रखे हैं, जैसी कि हमारे द्वारा इन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क. संयुक्त बैलेंस शीट

क.1 संपत्ति

क.1.1 अचल संपत्तियां - ₹76.79 करोड़

क.1.1.1 संदर्भ संख्या: ओबीएस -1608149 - स्थायी अनियमितता

संस्थान ने स्थिर संपत्ति का मूल्य ₹76,79,02,222 दर्शाना जारी रखा, जिसमें संचयी मूल्यहास ₹44,81,04,021 को कृत्रिम/काल्पनिक संपत्ति मानते हुए शामिल किया गया, जबकि संपत्तियों के शुद्ध मूल्य को ₹31,97,98,201 दर्शाना चाहिए था। इससे स्थिर संपत्ति के साथ-साथ आरक्षित निधि और अधिशेष का ₹44.81 करोड़ अधिक मूल्यांकन हुआ। पिछले वर्षों में इस मुद्दे की ओर इंगित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

क.2 चालू संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम - ₹ 590.51 करोड़

क 2.1 संदर्भ संख्या: ओबीएस -1623825

₹21,78,939 की राशि एनईआरसी हॉस्टल नवीनीकरण के लिए सी पी डब्ल्यू डी जी एच वाई को अग्रिम दी गई थी और कार्य दिसंबर 2020 में पूरा हो गया। हालांकि, इसे अभी भी उप-सूची A9-निवेश के तहत दर्शाया गया है (अनुसूची-11: चल संपत्ति, ऋण और अग्रिम भुगतान के अंतर्गत)। इससे चल संपत्ति, ऋण और अग्रिम भुगतान का ₹21,78,939 अधिक मूल्यांकन हुआ। पिछले वर्षों में इस मुद्दे की ओर इंगित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

ख. आय और व्यय खाता

ख.1 आय

ख.1.1 संदर्भ संख्या: ओबीएस -1601591

₹33,43,082 की राशि को आय और व्यय खाता में "माइनस विविध प्राप्तियां" के रूप में दिखाया गया। इससे आय और व्यय खाता में आय कम दिखी और अधिशेष भी ₹33,43,082 कम मूल्यांकित हुआ। पिछले वर्षों में इस मुद्दे की ओर इंगित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

ग. सामान्य

ग.1 संदर्भ संख्या: ओबीएस -1615722 – स्थायी अनियमितता

₹4,87,33,75,961 की राशि को केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले दावों के रूप में दर्शाया गया, जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है, बिना किसी आश्वासन या आदेश के कि यह राशि वास्तव में उनके द्वारा भुगतान योग्य है। चूंकि केंद्र सरकार वार्षिक आधार पर अनुदान प्रदान करती है, जिसमें पेंशन लाभ भी शामिल हैं, इसलिए बिना विशेष अनुमोदन के इस राशि को प्राप्त होने योग्य के रूप में दिखाना सही नहीं है। इस मुद्दे की पहले की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी ओर इशारा किया गया था।

संपत्ति निधि: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त होने योग्य: ₹ 44,12,66,569

कर्मचारी लाभ: एक्चुअरियल: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य: ₹ 3,83,65,26,346

मूल्यहास आरक्षित निधि: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य : ₹52,11,66,42

ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त होने योग्य ₹ 7,44,16,625

ग.2 संदर्भ संख्या: ओबीएस -1639366

एनआईआरडी और जीएचएमसी के बीच एनआईआरडी, हैदराबाद के प्रेमा वाथीपेट स्थित संपत्ति हाउस नं. 5-6-154 (PTI No. 1060535447) के सेवा शुल्क के भुगतान को लेकर विवाद चल रहा है। जीएचएमसी ने 2023-24 और 2022-23 की अवधि से संबंधित सेवा शुल्क के 75% के अनुसार ₹57,87,530 की मांग की, जबकि एनआईआरडी, हैदराबाद ने केवल 2023-24 के वर्ष के लिए 33.33% के अनुसार ₹15,44,651 का भुगतान किया। इसे संस्थान के वार्षिक खातों में उपयुक्त रूप से प्रकट करना आवश्यक है।

ग.3 संदर्भ संख्या: ओबीएस -1642963

- 16 सदस्यों को दी गई ₹37.06 लाख की अग्रिम राशि, जो 31-03-2024 तक वसूली के लिए लंबित थी, को चल संपत्ति के साथ-साथ फंड से प्राप्त होने वाली राशि में दिखाना आवश्यक है।
- सीपीएफ के एक सदस्य से ₹1.60 लाख की राशि लंबित है, जो 31-03-2024 तक दी गई अग्रिम राशि से वसूली के लिए बकाया है। यह राशि न तो फंड खाते में और न ही चल संपत्ति में दर्शाई गई है।

ग.4 संदर्भ संख्या: ओबीएस -1643267

- i. पिछले 2-3 वर्षों में जिन प्रायोजित परियोजनाओं में लेन-देन नहीं हुआ, उनकी राशि ₹18,10,48,187 को परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान के तहत “अप्रचलित आरक्षित निधि” के रूप में समूहबद्ध और प्रदर्शित किया गया। यह देयता पिछले 2-3 वर्षों से बिना किसी निपटान/समाप्ति के आगे बढ़ाई गई है। इसे साफ़ करने के लिए कार्रवाई आवश्यक है।
- ii. पिछली वित्तीय वर्ष 2022-23 में उप-सूची L8 में ₹1,73,03,445 राशि को देयता (₹1,62,66,589) / संपत्ति (₹10,36,856) के रूप में रखा गया था, जो चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में हस्तांतरित नहीं की गई। पिछले वर्षों में इस मुद्दे की ओर इंगित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

क्र. सं.	विवरण	संपत्ति (₹)	देयताएं (₹)
1	15.01.02.06.02 – सामान्य और नियोजित खाते के बीच ट्रांसफर	10,00,000	--
2	15.01.02.06.21 – भवन निधि में स्थानांतरण	--	400
3	15.01.02.06.29 – डीडीयूजीकेवाई 531 खाते से SB313 खाते के बीच स्थानांतरण	--	1,62,66,189
4	S2270 – विभिन्न बैंक खातों की ओर सामान्य खाते से स्थानांतरण	3,000	--
5	सामान्य और संपत्ति निधि खाते के बीच स्थानांतरण	33,856	--
कुल		10,36,856	1,62,66,589

- iii. खाता-पुस्तक के अनुसार S 2527 – संसद आदर्श ग्राम योजना का समापन शेष ₹10,58,23,205 दिखाया गया, जबकि अनुसूची-7 की उप-सूची L-3 में इसे (-)₹12,40,835 दिखाया गया। इसे मिलान कर सुधार करना आवश्यक है।

ग.5 संदर्भ संख्या: ओबीएस -1621131

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दवाओं पर ₹30,73,492 का व्यय चिकित्सा संपत्ति निधि के आय और व्यय खाता में नहीं दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप, आय और व्यय खाता की अनुसूची-8-03 में आय कम दिखाई गई और संपत्ति/पूंजी निधि में अधिशेष ₹30,73,492 अधिक मूल्यांकित हुआ।

ग.6 संदर्भ संख्या: ओबीएस -1608149 – स्थायी अनियमितता

31.03.2024 को मूल्यहास आरक्षित निधि के समापन शेष ₹105,93,22,602 के मुकाबले, ₹53,81,56,181 की राशि, जो वर्षों में संस्थान के अनुदानों पर लागू गैर-नकदी व्यय को दर्शाती है, को मूल्यहास आरक्षित निधि के रूप में खाता-बद्ध किया गया और इसमें निवेश सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में किया गया।

घ. अनुदान सहायता: एनआईआरडीपीआर ने वर्ष 2023-24 में ₹84.67 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया (वेतन अनुदान – ₹62.50 करोड़ और सामान्य अनुदान – ₹22.17 करोड़) और इसमें से ₹79.65 करोड़ का उपयोग किया। शेष अनुदान राशि केंद्र सरकार को वापस कर दी गई।

ड. प्रबंधन पत्र

जो कमियाँ पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं और जो स्थायी अनियमितताएँ प्रबंधन के ध्यान योग्य हैं, उन्हें सुधारात्मक/संशोधनात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, हैदराबाद के महानिदेशक के संज्ञान में लाया गया है।

- iii. पिछले पैराग्राफ में दी गई हमारी टिप्पणियों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा संबोधित बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाता लेखा पुस्तकों के साथ संगत हैं।

- iv. हमारे विचार में, और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दी गई व्याख्याओं के आधार पर, उक्त वित्तीय विवरण, जब लेखांकन नीतियों और खातों पर नोट्स के साथ पढ़े जाते हैं, और उपरोक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मुद्दों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट में उल्लेखित अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और न्यायसंगत दृष्टि प्रस्तुत करते हैं।

- क. जहां तक यह बैलेंस शीट से संबंधित है, यह 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, हैदराबाद के वित्तीय स्थिति को दर्शाता है; और
- ख. जहां तक यह आय एवं व्यय खाता से संबंधित है, यह उस तिथि पर समाप्त वर्ष के अधिशेष (Surplus) को दर्शाता है।

Nawal

प्रधान निदेशक (लेखा परीक्षा) (केंद्रीय),
हैदराबाद

एसएआर का अनुबंध

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:** एनआईआरडी एवं पीआर में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग) जुलाई 2021 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2023-24 के खातों की आंतरिक लेखा परीक्षा ts) M/s GSRM & Co LLP, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नंदनवनम कॉम्प्लेक्स, वेंगलाराव नगर, हैदराबाद को सौंपा गया था। वर्ष 2023-24 की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।
2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:**
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण निम्नलिखित समस्याएँ हैं:
 - i. खातों में बहुत बड़ी सस्पेंस बैलेंस दिखाई गई।
 - ii. बहुत बड़ी असंवर्गीकृत प्राप्तियां दिखाई गई।
 - iii. अधिकांश परामर्श परियोजनाओं में ऋणात्मक और धनात्मक बैलेंस थे, जो परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी को दर्शाते हैं।
 - iv. वर्ष 2023-24 के उपयोग प्रमाण पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
3. **स्थिर संपत्तियों का भौतिक सत्यापन:**
मार्च 2024 के अंत तक वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।
4. **भंडार (इन्वेंटरी) का भौतिक सत्यापन:** वर्ष 2023-24 के लिए भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया।
5. **वैधानिक देयों के भुगतान की नियमितता:** वैधानिक देयों का भुगतान नियमित रूप से किया गया।



निदेशक / केंद्रीय व्यय लेखा परीक्षा
लेखा महानिदेशक (केंद्रीय) का कार्यालय

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के खातों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रति उत्तर।

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/उत्तर
1.	हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद की संलग्न बैलेंस शीट, तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाता का लेखा परीक्षण किया है। यह लेखा परीक्षण वर्ष 2024-25 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।	कोई टिप्पणी नहीं
2.	यह पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन केवल लेखांकन उपचार के संबंध में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदंडों आदि पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ सम्मिलित करता है। विधि, नियम एवं विनियमों (उचितता एवं नियमितता) के अनुपालन तथा कार्यकुशलता-सह-प्रदर्शन संबंधी पहलुओं आदि पर वित्तीय लेनदेन से संबंधित लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, तो उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदनों (आईआरएस) / सीएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं
3.	हमने लेखा परीक्षण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम लेखा परीक्षण की योजना बनाएं और उसे इस प्रकार संपादित करें कि वित्तीय विवरणों में किसी महत्वपूर्ण त्रुटि के न होने के संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके। लेखा परीक्षण में परीक्षण के आधार पर साक्ष्यों की जाँच करना तथा वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों एवं प्रकटीकरणों का समर्थन करना शामिल होता है। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का आकलन, प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का परीक्षण भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारी राय व्यक्त करने के लिए यथोचित आधार प्रदान करता है।	कोई टिप्पणी नहीं
4.	हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर, हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि: हमने अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(i)	इस प्रतिवेदन में सम्मिलित बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(ii)	हमारी राय में, संस्थान द्वारा वित्त उपविधि 31 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार लेखा-पुस्तकें तथा अन्य संबंधित अभिलेख विधिवत संधारित किए गए हैं, जहाँ तक कि हमारे द्वारा इन पुस्तकों के परीक्षण से प्रतीत होता है।	कोई टिप्पणी नहीं

जारी...

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/उत्तर
	हम आगे यह प्रतिवेदन करते हैं कि:	
क.	क. समेकित बैलेंस शीट क.1 परिसंपत्तियाँ क.1.1 अचल संपत्ति - ₹76.79 करोड़ क.1.1.1 संदर्भ संख्या: ओबीएस -1608149 संस्थान ने स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्य 76,79,02,222 ₹ ही दर्शाना जारी रखा, जिसमें 44,81,04,021 ₹ की संचित मूल्यहास राशि को काल्पनिक/कृत्रिम परिसंपत्ति (मूल्यहास आरक्षित) के रूप में माना गया है, जबकि परिसंपत्तियों का शुद्ध पुस्तकीय मूल्य 31,97,98,201 ₹ दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों तथा भंडार एवं अधिशेष में 44.81 ₹ करोड़ की अधिक दर्शावट) ओवरस्टेटमेंट) हुई है। इस विषय को पूर्व वर्षों में इंगित किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।	एनआईआरडीपीआर के वार्षिक लेखों के अनुसूची-8 में मूल्यहास आरक्षित को स्थिर परिसंपत्तियों के कुल योग से अलग एक मद के रूप में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। तथापि, एकरूप प्रारूप के अनुसार खातों के स्पष्ट प्रदर्शन हेतु इसे स्थिर परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रदर्शित राशि मूल्यहास आरक्षित है, न कि वास्तविक मूल्यहास। अतः यह कोई काल्पनिक परिसंपत्ति नहीं है और इसे केवल लेखांकन प्रयोजनों के लिए स्थिर परिसंपत्तियों में जोड़ा गया है। एनआईआरडीपीआर के एमओयू के नियम) 4 एच) में निम्नलिखित प्रावधान है: सोसाइटी की किसी भी संपत्ति या अधिकारों के मूल्यहास, मरम्मत, सुधार, विस्तार या रखरखाव के लिए तथा क्षयशील परिसंपत्तियों की भरपाई के लिए, या किसी अन्य ऐसे उद्देश्य के लिए जिसे सोसाइटी उपयुक्त या आवश्यक समझे, आरक्षित निधि, सिंकिंग फंड, बीमा निधि, प्रौद्योगिकी निधियां कोई अन्य विशेष निधि का सृजन एवं संधारण करना, ताकि सोसाइटी/संस्थान की विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा सके। तदनुसार, एनआईआरडीपीआर द्वारा एकरूप लेखा प्रारूप के अनुसार आय एवं व्यय खाते में मूल्यहास का लेखांकन किया जाता रहा है और इसे एक दशक से अधिक समय तक मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों में भी शामिल किया गया। वर्ष 20-2019 में 35.15 ₹ करोड़ की संचित मूल्यहास राशि को अवसंरचना पुनरुद्धार हेतु बैंक अंतरण के माध्यम से भवन निधि में स्थानांतरित किया गया, जो निर्दिष्ट निधियों की श्रेणी में आता है। तथापि, इस राशि के स्रोत से संबंधित समतुल्य लेखा प्रविष्टियों का वित्तीय विवरणों या लेजर में पता नहीं चल सका। इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि भवन निधि में नई परियोजनाओं हेतु पूंजी निधि के साथ-साथ अवमूल्यित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार हेतु मूल्यहास राशि भी सम्मिलित हो गई। स्वीकृत मूल्यहास पद्धति के अनुपालन हेतु, परिसंपत्तियों के नवीनीकरण के लिए निर्धारित इन निधियों को वित्त वर्ष 2020-21 में भवन निधि से पृथक किया गया तथा अनुसूची-3 (निर्दिष्ट निधियाँ) के अंतर्गत 'सस्पेंस' बनाकर प्रदर्शित किया गया। साथ ही, खातों की टिप्पणियों (पैरा-t) में यह उल्लेख किया गया कि इस सस्पेंस को वित्त वर्ष 2021-22 में समायोजित किया जाएगा।

जारी...

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/उत्तर
		तत्पश्चात, वित्त वर्ष 2021-22 में इस विषय की समीक्षा के उपरांत, सस्पेंस में दर्शाई गई राशि को 'भंडार एवं अधिशेष' शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये मूल्यहासग्रस्त परिसंपत्तियों के नवीनीकरण हेतु आरक्षित निधियां हैं। इससे मूल्यहास आरक्षित का समेकन हुआ। यह कदम लेखा पुस्तकों में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक रहा, क्योंकि इससे इन पृथक खातों की राशि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सका। यह प्रथा लेखा मानक-6 एवं सामान्य वित्तीय नियम के अनुरूप है तथा इससे लेखों और पूर्व प्रचलित पद्धति के बीच संगतता स्थापित हुई है। इसी प्रकार की प्रथा केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों जैसे लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि में भी मूल्यहास (सिंकिंग) निधि के रूप में अपनाई जा रही है। गैर-लाभकारी संगठनों के खातों के संकलन हेतु निर्देशों एवं लेखा सिद्धांतों के पैरा 7 में यह उल्लेख किया गया है कि मूल्यहास के रूप में रखी गई कोई भी राशि, यदि आवश्यक मानी गई उचित राशि से अधिक है, तो उसे प्रावधान के रूप में नहीं बल्कि आरक्षित के रूप में माना जाएगा। संचित मूल्यहास आरक्षित राशि को पृथक रूप से वर्गीकृत करते समय, लेखा अधिकारियों द्वारा की गई समीक्षा से यह संकेत मिला कि मूल्यहासग्रस्त परिसंपत्तियों के पूर्ण पुनर्भरण हेतु अतिरिक्त राशि का प्रावधान करना आवश्यक है, जैसा कि एनआईआरडीपीआर में एक दशक से अधिक समय से प्रचलित है। मूल्यहास आरक्षित का उद्देश्य मूल्यहासग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्भरण हेतु आरक्षित निधि बनाना है और इस उद्देश्य के लिए 2010-11 से राशि संचित की जा रही थी। तथापि, एनआईआरडीपीआर की अधिकांश परिसंपत्तियाँ इस अवधि से काफी पहले निर्मित की गई थीं। अतः, वर्षों से स्वीकृत प्रचलित पद्धति के अनुरूप, 1982 से निर्मित परिसंपत्तियों के पूर्ण पुनर्भरण हेतु देय राशि का आकलन किया गया, अन्यथा मूल्यहास आरक्षित अपने उद्देश्य, अर्थात् मूल्यहासग्रस्त परिसंपत्तियों के पूर्ण पुनर्भरण, को पूरा नहीं कर पाएगा। इस विषय को मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है। मंत्रालय द्वारा एस एवं एफए की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने मंत्रालय को सूचित किया कि मूल्यहास निधि के संबंध में निर्णय संस्थान के पृथक्करण के समय लिया जाएगा, क्योंकि एनआईआरडीपीआर के पृथक्करण पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/उत्तर
		समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इस निधि में योगदान वित्त वर्ष 2022-23 से बंद कर दिया जाए; तदनुसार एनआईआरडीपीआर ने वित्त वर्ष 2022-23 से इन निर्देशों का पालन किया। परिणामस्वरूप, एक दशक में संचित मूल्यहास आरक्षित में इसके बाद कोई नया योगदान नहीं किया गया। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पन्न लंबित लेखांकन समस्याओं के समाधान हेतु एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म नियुक्त की गई है। ₹35.15 करोड़ की राशि को भवन निधि में स्थानांतरित किए जाने के लेखा-प्रमाण का पता न चल पाने का मामला भी इस सीए फर्म को सौंपा गया है। तदनुसार, पूर्व प्रविष्टियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं और वर्ष 2024-25 के दौरान इसे सुधारने हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
क.2	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम 590.51 ₹ – करोड़ A.2.1 संदर्भ संख्या: ओबीएस-1623825 ₹21,78,939 की राशि एनईआरसी हॉस्टल के नवीनीकरण हेतु सीपीडब्ल्यूडी, गुवाहाटी को अग्रिम के रूप में दी गई थी और कार्य दिसंबर 2020 में पूर्ण हो गया था। तथापि, उक्त राशि अभी भी उप-अनुसूची A9-डिपॉजिट्स) अनुसूची-11 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम) के अंतर्गत दर्शाई जा रही है। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम 21,78,939 ₹ तक अधिक दर्शाए गए हैं। इस विषय को पूर्व वर्षों में इंगित किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।	सीपीडब्ल्यूडी, गुवाहाटी द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन तक फॉर्म-65 प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः 31.03.2024 तक यह अग्रिम समायोजित नहीं किया जा सका। तथापि, सीपीडब्ल्यूडी, गुवाहाटी द्वारा प्रस्तुत फॉर्म-65 के आधार पर आवश्यक लेखा प्रविष्टियाँ कर दी गई हैं और यह अग्रिम वित्त वर्ष 25-2024 के लेखों में समायोजित कर दिया गया है।

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/उत्तर
	ख. आय एवं व्यय खाता ख.1 आय ख.1.1 संदर्भ संख्या: ओबीएस -1601591 ₹33,43,082 की राशि को आय एवं व्यय खाते में "घटाकर विविध प्राप्तियाँ" के रूप में दर्शाया गया। इससे आय एवं व्यय खाते में आय कम दर्शाई गई तथा अधिशेष भी-/33,43,082₹ से कम दिखाया गया। पिछले वर्षों में इस त्रुटि की ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।	पिछले वर्ष के दौरान, लंबे समय से लंबित अविक्लेमड ईएमडी और एसडी की राशियों को विविध प्राप्तियों के अंतर्गत लिया गया तथा यह समझते हुए कि जब भी इन ईएमडी एवं एसडी का दावा किया जाएगा, तो उन्हें कॉर्पस से वापस किया जाएगा, इन्हें कॉर्पस में जोड़ा गया। वर्तमान वर्ष के दौरान, ₹21,86,279/- की प्राप्ति तथा ₹55,29,360/- का डेबिट दर्ज किया गया। ₹33,43,082/- की शुद्ध शेष राशि को चालू वर्ष की विविध आय/प्राप्तियों से समायोजित किया गया। सब-लेजर में नेगेटिव बैलेंस को शेड्यूल के तहत मिसलेनियस रिसीट्स से ठीक कर दिया गया है - जो डिपॉजिट होल्डर को चुकाई गई रकम को एडजस्ट करने के बाद ओवरऑल पॉजिटिव अमाउंट के तौर पर दिखाया गया है। "14.03 विविध प्राप्तियाँ" के तहत Rs.38,42,974/- की कुल रिसीट्स को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के शेड्यूल नंबर 18 में लिया गया है। ऑडिट द्वारा रिपोर्ट किया गया माइनस बैलेंस शेड्यूल नंबर 18 में "14.03 विविध प्राप्तियाँ" के ग्रुप लेजर के तहत एक सब-लेजर "14.03.00.00.02 - मिसलेनियस रिसीट्स" से संबंधित है और 31.03.2024 तक नेट पॉजिटिव बैलेंस Rs.38,42,974/-
	सामान्य	
ग.1	ग.1 संदर्भ संख्या: ओबीएस -1615722 ₹4,87,33,75,961 की राशि को भारत सरकार से प्राप्त होने योग्य दावों के रूप में नीचे विवरणानुसार दर्शाया गया है, जबकि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा देयता की कोई पुष्टि या आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि भारत सरकार वार्षिक आधार पर अनुदान प्रदान करती है, जिसमें पेंशन संबंधी लाभ भी शामिल हैं, अतः बिना भारत सरकार की विशिष्ट स्वीकृति के इन राशियों को प्राप्ति योग्य के रूप में दर्शाना उचित नहीं है। इसी विषय को पूर्ववर्ती एसएआर में भी इंगित किया गया था।	ये दावे संस्थान की नीति, भारत सरकार के निर्देशों तथा पूर्व ऑडिट टिप्पणियों के अनुसार किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभों के लिए एक्चुरियल फंड का प्रावधान करना है। इस विषय को मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है। मंत्रालय द्वारा एस एवं एफए की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने मंत्रालय को अवगत कराया कि इन राशियों के संबंध में निर्णय संस्थान के डिसएंगेजमेंट (विमुक्ति) के समय लिया जाएगा, क्योंकि एनआईआरडीपीआर के डिसएंगेजमेंट पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/उत्तर
	कॉर्पस: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त होने वाली राशि: ₹ 44,12,66,569	कॉर्पस: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त होने वाली राशि: ₹ 44,12,66,569 ग्रांट जारी करने में काफी देरी हुई है, लेकिन इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज़ को रोक नहीं जा सका क्योंकि इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कैलेंडर में हैं। इसलिए, भारत सरकार और दूसरे स्टैकहोल्डर्स के हितों को पूरा करने के लिए एनआईआरडीपीआर के इंटरनल जेनरेटेड रिसोर्सेज़ से एक्टिविटीज़ की गई। ग्रांट जारी करने में देरी बढ़ने की वजह से, तय एक्टिविटीज़ के लिए किए गए खर्च के मुकाबले जारी ग्रांट में कमी आई है। क्योंकि इंटरनल जेनरेटेड रिसोर्सेज़, जो कॉर्पस फंड में जमा होने वाले थे, उन्हें ऊपर बताई गई सर्विसेज़ देने के लिए डायवर्ट कर दिया गया है, इसलिए भारत सरकार को सर्विसेज़ देने के लिए कॉर्पस फंड से डायवर्ट किए गए फंड को वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया है।
	कर्मचारी लाभ: एक्चुरियल: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त होने वाले: ₹ 383,65,26,346	कर्मचारी लाभ: एक्चुरियल: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त होने वाले: ₹ 383,65,26,346/- सीएजी लगातार संस्थान पर यह टिप्पणी कर रहा है कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के व्यय को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का एक्चुरियल मूल्यांकन प्रदान किया जाए। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कपार्ट, जो एमओआरडी का एक स्वायत्त निकाय था, को इस संस्थान के साथ मिलाया गया। कपार्ट में एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान था, जिसे अंततः इस संस्थान को हस्तांतरित किया गया। जैसे ही कपार्ट के खाते एनआईआरडीपीआर के खातों में समाहित किए गए, एनआईआरडीपीआर के खातों में भी सेवानिवृत्ति लाभों के एक्चुरियल मूल्यांकन की व्यवस्था लागू करनी पड़ी, ताकि इस शीर्षक के अंतर्गत ₹12.62 करोड़ की नकद प्राप्ति को ध्यान में रखा जा सके। कपार्ट के सेवानिवृत्ति लाभों के एक्चुरियल मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर, जिसे एनआईआरडीपीआर के खातों में समाहित किया गया, एनआईआरडीपीआर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए एक्चुरियल मूल्यांकन राशि 31.03.2023 को एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा ₹417,26,15,832/- रुपये निर्धारित की गई। इसमें से प्राप्ति योग्य शेष राशि को सही रूप से मंत्रालय से प्राप्ति योग्य दिखाया गया, क्योंकि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ प्रणाली भारत सरकार की स्वीकृति से लागू की गई है। इस विषय को मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया। मंत्रालय द्वारा एस एवं एफए की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने मंत्रालय को अवगत कराया कि इन राशियों के संबंध में निर्णय संस्थान के डिसएंगेजमेंट (विमुक्ति) के समय लिया जाएगा, क्योंकि एनआईआरडीपीआर के डिसएंगेजमेंट पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इस शीर्षक के अंतर्गत कोई राशि जोड़ी नहीं गई है।

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/उत्तर
	मूल्यहास आरक्षित निधि: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य: ₹ 52,11,66,42	मूल्यहास आरक्षित निधि: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य: ₹ 52,11,66,42/- जब संचयी मूल्यहास आरक्षित को अलग से वर्गीकृत किया गया, तो लेखा कर्मचारियों की समीक्षा में यह संकेत मिला कि मूल्यहासित परिसंपत्तियों को पूरी तरह पुनः पूर्ति करने के लिए और भी शेष राशि प्रदान करने की आवश्यकता है, जैसा कि एनआईआरडीपीआर में पिछले एक दशक से प्रचलित अभ्यास रहा है। संस्थान की मूल्यहास आरक्षित नीति को प्रभावी बनाने और संस्थान की मूल्यहासित परिसंपत्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान करने के उद्देश्य से, पिछली अवधि का मूल्यहास आरक्षित दायित्व गणना की गई है। इस विषय को मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया। मंत्रालय द्वारा एस एवं एफए की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने मंत्रालय को अवगत कराया कि इन राशियों के संबंध में निर्णय संस्थान के डिसएंगेजमेंट (विमुक्ति) के समय लिया जाएगा, क्योंकि एनआईआरडीपीआर के डिसएंगेजमेंट पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इस शीर्षक के अंतर्गत कोई राशि जोड़ी नहीं गई है।
	ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त राशि: ₹ 7,44,16,625	ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त राशि: ₹ 7,44,16,625/- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनआईआरडीपीआर, जनकपुरी बिल्डिंग और एनआईआरडीपीआर इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में अपने ऑफिस खोले हैं। मंत्रालय ने जनकपुरी बिल्डिंग के लिए लीज़ लाइसेंस डीड पर साइन कर दिया है, जिसके लिए मंत्रालय रेगुलर लीज़ रेंट दे रहा है और सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक का लीज़ रेंट पेमेंट बकाया था, जिसके लिए Rs.83,83,375/- देने थे, जिसे मिलने वाला दिखाया गया है। लोधी रोड पर इंडिया हैबिटेट सेंटर की बिल्डिंग पर कब्ज़ा करने के मामले में, मंत्रालय ने असल में लीज़ रेंट देने पर सहमति दे दी है। एमओआरडी के अनुरोध पर एनआईआरडीपीआर और एमओआरडी के बीच लाइसेंस फीस एग्रीमेंट का ड्राफ्ट मंत्रालय को भेज दिया गया है और उम्मीद है कि मंत्रालय इसे मंजूरी दे देगा। मंत्रालय इसे मंजूरी देने के लिए कई तरह के स्पष्टीकरण मांग रहा है और एनआईआरडीपीआर समय-समय पर मंत्रालय को ये स्पष्टीकरण दे रहा है। क्योंकि, बिल्डिंग्स पर एमओआरडी का लगातार कब्ज़ा है, और एनआईआरडीपीआर को मिलने वाला किराया एकल बेसिस पर पहचाना जाना चाहिए और इस तरह मिलने वाला दिखाया जाना चाहिए। इस मामले पर नोट्स टू अकाउंट्स में यह भी बताया गया है कि यह रकम पॉइंट d पर मिलने वाली है। क्योंकि ऊपर बताई गई रकम इंस्टिट्यूट को देनी है, इसलिए उन्हें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के तौर पर अकाउंट्स में दिखाया गया है। किसी भी पार्टी से इंस्टिट्यूट के मिलने वाले पैसे का खुलासा न करना जानकारी को दबाने जैसा होता।

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/उत्तर
ग.2	संदर्भ संख्या: ओबीएस -1639366 एनआईआरडी और जीएचएमसी के बीच एनआईआरडी, हैदराबाद के प्रेमवतीपेट में स्थित पीटीआई नंबर 1060535447 के अंतर्गत हाउस नंबर 154-6-5 की संपत्ति के लिए सेवा शुल्क के भुगतान को लेकर विवाद चल रहा है। जीएचएमसी ने वर्ष-2023 24 और 23-2022 की अवधि से संबंधित सेवा शुल्क के 57,87,530₹ (%75@) की मांग की है (%75 और %33.33 के बीच का अंतर)। एनआईआरडी, हैदराबाद ने केवल वर्ष 24-2023 के लिए 15,44,651₹ (%33.33@) का भुगतान किया है। इस तथ्य को संस्थान के वार्षिक खातों में उपयुक्त रूप से दर्शाना आवश्यक है।	भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के अनुसार: (1) संघ की संपत्ति, जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, किसी राज्य या राज्य के भीतर किसी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी करों से मुक्त रहेगी। (2) अनुच्छेद (1) में कुछ भी ऐसा नहीं है जो संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान किए जाने तक, किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकरण को उस संघ की संपत्ति पर कोई कर लगाने से रोक सके, जिसके लिए वह संपत्ति संविधान के लागू होने से ठीक पहले कर योग्य या कर योग्य मानी जाती थी, बशर्ते कि वह कर उस राज्य में लगातार लगाया जाता रहे। इसके अतिरिक्त, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में, जिनमें सिविल अपील संख्या 9458-63/2003, सिविल अपील संख्या 9457/2003, सिविल अपील संख्या 9464/2003, सिविल अपील संख्या 9465/2003, सिविल अपील संख्या 6706/2004 शामिल हैं, यह निर्णय दिया कि उन संपत्तियों के लिए जो नगर निगम द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा का लाभ नहीं उठा रही थीं (क्योंकि सभी सेवाएं स्वयं संघ द्वारा प्रदान की जा रही थीं), निजी मालिकों पर लगाए गए संपत्ति कर का अधिकतम एक-तिहाई (33 1/3%) तक ही भुगतान किया जा सकता है। एनआईआरडीपीआर ने इस प्रावधान और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप संपत्ति कर संशोधित करने हेतु जीएचएमसी के साथ कई पत्राचार किए और व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी की, लेकिन संपत्ति कर में संशोधन नहीं किया गया। उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत, एनआईआरडीपीआर संपत्ति कर का 33 1/3% ही भुगतान कर रहा है। शेष अनुचित मांग विवादाधीन है, जिसके लिए संस्थान कानूनी उपाय करने का आवश्यक प्रयास कर रहा है। एनआईआरडी, हैदराबाद के प्रेमवतीपेट में स्थित पीटीआई नंबर 1060535447 के अंतर्गत हाउस नंबर 5-6-154 की संपत्ति के लिए जीएचएमसी को भुगतान किए जाने वाले सेवा शुल्क की विवादित राशि ₹57,87,530/- के संबंध में, वर्ष 2024-25 के दौरान कानूनी अनुभाग से परामर्श कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस तथ्य को संस्थान के वार्षिक खातों में उपयुक्त रूप से दर्शाया जाएगा।
ग.3	संदर्भ संख्या: ओबीएस -1642963 i. 31-03-2024 तक जीपीएफ के 16 सदस्यों को दिए गए 37.06₹ लाख अग्रिम की राशि वसूली लंबित थी, जिसे चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत तथा प्राप्त होने योग्य निधि राशि में दिखाया जाना आवश्यक है।	जीपीएफ/सीपीएफ अग्रिम ब्याज मुक्त है और कर्मचारी द्वारा निकाली गई राशि उनके अपने जमा शेष से होती है। चालू परिसंपत्तियों के पक्ष में इसे अग्रिम के रूप में और देयताओं में कर्मचारियों के जमा के रूप में दिखाने का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है, जब तक उनके खाते में वास्तविक जमा न हो। इसके अतिरिक्त, देयताओं के अंतर्गत प्रदर्शित जीपीएफ/सीपीएफ शेष राशि, जीपीएफ/सीपीएफ सदस्यों के प्रति शुद्ध देयता को दर्शाती है। हालांकि, ऑडिट का सुझाव नोट किया गया है और इसे वित्तीय वर्ष-2024 25 के दौरान उपयुक्त रूप से प्रकट किया जाएगा।

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/उत्तर																												
	ii. 31-03-2024 तक एक सीपीएफ सदस्य से 1.60 ₹ लाख की राशि वसूली लंबित है, जो दिए गए अग्रिम से संबंधित है। यह राशि न तो फंड खाते में और न ही चालू परिसंपत्तियों में परिलक्षित की गई है।	उपरोक्त बिंदु 3.17) पर दिया गया उत्तर।																												
ग.4	संदर्भ संख्या: ओबीएस - 1643267 i. ₹18,10,48,187 की प्रायोजित परियोजनाएँ जिनमें पिछले 3-2 वर्षों में कोई लेन-देन नहीं हुआ, उन्हें विशिष्ट परियोजना अनुदानों (एल-3) के तहत अक्रियित आरक्षित निधि के रूप में समूहीकृत और प्रदर्शित किया गया है। यह देयता पिछले 3-2 वर्षों से बिना किसी निपटान/समाधान के आगे बढ़ाई जा रही है। इस देयता को निपटाने के लिए कार्रवाई करना आवश्यक है।	जो आरक्षित निधि तीन वर्षों से अधिक समय तक अक्रियित रही है, उसके संबंध में संस्थान की नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-2024 के दौरान आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।																												
	ii. पिछली वित्तीय वर्ष 23-2022 में उप-सूची L8 (स्थानांतरित खाता) में देयता के रूप में 1,62,66,589 ₹ और परिसंपत्ति के रूप में 10,36,856 ₹ कुल 1,73,03,445 ₹ रखा गया था, जिसे चालू वित्तीय वर्ष 24-2023 में स्थानांतरित नहीं किया गया। पिछले वर्षों में इस पर ध्यान दिलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>विवरण</th><th>संपत्ति (₹)</th><th>देयताएं (₹)</th></tr><tr><td>1</td><td>15.01.02.06.02 – सामान्य और कंसल के बीच स्थानांतरण</td><td>10,00,000</td><td>--</td></tr><tr><td>2</td><td>15.01.02.06.21 – भवन निधि में स्थानांतरण</td><td>--</td><td>400</td></tr><tr><td>3</td><td>15.01.02.06.29 – डीडीयूजीकेवाई 531 खाते से SB313 खाते के बीच स्थानांतरण</td><td>--</td><td>1,62,66,189</td></tr><tr><td>4</td><td>S2270 – विभिन्न बैंक खातों की ओर सामान्य खाता से स्थानांतरण</td><td>3,000</td><td>--</td></tr><tr><td>5</td><td>सामान्य खाता और कोर्पस खाता के बीच स्थानांतरण</td><td>33,856</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">कुल:</td><td>10,36,856</td><td>1,62,66,589</td></tr></table>	क्र. सं.	विवरण	संपत्ति (₹)	देयताएं (₹)	1	15.01.02.06.02 – सामान्य और कंसल के बीच स्थानांतरण	10,00,000	--	2	15.01.02.06.21 – भवन निधि में स्थानांतरण	--	400	3	15.01.02.06.29 – डीडीयूजीकेवाई 531 खाते से SB313 खाते के बीच स्थानांतरण	--	1,62,66,189	4	S2270 – विभिन्न बैंक खातों की ओर सामान्य खाता से स्थानांतरण	3,000	--	5	सामान्य खाता और कोर्पस खाता के बीच स्थानांतरण	33,856	--	कुल:		10,36,856	1,62,66,589	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आवश्यक कार्रवाई की गई है।
क्र. सं.	विवरण	संपत्ति (₹)	देयताएं (₹)																											
1	15.01.02.06.02 – सामान्य और कंसल के बीच स्थानांतरण	10,00,000	--																											
2	15.01.02.06.21 – भवन निधि में स्थानांतरण	--	400																											
3	15.01.02.06.29 – डीडीयूजीकेवाई 531 खाते से SB313 खाते के बीच स्थानांतरण	--	1,62,66,189																											
4	S2270 – विभिन्न बैंक खातों की ओर सामान्य खाता से स्थानांतरण	3,000	--																											
5	सामान्य खाता और कोर्पस खाता के बीच स्थानांतरण	33,856	--																											
कुल:		10,36,856	1,62,66,589																											

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/उत्तर
	iii. SAGY S 2527 – संसद आदर्श ग्राम योजना (Sansad Adarsh Gram Yojana) के लेजर के अनुसार समापन शेष 10,58,23,205 ₹ दिखाया गया, जबकि अनुसूची 7 की उप-सूची L-3 (परियोजना बैंक खाता) में इसे 12,40,835 ₹(-) दिखाया गया है। इसे मेल किया जाना और सुधार किया जाना आवश्यक है।	ऑडिट अवलोकन को नोट किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की गई है, जिसे वित्तीय वर्ष-2024-25 के वार्षिक खातों में परिलक्षित किया जाएगा।
ग.5	संदर्भ संख्या: ओबीएस -1621131 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दवाओं के उपयोग पर 30,73,492 ₹ का व्यय मेडिकल कोर्पस फंड के आय और व्यय खाते में परिलक्षित नहीं किया गया। इससे अनुसूची-03-8(Medical) की आय और व्यय खाते में कम आंका गया और कोर्पस/पूँजी निधि में हस्तांतरित अधिशेष का अधिक मूल्यांकन 30,73,492 ₹ तक हुआ।	ऑडिट अवलोकन की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि मेडिकल कोर्पस फंड - आय और व्यय खाता 24-2023 के लिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए -/37,85,567 रुपये का व्यय (जिसमें दवाओं का उपयोग -/4,54,538 रुपये शामिल है, जिसे मेडिकल कोर्पस से प्राप्ति योग्य के रूप में दर्ज किया गया था) सही ढंग से खाताबद्ध किया गया था। इसलिए, व्यय का कोई कम मूल्यांकन नहीं है, और नतीजतन मेडिकल कोर्पस/कैपिटल फंड में ले जाए गए अधिशेष का कोई अधिक मूल्यांकन नहीं है।
ग.6	संदर्भ संख्या: ओबीएस -1608149 31.03.2024 को समाप्त होने वाले मूल्यहास रिज़र्व के बंद शेष 105,93,22,602 ₹ के मुकाबले, संस्थान को वर्षों में मिले अनुदानों पर लगाए गए गैर-नकदी व्यय (मूल्यहास) के रूप में 53,81,56,181 ₹ को मूल्यहास रिज़र्व के रूप में खाताबद्ध किया गया और इसे जी-सेक्योरिटीज़ और राज्य विकास ऋणों में निवेश किया गया।	एनआईआरडीपीआर के एमओए के नियम 4 (एच) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है: आरक्षित कोष, सिंगिंग फंड, बीमा कोष, प्रौद्योगिकी कोष या कोई अन्य विशेष कोष बनाया जा सकता है, चाहे वह किसी भी संपत्ति या अधिकारों के मूल्यहास, मरम्मत, सुधार, विस्तार या रखरखाव के लिए हो, और/या किसी भी घटती संपत्ति की पुनःपूर्ति के लिए हो, और/या किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए जिसे सोसायटी उचित या अनुकूल समझे। ऐसे कोष/कोषों को बनाना या बनाए रखना सोसायटी की विभिन्न गतिविधियों और संस्थान के संचालन के लिए किया जा सकता है। इसके अनुसार, एनआईआरडीपीआर इनकम और खर्च अकाउंट में यूनिफ़ॉर्म फ़ॉर्मेट ऑफ़ अकाउंट्स के अनुसार डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है और इसे एक दशक से ज़्यादा समय से मंत्रालय को दिए गए यूटिलाइज़ेशन सर्टिफ़िकेट में शामिल किया गया था। 2019-20 में, जमा हुए डेप्रिसिएशन को बिल्डिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो ईयरमार्क फंड्स की कैटेगरी में आता है, ताकि इंफ़्रास्ट्रक्चर को फिर से शुरू किया जा सके।

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/उत्तर
		डेप्रिसिएशन के माने हुए तरीके का पालन करने के लिए, एसेट रिन्यूअल के लिए इन फंड्स को 2020-21 में बिलडिंग फंड से अलग कर दिया गया और सस्पेंस बनाकर Sch. 3 ईयरमार्कड फंड्स के तहत दिखाया गया और अकाउंट्स के नोट्स (पैरा-टी) में यह बताया गया कि यह सस्पेंस 2021-2022 में क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद, 2021-2022 में मामले के रिव्यू के बाद इस सस्पेंस में रकम को 'रिज़र्व और सरप्लस' हेड के तहत दिखाया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के रिन्यूअल के लिए रिज़र्व हैं। इससे डेप्रिसिएशन रिज़र्व को कंसोलिडेट किया गया। इस उपाय से इन अलग-अलग अकाउंट्स की अलग-अलग मात्रा दिखाकर, बुक्स ऑफ़ अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में मदद मिली। यह प्रथा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और के अनुसार है और इसने खातों और पूर्व प्रथा के बीच सुसंगतता स्थापित की है। इसी प्रकार की प्रथा केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं जैसे कि आईआईएम लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि में मूल्यहास (मूल्यहास/डूबती निधि) के रूप में अपनाई जा रही है। गैर-लाभकारी संगठनों के खातों की संकलन के लिए दिए गए निर्देशों और अकाउंटिंग सिद्धांतों के तहत, पैराग्राफ 7 में उल्लेख किया गया है कि यदि मूल्यहास प्रदान करने के रूप में कोई राशि सामान्य रूप से आवश्यक राशि से अधिक रखी जाती है, तो उसे प्रावधान के रूप में नहीं, बल्कि रिज़र्व के रूप में माना जाएगा। संचयी मूल्यहास रिज़र्व की अलग श्रेणी बनाते समय, खातों के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई समीक्षा में यह पाया गया कि मूल्यहासित परिसंपत्तियों को पूरी तरह से पुनःपूर्ति करने के लिए और भी शेष राशि प्रदान करना आवश्यक है, जैसा कि एनआईआरडीपीआर में एक दशक से अधिक पुरानी प्रथा रही है। मूल्यहास रिज़र्व का उद्देश्य मूल्यहासित परिसंपत्तियों की पुनःपूर्ति के लिए रिज़र्व के रूप में रखना है, और इस उद्देश्य के लिए राशि 2010-2011 से संचयी रूप से जमा की जा रही थी। हालांकि, NIRDPR की अधिकांश परिसंपत्तियाँ इस अवधि से बहुत पहले बनाई गई थीं। इसलिए, मूल्यहास रिज़र्व के लिए वर्षों पुरानी स्वीकृत प्रथा के अनुसार, 1982 से बनाई गई परिसंपत्तियों की पूर्ण पुनःपूर्ति के लिए देय राशि की गणना की गई। इसके बिना, मूल्यहास रिज़र्व अपने मुख्य उद्देश्य — मूल्यहासित परिसंपत्तियों की पुनःपूर्ति — को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाएगा। इस मामले को मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है। मंत्रालय द्वारा एएस एवं एफए की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने मंत्रालय को सूचित किया कि मूल्यहास कोष के संबंध में निर्णय संस्थान के समाप्ति के समय लिया जाएगा, क्योंकि मूल्यहास/डूबती निधि के समाप्ति पर वर्तमान में सक्रिय विचार-विमर्श चल रहा है। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इस कोष में योगदान वित्त वर्ष 2022-2023 से बंद किया जाए; इसके अनुसार, एनआईआरडीपीआर ने वित्त वर्ष 2022-2023 से इस निर्देश का पालन किया। इस प्रकार, उस दशक में संचयी मूल्यहास रिज़र्व में कोई योगदान नहीं किया गया। इस कोष के अंतर्गत उपलब्ध राशि को संस्थान की नीति के अनुसार निवेश किया गया है, ताकि इस कोष के निवेश मूल्य में कोई हानि न हो, और परिसंपत्तियों के नवीनीकरण के लिए मूल्यहास निधियों की दीर्घकालिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके।

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/उत्तर
घ.	अनुदान सहायता: एनआईआरडीपीआर को वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ₹84.67 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ (वेतन अनुदान – ₹62.50 करोड़ और सामान्य अनुदान – ₹22.17 करोड़) और इस दौरान ₹79.65 करोड़ का उपयोग किया गया। शेष अनुदान राशि केंद्र सरकार को वापस कर दी गई।	एनआईआरडीपीआर को पीएफएमएस के माध्यम से ₹84,66,75,000/- का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹5,90,23,315/- को 31.03.2024 को के माध्यम से वापस कर दिया गया। इसलिए, वित्त वर्ष 2023-24 में प्राप्त शुद्ध अनुदान राशि ₹78,76,51,685/- रही। इसके अतिरिक्त, ₹1,72,69,243/- का उद्घाटन शेष (पिछले वर्ष का अप्रयुक्त बैलेंस) और ₹1,18,12,198/- की अन्य प्राप्तियाँ/वसूली (जिसमें ₹3,62,352/- ब्याज शामिल है) हुई। इस प्रकार, कुल कोष प्राप्तियाँ ₹81,67,33,126/- रही। इसमें से ₹81,63,70,774/- का उपयोग किया गया (वेतन के अंतर्गत ₹59,38,60,223/- + सामान्य ₹21,25,88,835/-) और ₹3,62,352/- ब्याज मंत्रालय को भारतकोष के माध्यम से जमा किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अप्रयुक्त शेष राशि ₹99,21,716/- रही। -23-24 के लिए ऑडिटेड उपयोग प्रमाणपत्र मंत्रालय को ब्याज प्रेषण के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया गया।
ड.	प्रबंधन पत्र उन कमियों को, जिन्हें अलग ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तथा उन लगातार अनियमितताओं को, जिन पर प्रबंधन का ध्यान आवश्यक है, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के महा-निदेशक के ध्यान में लाया गया है। इसके लिए एक प्रबंधन पत्र अलग से जारी किया गया है, ताकि सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।	कोई टिप्पणी नहीं
iii.	पिछले अनुच्छेदों में हमारे किए गए अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा संलग्न बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाता और प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता खातों की पुस्तकों के साथ सुसंगत हैं।	कोई टिप्पणी नहीं

जारी...

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/उत्तर
iv.	हमारे विचार में और हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी तथा हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, अकाउंटिंग नीतियों और खातों के नोट्स के साथ मिलकर, ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों और इस ऑडिट रिपोर्ट के परिशिष्ट में उल्लेखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत अकाउंटिंग सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टि प्रस्तुत करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
क.	जहाँ तक यह बैलेंस शीट से संबंधित है, यह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद की 31 मार्च 2024 की स्थिति को दर्शाती है; और	कोई टिप्पणी नहीं
ख.	जहाँ तक यह आय एवं व्यय से संबंधित है, यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के अधिशेष को दर्शाता है।	कोई टिप्पणी नहीं

एसएआर का परिशिष्ट

पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई/ उत्तर
1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: एनआईआरडीपीआर में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग जुलाई 2021 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2023-24 के खातों की आंतरिक लेखा परीक्षा M/s GSRM & Co LLP, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नंदनवनम कॉम्प्लेक्स, वेङ्गलाराव नगर, हैदराबाद को सौंपी गई थी। वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।	आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और रिपोर्ट में दिए गए आवश्यक अनुपालन को उपयुक्त कार्रवाई के लिए नोट किया गया है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं है, इसके निम्नलिखित कारण हैं:	
	खातों में एक बड़ी सस्पेंस राशि दिखाई गई।	पिछले कई वर्षों की सस्पेंस राशि की पहचान की गई और चालू वर्ष के दौरान इसे काफी हद तक कम किया गया है, और इसे कम करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। इस वर्ष सस्पेंस खाते में कोई नई राशि नहीं जोड़ी गई, इसलिए आंतरिक नियंत्रण प्रभावी और पर्याप्त है।
	खातों में एक बड़ी अवर्गीकृत प्राप्ति दिखाई गई।	पिछले कई वर्षों की अवर्गीकृत प्राप्तियों की पहचान की गई और इन्हें संबंधित खातों में निरंतर रूप से वर्गीकृत किया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान इन्हें काफी हद तक कम किया गया और इसे और कम करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं।
	अधिकांश परामर्श परियोजनाओं में ऋणात्मक और धनात्मक शेष दिखाई दिए, जो परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।	लंबित परामर्श परियोजनाओं में ऋणात्मक शेष को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चालू वर्ष में शुरू की गई परामर्श परियोजनाओं (में ऐसा ऋणात्मक शेष नहीं है, जो संस्थान द्वारा किए गए सतर्क आंतरिक प्रयासों का परिणाम है।
	वर्ष 24-2023 के उपयोग प्रमाणपत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।	वर्ष 24-2023 का उपयोग प्रमाणपत्र मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।
3.	स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन: वर्ष 24-2023 के लिए मार्च 2024 के अंत तक स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं
4.	भंडार का भौतिक सत्यापन वर्ष 24-2023 के लिए भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं
5.	कानूनी देयों के भुगतान में नियमितता: कानूनी देय नियमित रूप से चुकाए गए।	कोई टिप्पणी नहीं



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

www.nirdpr.org.in



TRAINING
& CAPACITY
BUILDING



RESEARCH
& CONSULTANCY



POLICY
FORMULATION
& ADVOCACY



TECHNOLOGY
TRANSFER



ACADEMIC
PROGRAMMES



INNOVATIVE
SKILLING
& LIVELIHOOD